सत्यमेव जयते

बुधवार,
१७ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.92

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, १७ फरवरी, १९५४

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल कर्मचारियों को उपदान

*३६. **श्री फ्रैंक एंथनी** : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि वह रेल कर्मचारी भी जो ३० वर्ष की सेवा समाप्त करने के पश्चात सेवा-निवृत्त होते हैं अथवा त्यागपत्र देते हैं अधिकार रूप में उपदान प्राप्त नहीं कर सकते ; तथा

(ख) ऐसे रेल कर्मचारियों को उपदान दिए जाने के बारे में रेलवे प्रशासन की क्या नीति है जो ३० वर्ष की अनुमोदित सेवा की पूर्ति के पश्चात पदत्याग करते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उपदान मूलतः अनुमोदित सेवा के लिए पारितोषिक मात्र है अतः इसके लिए अधिकार याचना नहीं की जा सकती ।

(ख) ऐसे प्रकरणों में उपदान दिया जाता है ।

श्री फ्रैंक एंथनी : भाग (क) के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे की यह नीति औद्योगिक न्यायालयों के उन अनेक निर्णयों के विरुद्ध नहीं है जिन में यह निश्चित किया गया है कि सभी औद्योगिक समवायों के लिए अनिवार्य होगा कि अपने ऐसे सब कर्मचारियों को, जिनका सेवाकाल पन्द्रह वर्ष हो चुका हो, अधिकार-रूप उपदान दें ?

श्री अलगेशन : साधारणतः उन्हें यह उपदान मिलता है परन्तु यह कौशल पूर्ण तथा आस्थायुक्त सेवा के आधार पर दिया जाता है । यदि सेवा में किसी प्रकार की त्रुटियां रही हों तो किन्हीं प्रकरणों में इसे रोक भी लिया जाता है, परन्तु सामान्यतः यह सभी को मिलता है !

श्री फ्रैंक एंथनी : मेरे प्रश्न का अभिप्राय यह नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक ऐसे प्रकरण में जबकि रेलवे के किसी कर्मचारी ने पन्द्रह वर्ष तक कौशलपूर्ण सेवा की हो और तत्पश्चात वह पदत्याग करना चाहे अथवा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहे तो क्या औद्योगिक न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार उन्हें अधिकार रूप में उपदान की प्राप्ति हो जाती है अथवा नहीं ।

श्री अलगेशन : जब कोई कर्मचारी पन्द्रह वर्ष के विशुद्ध सेवाकाल के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे अवश्य ही उपदान की प्राप्ति होती है ।

श्री फ्रैंक एंथनी : मेरे पास अनेक उदाहरण हैं परन्तु मैं उन में से केवल एक ही प्रस्तुत करूंगा । क्या मैं जान सकता हूं कि कानपुर के ड्राइवर एलन ने बत्तीस वर्ष की कौशलपूर्ण सेवा के पश्चात जब स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहा तो उसकी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर ली गई किन्तु उसे बतलाया गया कि उसे उपदान नहीं मिल सकता ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य मुझ से यह आशा नहीं कर सकते कि मैं इस व्यक्तिगत प्रकरण पर प्रकाश डालूं । मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है ।

संविदाओं सम्बन्धी कार्य पूर्ति बन्ध

*३७. **श्री बंसल** : क्या खाद्य तथा **कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी संविदाओं के विषय में कार्यपूर्ति बंधों के लिए आग्रह करती है ;

(ख) वर्ष १९५३-५४ में इस मंत्रालय के किन विशेष संविदाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार के बंध लिए गए हैं ;

(ग) जिन संविदाओं के लिए बंध लिए गए हैं उनका कुल मूल्य ; तथा

(घ) उन बैंकों तथा बीमा कम्पनियों के नाम जिन्होंने ऐसे बंध दिए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) जी हां ।

(ख) से (घ) तक एक विवरण जिसमें स्थिति प्रकट की गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११**]

श्री बंसल : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कुछेक प्रकरणों में भारतीय फर्मों द्वारा इस कारण टैंडर नहीं दिए जा सके क्योंकि इस देश में बंधों के निष्पादनार्थ पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस समय किसी ऐसे प्रकरण का ध्यान नहीं है ।

श्री बंसल : सदन पटल पर रखे गए विवरण से पता चलता है कि जिन आठ संविदाओं के बारे में जानकारी दी गई है उन में से तीन में कार्यपूर्ति बन्ध निष्पादित हो गए थे, तथा अन्य पांच प्रकरणों में केवल प्रतिभूतियां ही दी गई थीं । मैं जान सकता हूं कि क्या उन तीन प्रकरणों में भी टेंडर देने वाले पक्षों को यह सूचना दी गई थी कि यदि वह कार्यपूर्ति बंधों का निष्पादन नहीं कर सकते तो केवल प्रतिभूतियों से काम चल सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना चाहिये ।

रक्सौल रेल टक्कर

*३८. **श्री अमजद अली** : क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) रक्सौल के स्थान पर २ जनवरी, १९५४ को एक सवारी गाड़ी और एक मालगाड़ी में सीधी टक्कर के क्या कारण थे; तथा

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या उपाय किए गए हैं?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच करने के पश्चात अपना प्रथम मत इस प्रकार दिया है कि यह मालगाड़ी के चालकवर्ग की भूल के कारण हुई है ।

(ख) सरकारी निरीक्षक की अन्तिम रिपोर्ट, जिस की प्रतीक्षा की जा रही है, के आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री अमजद अली : समाचारपत्रों से ज्ञात होता है कि दुर्घटना के तुरन्त पश्चात रेल मंत्री ने इस स्थान का दौरा किया था। उन्होंने प्रवर्तन कार्य सम्बन्धी कौन सी त्रुटि देखी जिसके कारण यह टक्कर हुई ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल सरकारी रेलवे निरीक्षक को, जो कि दुर्घटनाओं के कारण जानने के लिए विशेषज्ञ का काम करता है, निर्णय यह है कि यह ड्राइवर की गलती थी, जो कि मालगाड़ी को ब्लाक विभाग में ले गया था।

श्री एल० एन० मिश्र : इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे ?

श्री शाहनवाज खां : १० आदमी मरे और चार घायल हुए थे।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि दुर्घटना के पश्चात् सहायता के क्या उपाय किये गये थे और क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों या घायल होने वालों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया था। प्रतिकर के सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश चम्पारन दावा आयुक्त है और सब दावे उन्हें भेजे जायेंगे। अभी तक किसी ने दावे प्रस्तुत नहीं किये।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या मारे गये व्यक्तियों में कोई सरकारी कर्मचारी भी था और यदि हां, तो वह कौन था ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह बात सही नहीं है कि रक्सौल रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर जो कि रात में काम करता था, उसने बिना गुड्स ट्रेन के इंजन को स्टेशन यार्ड में लगाये मेलाई से पैसेंजर ट्रेन छोड़ने की अनुमति दे दी ?

श्री शाहनवाज खां : वहां खास २ क्या २ बातें हुईं यह अभी तक तय नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट इंस्पेक्टर आफ रेलवेज़ की जो आखिरी रिपोर्ट है, वह अभी तक नहीं आई है।

श्री अमजद अली : भाग (ख) के सम्बन्ध में, रेलवे इंस्पेक्टर की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हम ठीक ठीक समय नहीं बतला सकते, किन्तु यह बहुत शीघ्र प्राप्त हो जायेगी।

रेलवे सैलून तथा पास विशेषाधिकार

*४०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक डिवीज़न में किन किन श्रेणियों के अधिकारियों को (१) सैलूनों, (२) चार पहियों वाले डिब्बों, (३) कार्ड पासों तथा (४) धातु के पासों को प्राप्त करने का अधिकार है ?

(ख) क्या ये सब अधिकारी उपरोक्त सब प्रकार के पासों पर अपने परिवारों को ले जा सकते हैं और यदि ऐसा है, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी डिब्बे दिये जाते हैं और धातु के पास दिये जाते हैं ?

(घ) इन अधिकारियों तथा उनके परिवारों को निश्शुल्क पास सुविधाओं के अतिरिक्त यदि कोई भत्ते मिलते हैं तो कौन से भत्ते मिलते हैं ?

(ङ) क्या इन रियायतों के दुरुपयोग को रोकने की कोई व्यवस्था है ?

(च) यदि ऐसा है, तो यह कौनसी व्यवस्था है और इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (१) तथा (२)। प्रशासन श्रेणी के रेलवे अधिकारी जब ड्यूटी पर सफर करते हैं तो उन्हें ८ पहियों वाले निरीक्षण डिब्बे मिलते हैं, जिला स्तर के अधिकारियों को ६ पहियों या ४ पहियों के डिब्बे मिलते हैं और छोटे पद के अन्य अधिकारियों को ४ पहियों के निरीक्षण डिब्बे मिलते हैं। (३) तथा (४)। जिन अधिकारियों की ड्यूटी ऐसी होती है कि उन्हें अपने डिवीज़न में अक्सर दौरा करना पड़ता है उन सब को धातु के पास या उनके स्थान में कार्ड पास दिये जाते हैं।

(ख) ये सब अधिकारी सब प्रकार के ड्यूटी पासों पर अपने परिवारों को ले जा सकते हैं।

चूंकि अधिकारियों को अपने प्रधान-कार्यालयों से अक्सर बहुत समय के लिये बाहर रहना पड़ता है इसलिये उन्हें यह सुविधा दी जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) इन निश्शुल्क पासों के अतिरिक्त, नियमों के अन्तर्गत इन अधिकारियों को अपने लिये दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है।

(ङ) तथा (च)। टिकट चैक करने वाले कर्मचारी जैसे किराया देकर यात्रा करने वाले यात्रियों को चैक करते हैं, वैसे ही उन्हें सरकारी काम के सम्बन्ध में यात्रा करने वाले पदाधिकारियों के पास या धात के टोकन चैक करने पड़ते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन सुविधाओं का दुरुपयोग करने का कोई मामला मंत्रालय की दृष्टि में आया है ?

श्री अलगेशन : मुझे मालूम नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जायेगी ?

श्री अलगेशन : हमें ऐसा कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ। यदि कोई आये, तो हम अवश्य पूछ ताछ करेंगे ; यह सामान्यतया किया जाता है।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री जी स्वयं पहले या दूसरे दर्जे में यात्रा करते हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या उच्चाधिकारियों के लिए सैलून हटा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

श्री गिडवानी : मैं भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या सैलूनों की व्यवस्था जारी रखी जायेगी या नये राज में इसे समाप्त कर दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं नहीं जानता माननीय सदस्य किस राज की ओर निर्देश कर रहे हैं...

श्री गिडवानी : वही राज जिस के आप मंत्री हैं।

श्री एल० बी० शास्त्री : ...किन्तु मैं पदाधिकारियों को वाध्य नहीं करना चाहता कि वे अपने निरीक्षण डिब्बों में यात्रा न करें।

वास्तव में पदाधिकारी सैलूनों में यात्रा नहीं कर रहे। सैलून ऐसे डिब्बे होते हैं, जिनमें वे निरीक्षण करते हैं। उन्हें अपने काम के सम्बन्ध में कई कई दिन छोटे छोटे स्टेशनों पर ठहरना पड़ता है। इस लिये उनके लिये

इन डिब्बों में यात्रा करना सुविधा जनक होता है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड के अधिकारियों या महा प्रबन्धकों को छुट्टी पर जाते समय सैलूनों का प्रयोग करने दिया जाता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, श्रीमान् ।

फल

***४१. सरदार ए० एस० सहगल : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगली पेड़ों के घटिया किसमों के फलों को खाने योग्य फलों में परिवर्तित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां और किस के द्वारा ; और

(ग) क्या यह सत्य है कि मध्यप्रदेश सरकार ने यह काम तीन वर्ष पहले शुरू किया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई और मध्य प्रदेश में उन की सरकारों द्वारा ।

(ग) जी हां ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि क्या उन बहुत से कीमती फलों को जो कि बहुतायत के मौसम में नष्ट हो जाते हैं, बचाने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में यह भिन्न प्रश्न है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने लाइसेंस धारी हैं, जो फलों की चीजें तैयार करते हैं और लाइसेंस कितनों को दिये जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हेडा : क्या हम जान सकते हैं कि वे कौन से जंगली पेड़ हैं, जिन्हें फलों के पेड़ों में परिवर्तित किया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : सामान्यतया यह काम आम और बेर के पेड़ों तक सिमित रखा गया है, किन्तु कुछ और पेड़ों को भी, उदाहरणतया आमला को, ऐसे ही परिवर्तित किया जा सकता है ?

श्री हेडा : और बबूल ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह फल का पेड़ नहीं है ।

भारत-अमरीका विमान संचालन करार

***४३. श्री एच० एन० मुकर्जी: संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विमान संचालन पर एक नया भारत–अमरीकी करार करने के सम्बन्ध में की जाने वाली बात चीत में क्या प्रगति हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : कोई बातचीत आरम्भ नहीं की गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सत्य है कि इस करार के सम्बन्ध में अंग्रेजों तथा हॉलैण्ड वालों ने शिकायतें की हैं कि अमेरिका के पक्ष में रियायत से काम लिया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : इस मामले पर अमेरिका से काफी पहिले, अर्थात् १९५१ में, बातचीत की गई थी और इसलिये ये अन्य विदेशी विमान समवाय हमारे अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : ऐसे करार को अन्तिम रूप से कब तय किये जाने की आशा है जिसमें अमेरिका के पक्ष में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा ?

श्री राजबहादुर : करार के तत्सम्बन्धी खण्ड के अन्तर्गत हमने अमेरिका के वर्तमान करार को समाप्त करने के बारे में नोटिस दे दिया है।

नल कूप

*४४. **श्री राघवय्या** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अगले तीन वर्षों में नलकूपों को लगाने के लिये विदेशी कम्पनियों को नये ठेके दिये गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो वे कौन सी कम्पनियां हैं ‘?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) नल कूप लगाने वाली फ्रांसीसी कम्पनियां।

श्री राघवय्या : क्या यह सत्य है कि भारत-अमरीकी टैक्निकल सहायता कार्य-क्रम १९५२, के अन्तर्गत अमेरिकन, जर्मन तथा अंग्रेजी फर्मों को ४९५ नलकूप लगाने के लिये ठेका दिया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, कुछ ठेके, जोकि अमेरिका के टैक्निकल सहयोग प्रशासन के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत आते हैं, विदेशी फर्मों को दिये गये हैं ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इस ठेके की राशि कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सब सूचना पहिले ही सदन पटल पर रख दी गई है । यह ठेका कई करोड़ रुपयों का है। अनुपूरक करार में ५२,५०,००० डॉलर तथा २·२ करोड़ की व्यवस्था है, जो कि क्रमशः अमेरिका सरकार तथा भारत सरकार द्वारा दिये जायेंगे।

श्री० टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या गत अनुभव के आधार पर, करार के अन्तर्गत ठेका पूरा करने में जो देर हो सकती है उसमें सरकार का बचाव हो सके, इसकी व्यवस्था है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, सरकार देरी तथा अन्य कठिनाइयों से अपना बचाव करने के लिये व्यवस्था करने का प्रयत्न करती है ।

श्री टी० एन० सिंह : कौन से तरीके से ?

डा० पी० एस० देशमुख : अर्थ-दण्ड देकर, जिसकी करार में व्यवस्था है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान में ऐसी कम्पनियां नहीं हैं जो ट्यूब वेल्स बना सकती हों ?

डा० पी० एस० देशमुख: अभी तक तो नहीं हैं और जब यह प्रयत्न किया गया था तो उस समय उसका नतीजा जरा अच्छा नहीं निकला।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई भारतीय कम्पनियां या व्यक्ति इस ठेके से सम्बन्धित हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ मामलों में वे सम्बन्धित हैं । मैं विस्तार से नहीं बता सकता।

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवायें

*४५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी

(क) क्या सरकार का ध्यान दिसम्बर, १९५३ में हैदराबाद में हुए अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन में पारित संकल्प की ओर आकृष्ट हुआ है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

सेवाओं के लिये जो राशि नियत की है उसमें पर्याप्त वृद्धि की अपेक्षा है ; और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार इस विषय में कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) हां।

(ख) योजना में केन्द्रीय चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य योजनाओं के लिये राशि बढ़ाने की कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कितनी बढोतरी की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : २४२·७५ लाख की वृद्धि की गई है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या प्रस्ताव में यह भी मांग की गई थी कि अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ में रूपभेद किया जाये ताकि 'लाइसैंसियेट' व्यक्ति भी स्नातकों के समान इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आ सकें ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): जहां तक अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम का सम्बन्ध है, अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् ने हाल ही में कुछ अभीष्ट संशोधनों के विषय में अपने विचार भेजे हैं और यह मामला स्वास्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन है।

चीनी मंत्री का आगमन

*४७. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि चीन की स्वास्थ्य मंत्री ने दिसम्बर, १९५३ के तीसरे सप्ताह में भारत का दौरा किया ?

(ख) यदि हां, तो उनके आगमन का क्या प्रयोजन था ?

(ग) क्या चीनी मंत्री तथा भारत सरकार के बीच कोई बातचीत हुई ?

स्वास्थ्य (मंत्री राजकुमारी अमृत कौर): (क) हां; चीनी स्वास्थ्य मंत्री १५ दिसम्बर १९५३ को कलकत्ते पहुंची थीं और उन्हों ने २ जनवरी १९५४ को बम्बई से चीन के लिये जलयान से प्रस्थान किया।

(ख) चीनी स्वास्थ्य मंत्री संघीय स्वास्थ्य मंत्री के आमंत्रण पर भारत आईं थीं।

(ग) उनके यहां आने का प्रयोजन हमारी स्वास्थ्य संस्थाओं का दौरा करना था।

श्री मुनिस्वामी : क्या उसी प्रकार हमारी स्वास्थ्य मंत्री के चीन जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरे पास निमंत्रण तो आया है और यदि उपयुक्त अवसर मिला तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगी।

समुद्रीय इंजिनियिर कालिज, बेंहला

*४८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बेहला (कलकत्ता) में हाल ही में खोले गये समुद्रीय इंजीनियरिंग कालिज में कितने विद्यार्थियों के लिये व्यवस्था है; तथा

(ख) इस कालिज पर आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय कितना होगा ?

रेल परिवहन तथा यातायत उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय प्रतिवर्ष ५० के लिये व्यवस्था है।

(ख) आवर्त्तक व्यय लगभग ५॥ लाख रुपये प्रतिवर्ष है और अनावर्त्तक व्यय लगभग ५० लाख रुपये हैं।

श्री भागवत झा आजाद : इस कालिज में इंजीनियरिंग की किस शाखा की विशेष शिक्षा दी जाती है ?

श्री अलगेशन : समुद्रीय इंजीनियरिंग कालिज में ये विषय पढ़ाये जाते हैं : मैकेनिक्स, हाइड्रौलिक्स, इंजीनियरिंग पदार्थ आदि आदि ।

श्री भागवत झा आजाद : इस कालिज में प्रवेश पाने के लिये क्या बातें अपेक्षित हैं ?

श्री अलगेशन : द्वितीय विभाग (डिवीजन) में इंटरमीजियेट पास किये हुये विद्यार्थियों को चुना जाता है और संवरण केवल गुणों के आधार पर किया जाता है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार उन छात्रों को कोई छात्रवृत्ति देती है जो इस कालिज में प्रवेश चाहते हैं ?

श्री अलगेशन : अधिकांश छात्रों को सरकार से तथा नौवहन समवायों से छात्रवृत्तियां मिलती हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या इस कालिज में प्रवेश के लिये राज्यानुसार कोटा निश्चित करने की कोई योजना है ?

श्री अलगेशन : छात्र देशभर से लिये जाते हैं परन्तु राज्यानुसार कोई कोटा निश्चित नहीं है ।

श्री एस० सी० सामंत : क्या इस संस्था के आरम्भ होने पर 'डफरिन' जलपोत में प्रशिक्षण देना बंद हो गया है ?

श्री अलगेशन : हां, इंजीनियरिंग के सेनाछात्रों के लिये तो बंद हो ही गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या गत वर्ष जो छात्र प्रविष्ट हुये उनमें सभी राज्यों के छात्र थे ?

श्री अलगेशन : गतवर्ष के प्रवेश के विषय में मुझे पता नहीं है, परन्तु मुझे इतना पता है कि छात्र सभी राज्यों से लिये जाते हैं ।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

*४९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या मद्रास में हुए अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् के तृतीय वार्षिक सम्मेलन के संकल्प सरकार को मिले हैं एवं उन पर विचार किया गया है ;

(ख) उन संकल्पों को कहां तक लागू करने के लिये सरकार तैयार हो गई है ;

(ग) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में इस संगठन के क्षेत्र एवं कार्यवाहियों के विस्तार की कोई संभावना है ;

(घ) यदि हां, तो उस विस्तार के आर्थिक पहलू क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को सामान्य रूप में मान लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित भी कर दिया गया है ।

(ग) जी हां।

(घ) जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वर्ष १९५४-५५ में परिषद् को दिये जाने वाले सहायक अनुदान में पिछले वर्षों की अपेक्षा कोई वृद्धि नहीं होगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार से ऐसी सिफारिशें की गई हैं कि इस संगठन ने अपने ध्येय की पूर्ति करली है अतएव अब इसे बंद कर दिया जाये ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमें जो प्रतिवेदन मिला है उसमें लिखा है कि यह संगठन अत्युत्तम कार्य कर रहा है और वह अपने कार्य को बढ़ाना चाहता है अतः इसके विस्तार करने में हम उनकी सहायता कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या सम्मेलन में पारित संकल्पों को लागू करने में जो अधिक व्यय होगा उसका सरकार को ज्ञान है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जहां तक हमारा सम्बन्ध है सहायक अनुदान में हम कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें १,५०,००० रुपया प्रतिवर्ष दे रहे हैं और उस धन में हम कोई और वृद्धि नहीं कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि यह संगठन स्वयं जनता से मांगकर निधि इकट्ठा कर रहा है, यदि हाँ तो कितना धन एकत्रित किया गया है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्होंने हम से सहायक अनुदान देते रहने के लिये कहा है अतः अगले वर्ष के लिये हमने १,५०,००० रुपये का उपबन्ध कर लिया है। हम केवल इतना ही जानते हैं कि उनके विभिन्न संगठन हैं और वे उपाहार गृह चला रहे हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता था कि इस संगठन ने कितना धन एकत्रित किया है, और किस आधार पर सरकार रुपया देती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये। भोजन व्यवस्था और पोषण के लिये एक स्कूल बम्बई में खोलने के लिये वे कह रहे हैं। इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं।

मजूरी बोर्ड

*५०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रमुख उद्योगों में मजरी निश्चित करने के लिये योजना आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मजूरी बोर्ड बना दिये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : नहीं। न्यूनतम मजरी के बारे में पुनर्विचार करने एवं उसके निश्चित करने में सहायता देने के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अधीन विभिन्न उपयुक्त सरकारों द्वारा बहुत सी मंत्रणा समितियां, उपसमितियां, मंत्रणा बोर्ड आदि आदि बनाये गये हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि केवल ये समितियां ही नहीं अपितु उपयुक्त सरकारों द्वारा न्यूनतम मजूरी के बारे में पुनर्विचार करने और उसके निश्चित करने के लिये धारा ५, ६, ७ तथा ८ के अधीन केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड भी बना दिया गया है। उनमें से बहुत से तो समन्वय करने वाले अभिकरणों के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने इनमें से बहुत से निकायों को स्थापित किया है। बहुत कुछ अंशों में ये निकाय उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसके लिए कि योजना आयोग ने इन मजूरी बोर्डों की सिफारिश की थी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इसका तात्पर्य यह है कि योजना अयोग द्वारा सिफारिश किये गये मजूरी बोर्ड अब नहीं बनेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसी बात नहीं है। योजना आयोग की शिफारिशें वास्तव में उचित मजूरी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित हैं। एक उचित मजूरी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था और हम यह विचार कर रहे हैं कि क्या इसे फिर से प्रस्तुत करना चाहिये ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किन्हीं विशेष उद्योगों में न्यूनतम मजूरी की राशि किस प्रकार निश्चित की जाय, क्या इसके लिये कोई नियम बनाये गये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : संभवतः माननीय सदस्या को ध्यान होगा कि अभी हाल ही में मैसूर में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ था जहां इन सभी बातों पर विचार किया गया था। त्रिदलीय सम्मेलन ने कुछ निदेश दिये हैं। केन्द्रीय मंत्रणा समिति की बैठक शीघ्र ही

होने वाली है। मैं उस बैठक का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह अनुमान किया जाता है कि हाल में होने वाले त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार मजूरी बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वे मजूरी निर्धारित कर सकें तथा उन बोर्डों के फैसलों को बदल सकें मजूरी निर्धारित कर चुके हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : यह आदेश त्रिपक्षीय सम्मेलन ने जारी किये हैं तथा केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड उन पर विचार कर रहा है।

श्री टी० वी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों ने मजूरी बोर्ड नियुक्त कर दिये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने भी उन स्थानों में मजूरी बोर्ड नियुक्त किये हैं जहां श्रम कल्याण केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है ?

श्री वी० वी० गिरि : केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय मंत्रणा बोर्ड नियुक्त किया है।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि जो मजूरी बोर्ड बनाये गये हैं उनमें प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : प्रतिनिधित्व त्रै-पक्षीय है।

श्री राघवय्या : क्या सरकार को ज्ञात है.......

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

"उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण" योजना

*५१. **श्री नानादास** : (क) क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई "उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण" योजना बनाई है ?

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां।

(ख) मेरे विचार में कि खण्ड (क) में उल्लिखित योजना के ही सम्बन्ध में पूछा गया है न कि पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों के सम्बन्ध में। "उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण" के लिये दो विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गई हैं तथा उनमें से एक छः मास से देश में उपस्थित भी है। विचार यह है कि आगे चल कर भारत में, एक राष्ट्रीय "उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण" संस्था स्थापित की जायेगी तथा इस संस्था का प्रबंध करने के लिये अधिकारियों का प्रशिक्षण, विदेशी विशेषज्ञों के अधीन कराने का विचार है।

श्री नानादास : कौन से विषय सिखाये जायेंगे ? ऐसा प्रशिक्षण किस श्रेणी के मजदूरों को दिया जायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : यह हर प्रकार के मजदूरों के लिये है। इस का सम्बन्ध उद्योग की परिस्थितियों से है।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं यह प्रशिक्षण काम के समय में दिया जायेगा या इस के लिये अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी ? यदि प्रशिक्षण अतिरिक्त समय में दिया जायेगा तो क्या इस अतिरिक्त समय के लिये अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : अधिक तर काम के घण्टों में ही।

श्री सैय्यद अहमद : क्या मैं जान सकता हूं कि जो विदेशी विशेषज्ञ लाये गये हैं वे कौन हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : श्री क्लिफोर्ड फी।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि आई० एल० ओ० का यह विशेषज्ञ देश

ही में रहेगा या शीघ्र ही वापिस जाने वाला है ?

श्री वी० वी० गिरि : वे देश ही में रहेंगे शीघ्र ही एक और व्यक्ति के आने की आशा की जाती है ।

रेल दुर्घटनाएं

*५२. **श्रीमती कमलेंदुमति शाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५०–५३ में विध्वंसकार्यों के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : २७ दुर्घटनाएं, जिसमें से आठ बहुत भीषण थीं और यात्री गाड़ियों की दुर्घटनायें थीं , जिनमें से प्रत्येक में जानें गईं, गहरी चोटें आईं तथा प्रत्येक में लगभग २०,००० रुपये के मूल्य की रेल की सम्पत्ति का नुकसान हुआ ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या वे लोग जिनके कारण यह दुर्घटनायें हुईं पकड़े गये और उनके खिलाफ मुकदमें चलाये गये ?

श्री शाहनवाज खां : इसका सम्बन्ध रेल में होने वाले विध्वंसकार्यों से है । यह तो विधि तथा व्यवस्था की बात है जिसके सम्बन्ध में तत्सबन्धी राज्य सरकारें ही कार्यवाही करती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि क्या इस सम्बन्ध में उनके पास कोई जानकारी है ।

श्री शाहनवाज खां : अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि सुरक्षितता के उपाय करने के लिये किसी तदर्थ समिति के नियुक्त करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ऐसा कोई विचार नहीं है ।

नौकरी द तर

*५३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५३–५४ में नौकरी दफ्तरों में नाम दर्ज कराने वालों की कुल संख्या १९५२-५३ की संख्या से अधिक हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : १९५३-५४ के सारे वित्तीय वर्ष में नाम दर्ज कराने वालों की कुल संख्या अभी प्राप्य नहीं है । अप्रैल १९५३ से दिसम्बर १९५३ तक नाम दर्ज कराने वालों की संख्या १९५२ के तत्स्थानी काल की संख्या से अधिक नहीं हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार तथा वैयक्तिक सेवान्योजकों द्वारा नौकरी दफ्तर को सूचित किये गये रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है ? क्या नौकरी दफ्तरों ने १९५२ की अपेक्षा, काम दिलाने में अधिक सफलता प्राप्त की है ?

श्री वी० वी० गिरि : १९५२ से अधिक नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : जिस मात्रा में नौकरी दफ्तर ने काम दिलाया है क्या उसका कोटा १९५१-५२ के कोटा से अधिक है ?

श्री वी० वी० गिरि : लगभग उतना ही ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि काम ढूंडने वालों को नौकरी दफ्तर की ओर आकर्षित करने के लिये सरकार ने कौन से उपाय किये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : काम ढूंडने वाले भारी संख्या में आ रहे हैं और हम उन्हें काम दिलाने में असमर्थ हैं ।

वलीवाडे फ्लैग-स्टेशन

*५४. **श्री गिडवानी** : क्या रेल मंत्री वलीवाडे की विद्यमान फ्लैग स्टेशन

को एक पूरी स्टेशन में बदलने के सम्बन्ध में २४ दिसंबर १९५३ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या १३८७ का निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस विषय पर विचार कर लिया है और क्या वह किसी निश्चय पर पहुंची है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): दक्षिण रेलवे को निदेश दिया गया है कि इस विषय को खंडीय (ज़ोनल) रेल-उपभोक्ता (यूजर्स) परामर्श दात्री समिति को विचारार्थ सौंप दे और उस समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करें।

श्री गिडवानी : क्या किसी रेलवे स्टेशन को फ्लैग स्टेशन से सामान्य स्टेशन में बदल देने के संबंध में सिफारिश करने की शक्ति रेल-उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति को मिली हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : स्टेशन को एक पूरी स्टेशन में बदला जाए या नहीं, इस विषय में परामर्शदात्री समिति की राय ली जाती है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : ये उपभोक्ता (कन्ज़ूमर्स) संस्थाएं कब बनी थीं . . . .

अध्यक्ष महोदय : यहां उपभोक्ता (कन्ज़ूमर्स) संस्थाएं नहीं हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा अभिप्राय उपभोक्ता (यूज़र्स) समितियों से है । क्या वे कभी इन फ्लैग स्टेशनों को देखने जाती हैं ?

श्री शाहनवाज खां : फ्लैग स्टेशन उस क्षेत्र में स्थित होती हैं, जहां के लिए ये परामर्शदात्री-समितियां नियुक्त की जाती हैं और इसलिए उन से आशा की जाती है कि वे फ्लैग स्टेशनों के विषय में सब बातें जानें ।

वनमहोत्सव

*५५. **श्री एन० एम० लिंगम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले वन-महोत्सव के उद्घाटन केबाद भारत में लगाये गए पेड़ों की राज्यवार संख्या;

(ख) लग जाने वाले पेड़ों की संख्या; तथा

(ग) वन-महोत्सव के फलस्वरूप देश में वन-क्षेत्र की वृद्धि ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५० और १९५१ वर्षों में लगाए गए पेड़ों की संख्या क्रमशः ४४·३ और ३४·८ लाख है : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १२]**

(ख) १९५० और १९५१ वर्षों में लगाए गए पेड़ों में से लग जाने वाले पेड़ों की संख्या क्रमशः १७ और १७·७ लाख है । १९५२ और १९५३ वर्षों में लगाए गए और लग जाने वाले पेड़ों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) वन-महोत्सव राज्य-सरकारों के वन-विभागों की कार्यविधि का स्थान ले लेने के लिए नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम् : वनमहोत्सव में लगाए गए पेड़ों का उचित भूमि-नीति भू-खंडों के स्वरूप और राष्ट्रीय आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए वनक्षेत्र बढ़ाने की सरकारी नीति के साथ सहयोजन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा मैंने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं । वन-

महोत्सव उन पेड़ों के लिए है, जो शोभा, छाया आदि के लिए लगाए जाते हैं। वन-नीति और वनीकरण पृथक बातें हैं। हमारे पास योजनाएं हैं; राज्य-सरकारों के पास भी योजनाएं हैं। माननीय मित्र ने जो बातें बताई हैं, वे सब इन के सामने हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच है कि आजकल वनमहोत्सव कार्यक्रम में पेड़ सुचारु रीति से नहीं लगाए जाते, और अधिकाधिक प्रतिफल प्राप्त हों, इसके लिए इस रीति के पुन:संगठन की आवश्यकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पता नहीं कि सब से अधिक सुचारू रीति क्या होगी। हम यथाशक्ति कोशिश करते हैं और वर्ष प्रति वर्ष सुधार होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि वर्तमान रीति किसी भी प्रकार बुरी नहीं है।

श्री सैय्यद अहमद : इस पेड़ रोपने का आधार क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : केन्द्रीय सरकार का व्यय चारों वर्षों में ४८,००० रुपये से अधिक नहीं हुआ। इसमें से आधा व्यय वृक्ष-रोपण की भावना में वृद्धि के लिए दिए गए पारितोषिकों (ट्रौफ़ीज़) में किया गया था।

श्री एस० एन० दास : इनमें से कितने पेड़ अनाथ के रूप में मुरझा गये और कितने स्वाभाविक रूप से ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते।

श्री जी० एस० सिंह : क्या सरकार को विदित है कि भारत के विभिन्न भागों में विशेषत: राजस्थान में बड़े पैमाने पर अंधाधुंध पेड़ काटे जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस विषय में बहुत से लेख मेरे ध्यान में आए हैं और मैंने इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यवाही की है। मेरी समझ से हाल में एक सम्मेलन में इसकी चर्चा हुई थी। हम इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्रम विवाद

*५६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है, सितम्बर से दिसम्बर, १९५३ के काल में श्रमिकों तथा उद्योगपतियों के मध्य के कितने विवाद समझौता अधिकारियों को सौंपे गये ;

(ख) इन में से कितने विवादों को समझौता अधिकारियों द्वारा तय किया गया; और

(ग) कितने विवाद न्यायाधिकरणों को निर्दिष्ट कर दिए गये ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख). पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है और संकलित की जा रही है।

(ग) तीन।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि उद्योगों के कहने पर कितने मामले न्यायाधिकरणों को सौंपे गये ?

श्री वी० वी० गिरि : इसके लिए मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की दृष्टि में कोई ऐसा दृष्टान्त आया है जिसमें कि समझौता अधिकारी ने विवाद को तय कराने के बजाये उद्योग-प्रबन्धकों को यह मंत्रणा दी कि मजदूरों की मांगों के प्रति कड़ा रुख अपनाएं ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरी दृष्टि में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५३ में कितने विवादों के परिणामस्वरूप हड़तालें हुईं ?

श्री वी० वी० गिरि : इसके लिए मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार समझौता अधिकारियों के पदों को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी नहीं ।

हवाई अड्डे

*५७. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में हवाई अड्डों पर किन किन प्रकार के दमकलों का प्रयोग किया जाता है ?

(ख) उनमें से कौन से देशी हैं और कौन से विदेशी ;

(ग) कितने विदेशी दमकल हाल में ख़रीदे गये हैं तथा उनका मूल्य और क्षमता क्या हैं; और

(घ) वे देशी दमकलों की तुलना में कैसे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंग्लैन्ड की मैसर्स पिरीनी कम्पनी, लिमिटेड द्वारा इंग्लैन्ड की फोमाइट लिमिटेड द्वारा तथा अमरीका की वेस्टिंग हाउस द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट क्रेश-फायर टेंडर्स भारतीय हवाई अड्डों पर प्रयुक्त किए जाते हैं ।

(ख) वे सब बाहर से आयात किये जाते हैं ।

(ग) अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]**

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि एयरक्राफ्ट क्रेश फायर टेंडर्स भारत में निर्मित नहीं किए जाते ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पिरीनी नामक एक नया दमकल अभी हाल में भारत में आयात किया गया है ?

श्री राज बहादुर : मैं ने बतलाया कि यह आयात किया गया है तथा आयातों सम्बन्धी एक विवरण भी मैंने सदन पटल पर रक्खा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : यह दमकल कितने गैलन पानी ले जा सकता है तथा काम में आते समय यह कितने गैलन झाग प्रति मिनट छोड़ता है ?

श्री राज बहादुर : यह एक टेकनीकल बात है । जहां तक मुझे मालूम है, वे झाग तथा कारबन डाइओकसाइड छोड़ते हैं । फोमाइट दमकलों की झाग छोड़ने की क्षमता २,००० गैलन प्रति मिनट है तथा पिरीनी दमकलों की क्षमता क्रमशः ४,००० तथा ३,५०० गैलन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : कौनसा दमकल प्रथम रहा है ?

श्री राज बहादुर: वे आधुनिकतम दमकलें हैं और यह मैं नहीं कह सकता कि किसका कार्य प्रथम है और किसका दूसरे नम्बर पर है । किन्तु मूल्य तथा क्षमता को देखते हुए पिरीनी अधिक अच्छा है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि जब कोई विमान दुर्घटना हवाई अड्डे के पास होती है तथा जहाज़ में आग लग रही होती है तो क्या इन दमकलों को आग बुझाने के काम में लाया जाता है ?

श्री राज बहादुर : यह भूमि-प्रदेश तथा दुर्घटना की परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि दुर्घटना-स्थल सुगम्य है तो इसका अच्छा प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

रेलवे इंजन

*** ५८. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नए रेलवे इंजनों के कार्यकरण पर अभिलेख रक्खे जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार यह बतला सकेगी कि कौन से इंजन (देशी या आयातित) अधिक अच्छी सेवा दे रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नए-पुराने समस्त इंजनों के कार्यकरण पर विस्तृत अभिलेख रक्खे जाते हैं।

(ख) देशी तथा आयातित दोनों प्रकार के इंजन बराबर अच्छी सेवा दे रहे हैं, दोनों की कार्यक्षमता का लक्ष्य बराबर है।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को सम्बद्ध अधिकारियों से मीलों के रूप में, इंजनों के औसत फेल होने की रिपोर्टें मिलती हैं ?

श्री अलगेशन : सम्बन्धित रेलवे द्वारा समस्त आंकड़े रक्खे जाते हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि चितरंजन वर्कशाप के कितने इंजन इस समय काम कर रहे हैं ?

श्री अलगेशन : एक सौ।

श्री बंसल : किसी समयावधि में 'बीमार' इंजनों, देशी और विदेशी, का प्रतिशत कितना है ?

श्री अलगेशन : यह जानकारी मैं दे सकता हूं किन्तु इसके लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : भारतीय तथा विदेशी इंजनों के मूल्यों में क्या अंतर है ?

श्री अलगेशन: चितरंजन में बनाए गये इंजनों की लागत आयात किए गये इंजनों के बराबर ही आगणित की जाती है। अतिरिक्त लागत को हम विकास-कार्य के हिसाब में डाल देते हैं।

वनस्पति

*** ५९. श्री के० सी० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में वनस्पति तेल उत्पादन नियन्त्रण आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले कारखानों तथा व्यय-पारियों पर चलाये गये अभियोगों की, यदि कोई अभियोग चलाया गया था तो कुल संख्या क्या थी ;

(ख) १९५३-५४ में नये कारखाने बनाने तथा विद्यमान वनस्पति कारखानों का विस्तार करने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त तथा स्वीकृत हुये थे; तथा

(ग) १९५३ में कुल कितना वनस्पति बनाया तथा निर्यात किया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने १६ पार्टियों पर अभियोग चलाने की सिफारिश की थी। स्थानीय संस्थाओं आदि की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों ने जो अभियोग चलाये थे उनके आंकड़े प्राप्य नहीं है।

(ख) ४।

(ग) १९५३ में कुल १·९ लाख टन वनस्पति बनाया गया तथा ९२५ टन विदेशों को भेजा गया।

श्री क० सी० सोधिया : केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये गये अभियोगों का क्या परिणाम रहा ?

डा० पी० स० देशमुख : मैं इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री के० सी० सौधिया : इस कार्य के लिए कितने अधिकारियों को काम पर लगाय जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : किस कार्य के लिए ? केवल अभियोगों के लिए, कोई व्यक्ति नहीं रखा जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं ने अभियोग चलाने तथा इस बात का ध्यान रखने के संबंध में पूछा था कि उल्लंघन किया जाता है अथवा नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख: हमें अभियोग चलाने के योग्य जब कभी कोई मामला ज्ञात होता है, वह न्यायालय को भेज दिया जाता है । सूचना प्राप्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह हैं कि क्या यह देखने के लिए कुछ निरीक्षण कर्मचारी रखे जाते हैं कि विधियों का उचित रूप में पालन होता है या नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : हां । हम कुछ कर्मचारी रखते हैं । ये बहुत नहीं हैं । राज्य सरकारों का यह भी कर्तव्य है कि उन्हें जिस किसी दुरोपयोग का पता लगे वे उसकी सूचना दें । जिन सिद्धान्तों के अनुसार निरीक्षण होगा वे सब मेरे पास हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री दाभी : क्या सरकार की नीति वनस्पति का अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देने की है, तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि मेरे मित्र यह जानना चाहते हैं कि हम अधिक अानुज्ञायें दे रहे हैं या नहीं तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि ऐसा करने का हमारा कोई विचार नहीं है । यदि अधिष्ठापित धारिता में ही अधिक उत्पादन की सम्भावना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । हम इस के लिए प्रोत्साहन देने को तैयार हैं ।

रेलों पर अपराध

*६०. **श्री घूसिया** : (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में उत्तर रेलों पर यात्रियों के लूटे जाने या जान से मारे जाने या चलती रेलों के डिब्बों से बाहर फेंके जाने की कितनी घटनायें हुईं ?

(ख) उन्हीं रेलों पर १९५२ में ऐसी कितनी घटनायें हुईं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). १९५३ में उत्तर रेलों पर यात्रियों के लूटे जाने या जान से मारे जाने या चलती रेलों के डिब्बों से बाहर फेंके जाने की जो घटनायें हुईं उनकी संख्या क्रमशः ४,१ तथा २ थी जब कि १९५२ में इन घटनाओं की संख्या २,४ तथा १ थी ।

श्री घूसिया : उन घटनाओं के सम्बन्ध में अबतक कितने अपराधी पकड़े गये हैं तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या विशेष पग उठाये गये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : पकड़े गये अपराधियों की संख्या के बारे में मेरे पास ठीक सूचना नहीं है । रेलों पर सुरक्षा के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसके सम्बन्ध में, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की रक्षा के लिए प्रत्येक स्टेशन पर सरकारी रेलवे पुलिस रखी जाती है । चलती

रेलों के लिये हमने रेलवे पुलिस की व्यवस्था की है जो सब रेलों के साथ जाती है। इसके अतिरिक्त खतरे की जंजीर की भी व्यवस्था है। जनाने डिब्बे रेल के मध्य में लगाये जाते हैं। यदि कोई स्त्री उच्च श्रेणी में अकेली यात्रा कर रही हो, तो वह अपने साथ एक अन्य स्त्री को जिसके पास तृतीय श्रेणी का टिकट हो, ले जा सकती है। परन्तु एक बार फिर मैं इस बात पर ज़ोर देता हूं कि यात्रियों की रक्षा, विधि तथा व्यवस्था की समस्या है तथा यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

श्री धूसिया : इस दृष्टि से कि जी० आर० पी० (सरकारी रेलवे पुलिस) के कार्य से जनता सन्तुष्ट नहीं है, क्या सरकार ने सी० आई० डी० की सहायता लेने के प्रश्न पर विचार किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : तथ्य यह है कि राज्य सरकारें सी० आई० डी० तथा असैनिक पुलिस दोनों से ही काम लेती हैं।

नल-कूप

***६१. श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने नल-कूप तैयार हो गये हैं ;

(ख) वर्ष १९५३ में कितने नल-कूप तैयार करने का लक्ष्य था और इनमें से अभी कितने तैयार होने बाकी हैं ; तथा

(ग) नल-कूप तैयार करने के लिये १९५३ तक प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिली है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के अधीन तैयार किये गये नल-कूपों की संख्या इस प्रकार है :

उत्तर प्रदेश	६०६
बिहार	३४६
पंजाब	२८८
पेप्सू	५९

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने नल-कूप बनाने में सरकार को असफलता मिली और उन पर कितना व्यय हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह जो मैंने संख्या बतलाई, करीब करीब सभी सफल हुए हैं।

श्री कमल सिंह : क्या इन नल-कूपों के वितरण का कोई आधारभूत सिद्धान्त है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नल-कूपों की सफलता की संभावनाओं का परीक्षण किया जाता है और फिर राज्य सरकारों के परामर्श से यह वितरण किया जाता है।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : जिन स्थानों में नल-कूप सफल नहीं हो सकते उनकी जलव्यवस्था के लिये सरकार किन वैकल्पिक साधनों का प्रबन्ध कर सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम कुछ परीक्षणात्मक नल-कूप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या का प्रश्न यह है कि जब नल-कूप सफल नहीं हो सकते तब जलव्यवस्था के लिये क्या सरकार दूसरा कोई प्रबन्ध कर सकती है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) पहाड़ी क्षेत्रों में।

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा एक छोटी सिंचाई योजनाओं का भी कार्यक्रम है जिसके अधीन राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव भेजते हैं ।

श्री बोगावत : अब तक तैयार किये गये नल-कूपों द्वारा कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इनमें से प्रत्येक नल-कूप द्वारा लगभग ३०० से ४०० एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है ।

मनीपुर में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना

*६२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में मनीपुर में कितने एकड़ बंजर भूमि कृषि योग्य बनाई गई ;

(ख) उक्त अवधि में भू-हीन किसानों, सहकारिता समितियों तथा अन्य व्यक्तियों को कितने एकड़ कृषि योग्य बनाई गई भूमि दी गई ; तथा

(ग) उक्त भूमि प्राप्त करने के लिये कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ग) तक। अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार मनीपुर के भू-हीन किसानों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े बनाये रखती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मुझे पता नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ भूमि, जिसे कृषि योग्य बना लिया गया था, फिर से कृषि योग्य नहीं रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य किस विशेष क्षेत्र का निर्देश कर रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में क्यों कि इस बारे में सूचना मांगी गई है इसलिये इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना स्थगित रखा जाये ।

गन्ना अनुसन्धान संस्थाएं

*६३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** :- क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में गन्ना अनुसंधान संस्थाएं कितनी हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): देश में सात गन्ना अनुसन्धान संस्थाएं और स्टेशन हैं :—

१. गन्ने की किस्म में सुधार करने वाली संस्था, कोएम्बटूर।
२. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था भदरुक, लखनऊ ।
३. गन्ना अनुसंधान स्टेशन, शाहजहांपुर ।
४. गन्ना अनुसंधान स्टेशन, पूसा, बिहार ।
५. गन्ना अनुसंधान स्टेशन, पेडेगांव, बम्बई ।
६. गन्ना अनुसंधान स्टेशन, अन्नाकपल्ले ।
७. गन्ना अनुसन्धान स्टेशन, जालंधर ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : इन अनुसंधान केन्द्रों में प्रयोग के फलस्वरूप कितने प्रकार की नई ऊख उत्पादित की जा सकी है तथा उत्पादकों के लिये कौन से किस्म की ऊख सबसे लाभप्रद सिद्ध हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इसकी पूरी तफसील है और मैं बतला सकता हूं, लेकिन इसका उत्तर लम्बा होगा।

श्री विश्वनाथ राय : क्या इस कार्य के लिये देश के किसी भाग में, विशेषकर, गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में, नई संस्थाएं स्थापित की जायेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय तो हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय उस बयान को टेबुल पर रखने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

एरनाकुलम-क्योलौन रेल-सम्पर्क

*६४ **कुमारी एनी मस्करीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) एरनाकुलम –क्योलौन रेलवे कड़ी को बनाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) कितने पुल बन कर तैयार हो गये हैं ;

(ग) बजट में इस कार्य के लिये जितनी राशि की व्यवस्था की गई थी उसमें से अब तक कितनी व्यय की जा चुकी है ; तथा

(घ) अब भी कितनी राशि बची है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एरनाकुलम-कोट्टायम क्षेत्र में पहले काम आरम्भ किया गया है तथा इस सेक्शन में भूमि अर्जन का लगभग ८० प्रतिशत, मट्टी डालने का ६० प्रतिशत और पुल बनाने का ३० प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है। अन्य सेक्शनों में अब भी भूमि अर्जन करने का काम चल रहा है।

(ख) ३७।

(ग) लगभग २० लाख रुपये।

(घ) लगभग ५०·६० लाख रुपये।

कुमारी एनी मस्करीन : शेष राशि व्ययगत हो जायेगी या अगले वर्ष के बजट नियतन में जोड़ दी जायेगी ?

श्री अलगेशन : काम चल रहा है, निस्सन्देह, अगले वर्ष के काम के लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी।

कुमारी एनी मस्करीन : रेलगाड़ी कोट्टायम या क्योलौन में खत्म हुआ करेगी ?

श्री अलगेशन : यह काम तीन सेक्शनों में बांटा गया है तथा उसी प्रकार से काम हो रहा है। निस्सन्देह, रेलगाड़ी क्योलौन में ही खत्म हुआ करेगी।

श्री वेलायुधन : क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है कि इस लाइन पर इंजन बिजली से चला करेंगे या साधारण तरीके से ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न पर सक्रिय-रूप से विचार किया जा रहा है।

आंध्र में रेलवे लाईनें

*६५. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र राज्य में योजना-काल में कितनी नई रेलवे लाइनें बनाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस समय प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में आन्ध्र राज्य में कोई नई लाइनें खोलने का विचार नहीं है।

श्री गाडलिंगन गौड़ : मैं जान सकता हूं कि क्या कुरनूल से गूटी तक एक बड़ी लाइन खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या विजयवाड़ा से द्रोणाचलम् तक की रेलवे लाइनों को ब्रांड-गेज लाइनों में बदला जायेगा ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य के सूचनार्थ में यह बताता हूं कि रेनीगुंटा से गुडूर की लाइन जो इस समय मीटर गेज है, ब्रॉड गेज में बदली जा रही है ।

श्री नानादास : क्या आन्ध्र राज्य सरकार ने पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिये नई रेलवे लाइनों की कोई सूची दी है ?

श्री अलगेशन : हां, अगली योजना के तैयार होते समय वह अपनी सूची देगी ।

श्री राघवय्या : क्या सरकार को पता है कि जब माननीय रेल मंत्री मद्रास आये थे तो उन्होंने आन्ध्र के लोगों को यह वचन दिया था कि पकाला और गुडूर के बीच की लाइनें ब्रॉड गेज की कर दी जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं ।

इंजीनियर

***६६. श्री आर० के० चौधरी :** (क) रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सारी भारतीय रेलों के लिये श्रेणी १ के अस्थाई इंजीनियरों का एक समूह (पूल) है ?

(ख) यदि हां, तो इस समूह को बनाने का क्या अभिप्राय है ?

(ग) इस समूह में शामिल ऐसे इंजीनियरों की संख्या क्या है जो वरिष्ट और कनिष्ट श्रेणियों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं और भिन्न भिन्न रेलों के लिये उन्हें कैसा बांटा गया है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इन इंजीनियरों को एक ही वेतन श्रेणी में भिन्न भिन्न प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त किया गया था और वेतन वृद्धि के मामले में एक सी नीति नहीं अपनाई गई है जिसके फलस्वरूप कम सेवा-काल वाला व्यक्ति ज्यादा सेवा-काल वाले की अपेक्षा अधिक वेतन ले रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इंजीनियरों की स्थाई पदावली द्वारा किये जाने वाले कार्य के अलावा विभिन्न रेलों पर तथा विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो अतिरिक्त कार्य होता है उसको पूरा करने के लिये ।

(ग) सोलह, जिनमें से एक वरिष्ट श्रेणी में है और शेष कनिष्ट श्रेणी में । उन्हें विभिन्न रेलों में बांट नहीं दिया गया है वरन आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रेलों में स्थानान्तरित किया जाता है ।

(घ) जी नहीं । इन इंजीनियरों को इनके पिछले अनुभव के आधार पर तदर्थ वेतन-श्रेणी पर नियुक्त किया गया था बाद में इन पर केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन श्रेणियां लागू कर दी गईं थीं और जो वेतन वे उस समय प्राप्त कर रहे थे उसे दृष्टि में रखते हुये संबन्धित नियमों के अन्तर्गत उनके वेतन निश्चित कर दिये गये थे ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिसमें कम सेवा-काल वाले किसी व्यक्ति को ज्यादा सेवा-काल वाले की अपेक्षा अधिक वेतन मिल रहा हो ?

श्री अलगेशन : यह एक अस्पष्ट सा प्रश्न है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता । शायद माननीय सदस्य किसी विशेष मामले का निर्देश कर रहे हैं । यदि वह मुझे उसके बारे में बतायें तो मैं पता लगाऊंगा ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या माननीय मंत्री को ऐसे किसी मामले का पता नहीं है ?

श्री अलगेशन : मैं [illegible] नहीं बता सकता ।

डकोटा जहाज़

*६७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे डकोटा जहाज़ों की संख्या कितनी है जो पुराने हो गये हैं और १४,००० घन्टे की उड़ान करके अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि अच्छे प्रकार के हवाई जहाज़ों के न मिलने के कारण सरकार पुराने डकोटा जहाज़ काम में ला रही है; तथा

(ग) क्या दिसम्बर की हवाई दुर्घटना के कारण इण्डियन एयरलाइन्स को कोई भारी वित्तीय हानि हुई है या हवाई जहाज़ के यात्रियों की संख्या में कोई कमी हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) भारत में ऐसे ४ डकोटा जहाज़ हैं जो १४,००० घंटे की या इससे आधिक की उड़ान कर चुके हैं। इन में से कोई जहाज़ पुराना नहीं समझा जाता और न ही यह कहना ठीक है कि एक डकोटा का जीवन काल केवल १४,००० घंटे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को नागपुर में दिसम्बर में रात्रि सेवा के हवाई जहाज़ की दुर्घटना के कारण तथा हाल ही में विदेशों में हुई अन्य दुर्घटनाओं के कारण कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। हवाई जहाज़ों में आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी कोई विशेष कमी नहीं हुई है।

श्री रघुनाथ सिंह : उनका जीवन काल क्या है ?

श्री राज बहादुर : जीवन काल अनुभव से ही बताया जा सकता है और अनुभव यह है कि अमेरीका में ४०,००० से ६०,००० घंटे तक चल सकते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि चार वर्ष के अन्दर इस प्रकार का कोई जहाज़ हिन्दुस्तान ने बाहर से खरीदा है ?

श्री राज बहादुर : ये डकोटा १९४३ से लेकर १९४८ तक लिये गये हैं और डिस्पोजल्स से लिये गये हैं। जो अमरीका से लिये गये हैं वह १९४८ में ही लिये गये हैं क्योंकि उसके बाद इन का बनना बन्द हो गया।

श्री रघुनाथ सिंह : १९४३ से लेकर १९४८ तक आपने जो पुराने डकोटा लिये, उस से पहले उनका जीवन काल क्या था ; और क्या इस का आप को कोई पता है कि वे कितने दिन चल चुके हैं ?

श्री राज बहादुर : उसी काल में उनका बनना शुरू हुआ था और उसी काल में वह आये थे। वह लड़ाई के जमाने में लिये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में प्रश्न यह मालूम होता है कि इन डकोटा जहाज़ों के खरीदे जाने से पहले ये कितने घंटों की उड़ान कर चुके थे ?

श्री राज बहादुर : युद्ध के समय में यह नये खरीदे गये थे। बाद में, हमें ये असैनिक कार्यों के लिये उत्सर्जन विभाग (डिस्पोज़ल्स) से या सीधे अमरीका से मिले थे।

खाद्य स्थिति

*६८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४ में देश की खाद्य स्थिति क्या है ;

(ख) १९५४ में किन राज्यों में खाद्यान्न की कमी होने की सभावना है; और

(ग) इन कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न के केन्द्रीय भंडार से कितना कितना कोटा नियत किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १९५३-५४ की खरीफ फसल के अच्छा होने के फलस्वरूप और शरद ऋतु की फसल के, जो दो तीन मास में काटी जानी है, अच्छा होने की आशा से १९५४ में देश की खाद्य स्थिति गत कई वर्षों से अधिक अच्छी होने की सम्भावना है ।

संभरण स्थिति अच्छी होने के कारण १-१-१९५४ से मोटे अनाज पर से पूरे रूप से नियंत्रण हटा दिया गया है सिवाय इसके कि सौराष्ट्र, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के बनारस खाद्य प्रदेश के ग्यारह ज़िलों से, जो मोटे अनाज की कमी के क्षेत्र समझे जाते हैं, अनाज इधर उधर ले जाने की अनुज्ञा नहीं दी गई है ।

गेहूं पर से भी नियंत्रण हटा दिया गया है यद्यपि व्यापार के लिय एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने या लेजाने की अभी अनुज्ञा नहीं दी गई है । केन्द्रीय भंडार में गेहूं का पर्याप्त स्टाक है और मात्रा पर बिना किसी प्रतिबन्ध के उपभोक्ताओं और व्यापारियों को १५ रुपये आठ आने प्रति मन थोक भाव पर गेहूं बेचने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

चावल के सम्बन्ध में आशा है कि कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में पर्याप्त अतिरेक होगा ।

(ख) तथा (ग). चावल की कमी वाले राज्यों के नाम और १९५४ में उन्हें बांटे जाने वाले चावल के कोटा के सम्बन्ध में एक विवरण सदन-पटल पर रख गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**.

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या भारत अपनी खाद्य स्थिति को अधिक दृढ़ करने के लिये बर्मा से चावल खरीद रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हम देश में पर्याप्त भंडार रखने के लिये छः लाख टन खरीदने के विषय में बातचीत करते रहे हैं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बर्मा सरकार के अधिक मूल्य मांगने पर डटे रहने के कारण आरम्भ में बातचीत टूट गई और जब वह कम मूल्य पर बेचने वाले थे तब यह चावल अंशतः सड़ गया ?

श्री किदवई : यह सत्य है कि बातचीत गत वर्ष आरम्भ की गई थी । जब मैं ४० पौंड प्रति टन के भाव पर चावल खरीदना चाहता था बर्मा में प्रचलित मूल्य उस समय ६० पौंड प्रति टन था । इसलिये सौदा नहीं हुआ । परन्तु गत मास बातचीत पुनः आरम्भ की गई और हम ने छः लाख टन चावल खरीदने का करार लगभग पूर्ण कर ही लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका अभिकथन यह है कि जिस समय मूल्य कम किये गये चावल सड़ चुका था ।

श्री किदवई : हम वह चावल खरीदेंगे जो सड़ा हुआ न हो । चाहे यह नई फसल हो या पुरानी, इसकी कोई बात नहीं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : मुझे विवरण से पता लगा है कि १९५४ में बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, जम्मू तथा काश्मीर और ट्रावणकोर कोचीन राज्यों में कमी होगी । मैं जान सकता हूं कि क्या बाकी राज्य १९५४ में चावल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर समझे जाते हैं ?

श्री किदवई : कलकत्ता नगर, ट्रावनकोर कोचीन और बम्बई को चावल का सम्भरण किया जाना है । हैदराबाद और मैसूर आत्मनिर्भर हो गये हैं । आंध्र का संभरण मद्रास के शेष क्षेत्र अर्थात् तामिलनाद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त

होगा । इस लिये राज्यों ने जो अतिरेक घोषित किया है वह कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं से लगभग ३ लाख टन अधिक है।

श्री मेघनाद साहा : खाद्य सम्भरण स्थिति काफी अच्छी होने के दृष्टिगोचर, क्या सरकार की नियंत्रण हटाने की कोई सामान्य नीति है ?

श्री किदवई : हम शनैः शनैः खाद्य नियंत्रणों को ढीला कर रहे हैं और सामान्य विचार यह है—और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानता है—कि खाद्य स्थिति पहले से अच्छी है । अन्य खाद्यान्नों पर से नियंत्रण हटा देने के पश्चात् हम चावल का समाहार करते रहे हैं। और प्रत्येक राज्य में मूल्य पर नियंत्रण रखते रहे हैं। परन्तु अब चावल के संबंध में यह स्थिति है कि हम ने उत्तर प्रदेश में समाहार बन्द कर दिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मूल्य भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक थे और हम ने कलकत्ता की अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानों को उत्तर प्रदेश में खुले आम खरीद करने की अनुमति दी है । परन्तु क्योंकि कलकत्ता में इन्हीं मूल्यों पर चावल उपलब्ध था प्रायः किसी ने भी उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं खरीदा इसी प्रकार हम ने पंजाब सरकार को और समाहार न करने के लिए कहा क्योंकि हमें समाहार की आवश्यकता नहीं । कल ही समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि चावल के लाने या ले जाने पर नियंत्रण नहीं होगा और राशनिंग हटा दी गई है । पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता और दार्जिलिंग के नगरों में राशनिंग है । त्रावणकोर-कोचीन में भी खुले बाज़ार के साथ साथ ही राशनिंग है । बम्बई में जहां राशनिंग जारी है, राशन दो आऊंस से साढ़े चार और छः आऊंस तक बढ़ा दिया है। इस से पता चलता है कि संभरण स्थिति अब बहुत अच्छी है । हम ने विदेशों से आयात करने की अनुमति दे दी है और बहुत से लोगों ने अनुज्ञप्तियां प्राप्त की हैं परन्तु मेरा विचार है कि १००० या २००० टन के सिवाय किसी आयातकर्ता ने आयात नहीं किया क्योंकि यहां के मूल्य बहुत कम थे । राशन का चावल इतनी मात्रा में उपलब्ध था कि आयात किया गया चावल नहीं बेचा जा सकता था । मुझे आशा है कि जो ढील की गई है वह पर्याप्त समझी जाती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में राशनिंग पद्धति कब समाप्त की जाएगी ।

श्री एज० वी० कृष्णप्पा : बहुत शीघ्र दो सप्ताह के अन्दर अन्दर ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

श्री राघवय्या : श्रीमान् एक मिनट बाकी है । प्रश्न-काल अभी समाप्त नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस ओर से जैसे घड़ी दिखाई देती है प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बन्द होना

अ.स.प्र. १. डा० राम सुभग सिंह : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के गन्ना-उत्पादकों ने हाल ही में चीनी फैक्टरियों को गन्ना देना बन्द कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उनके ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

(ग) क्या उक्त क्षेत्र की कोई चीनी फैक्टरियां गन्न के न मिलने से बन्द हो गई हैं ?

(घ) यदि ऐसा है, तो इन फैक्टरियों के नाम क्या हैं ?

(ङ) क्या सरकार ने गन्ना-उत्पादकों तथा फैक्टरियों के मालिकों के परस्पर सम्बन्धों को फिर से सुधारने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). जी हां। कुछ क्षेत्रों में गन्ना-उत्पादकों को कुछ स्थायी व्यक्तियों द्वारा यह परामर्श दिया गया कि वह चीनी मिलों को गन्ना देना बन्द कर दें क्योंकि उनका ऐसा विचार था कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप सरकार गन्ने के न्यूनतम दामों को बढ़ा देगी।

(ग) तथा (घ). इसके फलस्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देवबन्द, खतौली, रोहाना कलां, सकोती टांडा, मुहीयुद्दीनपुर, दौराला, मेरठ, मवाना, धामपुर, तथा बिजनौर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिराही तथा घुघली चीनी मिलों को एक से सात दिन तक गन्ना बिल्कुल नहीं पहुंचा।

(ङ) नार्दर्न शूगरकेन ग्रोअर्ज़ (उत्तर भारत गन्ना-उत्पादक संघ) के ८-२-१९५४ को रामकोला में हुए सम्मेलन में सरकारी नीति सम्बन्धी फैसले की, जैसा कि २५-१-५४ की प्रैस टिप्पणी में इसे घोषित किया गया था, पुनः पुष्टि की गई कि गन्ने के न्यूनतम दामों को नहीं बढ़ाया जायगा। इसके फलस्वरूप फैक्टरियों को गन्ने का दिया जाना फिर से आरम्भ हो गया, परन्तु प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गन्ना-उत्पादकों को फैक्टरियों को गन्ने के देने से रोकने के लिए फैक्टरियों पर धरना देना आरम्भ कर दिया।

गन्ना-उत्पादकों तथा फैक्टरी मालिकों के परस्पर सम्बन्धों में इस समय कोई बिगाड़ नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : पिछले वर्ष गन्ने के दामों में कमी करते समय सरकार द्वारा ऐसा विचार किया गया था कि चीनी की कीमत २७ रुपया प्रति मन से अधिक नहीं बढ़ेगी। परन्तु इसके विपरीत चीनी की कीमत सदैव ही इस स्तर से अधिक रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार गन्ने की कीमत को घटाये गए स्तर पर स्थिर रखने का आग्रह क्यों करती है जब कि इन कीमतों को इस निश्चित आश्वासन पर निश्चित किया गया था कि इन्हें चीनी की २७ रुपये प्रति मन की कीमत के अनुसार रखा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि चीनी की क़ीमतों को २७ रुपये प्रति मन से न बढ़ने देने का कोई आश्वासन दिया गया था। पिछले सात या आठ वर्षों से प्रयुक्त हो रहे सूत्र के अनुसार चीनी के दाम २७ रुपये प्रति मन तक नहीं आते हैं। ये कुछ अधिक हैं। प्रत्येक फैक्टरी में ये दाम २७ रुपये प्रति मन से कुछ अधिक होने चाहियें तथा कुछ फैक्टरियों में--उदाहरणार्थ दक्षिण बिहार या पंजाब की फैक्टरियों में वह २७ रुपये बल्कि ३० रुपये प्रति मन से भी कुछ अधिक होने चाहियें। सरकार ने केवल इतना कहा था कि सरकार प्रत्येक मिल के उत्पादन के २५ प्रतिशत भाग को २७ रुपया प्रति मन की दर से खरीद कर दामों के अधिक चढ़ जाने की दशा में वितरण के लिए रक्षित रूप से रखेगी। दक्षिण बिहार या पैप्सू की फैक्टरियों के सिवाय जहां यह उसी क़ीमत पर बिक रही है जो कि इस हिसाब से होनी चाहिये, दाम सर्वत्र अधिक हैं। ये दाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में अधिक हैं। परन्तु प्रदाय के कम होने की अवस्था में दामों का अनिवार्य रूप से चढ़ जाना

निश्चित है । गन्ने का दाम जो १ रु० ७ आ० निश्चित किया गया था इस में चीनी के दामों को इतना विचाराधीन नहीं रखा गया था जितना कि किसान को दूसरी फ़सलों के उगाने के स्थान पर कोई विकल्प देने का उद्देश्य था इसका अर्थ यह हुआ कि चीनी के दाम सदैव अधिक रहेंगे, चाहे उत्पादित मात्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी ही क्यों न हो । अतएव मैंने यह सुझाव गन्ना-उत्पादक को उस अतिरिक्त लाभ में से भाग लेने में समर्थ बनाने के लिए किया था जो चीनी मिलें प्रदाय के कम होने के कारण कमाती हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि गन्ना-उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ में से भाग मिलना चाहिये । मैं जान सकता हूं कि मिलों द्वारा कमाये गये अतिरिक्त लाभ में से गन्ना उत्पादकों को भाग देने की प्रणाली क्या होगी ? मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उन्हें मिलों द्वारा पिछले वर्ष कमाये गये लाभ में से भी कोई भाग मिलेगा ?

श्री किदवई : दक्षिण भारत की फैक्टरियों के अतिरिक्त और मामलों में पिछले वर्ष के बारे में सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है । यह सुझाव पिछले वर्ष दिया गया था तथा उन्होंने स्वयं एक सूत्र बनाया था जिसके अनुसार बहुत से गन्ना उत्पादकों को कुछ अतिरिक्त दाम, जो दो आना से लेकर चार आना प्रति मन तक थे तथा विभिन्न फ़ैक्टरियों की आय के अनुसार थे, मिले थे । परन्तु इस मामले में यह सूत्र केवल इसी वर्ष के लिए ही लागू रहेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : यदि सरकार चीनी की क़ीमत पर काफ़ी नियन्त्रण नहीं कर सकी तो कितने समय तक वह गन्ने के दामों पर नियन्त्रण करने का विचार करती है ?

श्री किदवई : मैं ने इस सदन को तथा गन्ना उत्पादकों को पिछले वर्ष यह प्रस्तावना की थी कि यदि गन्ना उत्पादक न्यनतम दाम लेने के लिए उत्सुक न हों तो म इसे वापस लेने को तैयार हूं तथा उत्पादक और फैक्टरी मालिक परस्पर इस बात का फैसला कर लें ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह आन्दोलन अभी तक जारी है या समाप्त हो चुका है ?

श्री किदवई : आन्दोलन के बारे में जैसा मैं ने कल कहा था, अब तो झगड़ा पी० एस० पी० लीडर्स और केन-ग्रोअर्स (गन्ना-उत्पादकों) में है । कल रात को अखबार में यह रिपोर्ट छपी कि एक जगह पर केन ग्रोअर्स की तरफ से पी० एस० पी० लीडर्स पर हमला हुआ । मैं ने उस जगह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को टैलीफ़ोन किया तो मालूम हुआ कि उन्होंने गाड़ी वालों को रोका था, गाड़ीवालों ने उन पर हमला किया और मिल की लेबर भी उनमें शरीक हो गयी । तो अब जो झगड़ा है वह केन-ग्रोअर्स और पी० एस० पी० लीडर्स में है । अब झगड़ा मिल ओनर्स और केन-ग्रोअर्स में नहीं है । मैं समझता हूं कि देहात वालों ने ज्यादा अक्लमन्दी दिखलायी कि उन्होंने उसमें शरीक होने से इन्कार किया ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो मंत्री जी ने बतलाया कि जो मुनाफ़ा होगा वह केन-ग्रोअर्स को मिलेगा, तो उसको तै करने में कितना समय लगेगा ?

श्री किदवई : जब लोग तै करने के लिए तैयार होंगे तो तै हो जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : कौन तै करेगा । आपने वक्तव्य दिया है कि ज्यादा प्राफिट (लाभ) में से केन-ग्रोअर्स को शेअर मिलगा तो गवर्नमेंट इसको कब तक तै करेगी ?

श्री किदवई : ते क्या करना है । अभी तो केन-ग्रोअर्स तैयार नहीं मालूम होते ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या यह सही है कि जौनपुर और शाहजहांपुर की मिलें अभी बन्द हैं ?

श्री किदवई : यह ख्वाब की बात है । पहले तो चार रोज़ बन्द थीं, मगर अभी चल रही हैं ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या अभी भी सरकार की तरफ़ से गिरफ्तारियां हो रहीं हैं ? कल मैं ने बतलाया था कि २८८ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं । वह अब ३६४ हो गई हैं ।

श्री किदवई : जैसा मैं ने अर्ज़ किया कि केन-ग्रोअर्स गन्ना लाते हैं और वह लोग गाड़ियों को रोकते हैं । तो उनको साफ़ करने में गिरफ्तारियां होती हैं ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीनी की क़ीमत को प्रत्येक वर्ष चीनी-निर्माताओं के निर्माण-परिव्यय के लेखाओं की जांच पड़ताल करने के बाद निश्चित किया जाता है तथा उस पर उन्हें कुछ लाभान्तर दिया जाता है, गन्ने के उत्पादन परिव्यय को निश्चित करने तथा उस पर कुछ लाभान्तर देने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री किदवई : मैं इसे कई बार कह चुका हूं कि किसी व्यक्ति को गन्ना उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाता है । यदि किसी को गन्ने के उत्पादन में कोई लाभ दिखाई न दे तो वह चावल या गहूं पैदा कर सकता है जो हमारे लिए अधिक लाभप्रद हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औद्योगिक क्षेत्रों के लिये सड़कें

***३९. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विद्यमान सड़कों को सुधारने और मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों के लिये नई सड़कों को बनाने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिये कुल कितनी राशि दी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । मुख्य रूप से औद्योगिक क्षत्रों के लिये सड़क विकास की कोई योजना नहीं बनाई गई है । हाल ही में पंच वर्षीय योजना के अधीन निम्नलिखित श्रणियों की राज्य सड़कों के विकास के लिये राज्यों में अनुदान के रूप में वितरण करने के लिय १० करोड़ रुपये का एक उपबन्ध दिया गया है :—

(१) 'सीधे' संचार की व्यवस्था के लिये आवश्यक अन्तर्राज्यीय सड़कें ;

(२) एसे नये क्षत्रों को जिनमें निकट भविष्य में रेल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा सकती ह, खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें ; तथा

(३) एसी सड़कें जिनसे द्रुत आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती हो ।

रेलवे कुलियों की वर्दियां

***४२. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दक्षिण रेलवे पर कुलियों को प्रतिवर्ष वर्दियों के कितने जोड़े दिये जाते हैं ; तथा

(ख) इन वर्दियों के लिये इन कुलियों से किस दर पर धन वसूल किया जाता है और इस वसूली का आधार क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) दो;

(ख) वर्दियों के मूल्य और देख रेख करने वाले संगठन पर होने वाले व्यय को "बिना किसी लाभ या हानि" के आधार पर पूरा करने के लिए प्रति कुली एक रुपया प्रतिमास अनुज्ञप्ति शुल्क लिया जाता है।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*४६. **श्री गोपाल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस समिति ने, जो कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के संचालन के संबंध में जांच करने के लिय नियुक्त की गई थी, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसमें उसने कौन सी महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी नहीं, श्रीमान्। उस समिति द्वारा कुछ ही दिनों में अपने प्रतिवेदन के दे दिये जाने की संभावना है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

उड़ीसा का चावल

*६९. **डा० नटवर पांडे** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र को और विभिन्न राज्यों को १९४६ से १९५३ तक अलग अलग और प्रतिवर्ष चावल की कुल कितनी मात्रा दी गई थी ?

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा दिये गये भिन्न भिन्न प्रकारों के चावल की प्रति मन दर क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख)। विभिन्न कमी वाल राज्यों को वर्ष १९४६ से १९५३ में उड़ीसा से निर्यात की गई चावल की मात्रा और उन वर्षों में उड़ीसा सरकार द्वारा लिये गये भिन्न भिन्न प्रकारों के चावल के मूल्य दिखाने वाले दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १६]**

डाक्टरी परीक्षण के अनुसार अयोग्य रेलवे कर्मचारी

*७०. **श्री फ्रेंक एन्थनी** : (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन रेलवे कर्मचारियों के लिये, जो अपने मूल पदों के लिये डाक्टरी परीक्षण के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिये गये हैं, वैकल्पिक नौकरी ढूंढने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि कर्मचारियों की उस समय की उपलब्धियों का, जब कि वे डाक्टरी परीक्षण के अनुसार अयोग्य पाये गये थे, कोई ध्यान रखे बिना ही वैकल्पिक नौकरियां दी जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख)। उन रेल कर्मचारियों को, जो कि समय समय पर होने वाले दृष्टि संबंधी अथवा डाक्टरी परीक्षणों में असफल हो जाते हैं अथवा अन्यथा शारीरिक रूप से उस श्रेणी के कार्यों को करने के अयोग्य हो जाते हैं जिसमें वे सेवायुक्त होते हैं, तो उन को तुरंत ही नौकरी से निकाला नहीं जाता है, परन्तु उन्हें छः मास तक की अवधि की छुट्टी दे दी जाती है। इस प्रकार से मंजूर की गई छुट्टी की अवधि में, एसे रेलवे कर्मचारियों को, उनकी पहले की उपलब्धियों का ध्यान रखते हुए, उचित उपलब्धियों पर कोई वैकल्पिक नौकरी दी जाती है। इन कर्मचारियों के मामलों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है और डाक्टरी

परीक्षण के अनुसार अयोग्य ठहराये गये कर्मचारियों को यथासंभव उन श्रेणियों में, जो कि उन श्रेणियों के निकट होती हैं जिनमें वे पहले काम करते थे, खपाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण

***७१. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण की योजना के अधीन यातायात समवायों अथवा उन के मार्ग सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने पर क्या समान स्तरों पर क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): जी नहीं। अभी मामला विचाराधीन है।

रेलवे बोर्ड में लेखापाल

***७२. श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ लेखापालों के कितने पद हैं, और उनके भर्ती किये जाने की क्या पद्धति है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि निकट भूतकाल में भर्ती केवल उत्तरी रेल तक ही सीमित रही है ?

(ग) क्या ये नियुक्तियां अवधि के आधार पर की जाती हैं ?

(घ) यदि हां, तो कितने समय के लिये, और यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या इन पदों के लिये कुछ विशेष वेतन मिलते हैं, और यदि हां, तो किस दर से ?

(च) क्या यह विशेष वेतन स्थानीय रेलवे प्रशासनों से स्थानान्तरित किये गये व्यक्तियों को भी मिलता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) पांच कनिष्ठ तथा पांच वरिष्ठ लेखापाल। उन पदों को रेलवे लेखा कार्यालयों से योग्य व्यक्तियों को चुन कर भरा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ)। नियुक्तियां निश्चित अवधि के लिये की जाती हैं, जो साधारणतया तीन से पांच वर्ष तक की होती हैं।

(ङ) जी, हां। लेखापाल के वेतन का १५ प्रतिशत।

(च) जी, हां।

चावल बोने की जापानी पद्धति

***७३. {श्री गोपाल राव :
श्री एस० एन० दास :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस भारतीय मिशन ने जो चावल बोने की पद्धति का अध्ययन करने के लिये जापान गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिपारिशें क्या हैं ; तथा

(ग) अब तक उन में से कौन सी सिपारिशें स्वीकार की गई हैं और कार्यान्वित की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां।

(ख) उक्त प्रतिवेदन खेती के उन विभिन्न पहलुओं का जो जापान में चावल की अधिक उपज में सहायक हैं एक अध्ययन है। प्रतिवेदन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) उक्त प्रतिवेदन सभी राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध अनसंधान शालाओं में परिचालित किया

गया है ; ताकि इस देश में लाभप्रद रीति से जिन जिन पद्धतियों को अपनाया जा सकता है, अपनाया जाए ।

नागपुर विमान दुर्घटना

***७४. श्री मुनिस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिसम्बर १९५३ के दूसरे सप्ताह में नागपुर में हुई विमान दुर्घटना में नष्ट हुई डाक सामग्रियों के कुल मूल्य का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) बीमा कृत वस्तुओं और मनी आर्डरों के कारण कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ; तथा

(ग) क्या बीमा कृत वस्तुओं और मनी आडरों के सम्बन्ध में लोगों के दावों का फैसला कर दिया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) नष्ट हो गई बीमा कृत वस्तुओं का मूल्य ६०,४४९ रुपये ७ आने है । मनी आर्डरों के सम्बन्ध में कोई हानि नहीं हुई है ।

(ग) जी, हां । जब भी दावे प्राप्त होते हैं उन का फैसला किया जाता है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

***७५. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या गत दिसम्बर में दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संघटन द्वारा आयोजित सेमीनार (गोष्ठी) ने सरकार से कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) वे सिफारिशें क्या हैं और किन विषयों से सम्बन्धित हैं ; तथा

(ग) सरकार उन पर क्या निर्णय कर रही है ?

स्वास्थय मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) दिसम्बर १९५३ में दिल्ली में हुई विश्व स्वास्थ्य संघटन की गोष्ठी की सिपारिशें अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

बागान श्रमिक अधिनियम

***७६. श्रीमती रेणु चक्रर्ती** : क्या **श्रम** मंत्री तिथि २१ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११९० के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और यह बतायेंगे कि बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ के जल्दी ही लागू होने की आशा कब तक की जा सकती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : बागान श्रमिक अधिनियम लागू करने का प्रश्न बागान की औद्योगिक समिति की कलकत्ता में पिछले महीने हुई एक बैठक के समक्ष उपस्थित किया गया था । इस बैठक में नियोजकों और श्रमिको के हितों के प्रतिनिधि पहली अप्रैल, १९५४ से अधिनियम को लागू करने के लिये सामान्यतया सहमत हो गये हैं । इस मामले में सरकार आगे के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

सामूहिक मंत्रणा संगठन

***७७. श्री नानादास** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्त: सरकार सामूहिक मंत्रणा संगठन की सदस्यता स्वीकार करन के सम्बन्ध में भारत के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस प्रश्न पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है ।

मानसिक रोगों का अस्पताल, रांची

*७८. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि कब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा रांची के मानसिक रोगों के अस्पताल को ले लिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : यह योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई है। चूंकि यह संस्था अनेक राज्यों की आवश्यकताएँ पूरी करती है इसलिये उनकी मंत्रणा लेना अनिवार्य है : सभी राज्यों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं और यह विषय भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

रेल दुघटनायें

*७९. **श्री गिडवानी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५४ से ५ जनवरी, १९५४ तक दुघटनाओं के परिणामस्वरूप मरे हुए यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है और किस प्रकार की क्षति हुई है ; और

(ग) सम्पत्ति की कुल हानि कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९ यात्री और ८ रेल कर्मचारी।

(ख) ३७ यात्री और १९ रेल कर्मचारी घायल हुए। इंजिन, रेलगाड़ी के डिब्बों, स्थायी रेल-पटरी तथा रेल के अन्य सामान को भिन्न भिन्न मात्रा में हानि हुई।

(ग) रेल सम्पत्ति को अनुमानत : ३,०७,१७५ रु० की हानि हुई है।

रेलवे की सहकारी संस्थायें

*८०. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे सहकारी संस्थाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) संस्थाओं के सदस्यों की कुल संख्या और परिदत्त पूंजी का अंश ; और

(ग) रेलों में काम करने वाले मनुष्यों की संख्या में से कितने प्रतिशत सदस्य लिये जाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सं० १७]**

पी० एल० एस० आन्दोलन

*८१. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जून और दिसम्बर १९५३ के पी० एल० एम० साप्ताहिक आन्दोलनों में जिन पार्सलों की जांच की गई है उनकी संख्या कितनी है और उक्त आन्दोलनों में सन्तोषजनक अवस्था में पाये गये पार्सलों की संख्या (अलग अलग आंकड़ों सहित) कितनी है;

(ख) १९५३ में माल भेजने वालों द्वारा रेलवे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के दायित्व की कुल रकम कितनी है; और

(ग) दी गई क्षतिपूर्ति की कुल रकम कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) भेजे जाने वाले कुल पार्सलों की नहीं अपितु जांच किये गये पार्सलों की संख्या रखी गई है। जून और दिसम्बर १९५३ के पी० एल० एम० साप्ताहिक आन्दोलनों में जांच किये गये पार्सलों की संख्या क्रमश : १४,०९,०२१

और १५,१६,२६२ थी, इनमें से पैकिंग (बंधाई), लेबलिंग (लेबिल लगाने) और मार्किंग (संख्या, आदि लिखे जाने) की दृष्टि से ११,१४,१२५ और १२,७७,५१२ पैकेट संतोषजनक अवस्था में पाये गये थे ।

(ख) इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि रेलवे संस्था, अपने पास इस प्रकार के दावों के आर्थिक मूल्य सम्बन्धी आंकड़े नहीं रखती है ।

(ग) १९५३ में क्षतिपूर्ति स्वरूप दी गई रकम ३,०७,८५,४५४ रुपये थी ।

मनीपुर में पशु चिकित्सा अस्पताल

***८२. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में इस समय कुल कितने पशु-चिकित्सा अस्पताल हैं तथा पंच वर्षीय योजना के शेष वर्षों में और कितने ऐसे अस्पताल खोले जायेंगे ;

(ख) क्या मनीपुर में पशु-चिकित्सा विभाग सामान्य चिकित्सा-विभाग के अधीन है; और

(ग) यदि है तो इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) तक । सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

फसलों को नुकसान

***८३. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी १९५४ में शीत लहर तथा तुषारपात के कारण किन किन राज्यों में फसल को नुकसान पहुंचा है; तथा

(ख) नुकसान अनुमानतः कितने प्रतिशत हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) । प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी १९५४ में बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पेप्सू तथा राजस्थान के कुछ भागों पर शीत लहर तथा तुषारपात का दुष्प्रभाव पड़ा है तथा कुछ क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचने के भी समाचार मिले हैं ।

कितना नुकसान हुआ इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं ।

मनीपुर में चावल उत्पादन की स्थिति

***८४. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ के फसल काटने के मौसम में मनीपुर में कितना चावल पैदा किया गया है ;

(ख) क्या मनीपुर, वर्ष १९५४ में चावल में आत्म-निर्भर होगा ;

(ग) क्या यह सत्य है कि मनीपुर में चावल की कीमतें बढ़ने लगी हैं ;

(घ) यदि लगी हैं, तो सरकार ने कीमतों के बढ़ जाने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) अभाव की स्थिति के पुनरावर्तन को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५२-५३ में मनीपुर ने ७१,००० टन अनाज पैदा किया । १९५३-५४ के लिए सूचना उपलब्ध नहीं ।

(ख) मनीपुर गत चार वर्षों में चावल निर्यात करता रहा है। १९५४ में इसके आत्म-निर्भर होने की आशा है।

(ग) जी नहीं, सितम्बर, १९५३ से कीमतें गिर ही रही हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ङ) प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि मनीपुर में चावल का प्रदाय संतोषजनक है तथा अभाव की स्थिति उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं।

अनाज की कीमतें

***८५. { श्री गोपालराव :
पंडित डी० एन० तिवारी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटे अनाज के पूर्ण विनियंत्रण के बाद क्या अनाज की कीमतों में कोई वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हां, श्रीमान्. आधिक्य वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है ; परन्तु कमी वाले क्षेत्रों में इसके उलट, कीमतों में कुछ कमी हुई है। विनियन्त्रण से पूर्व कुछ आधिक्य वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज की कीमतें लगभग अनार्थिक स्तर तक पहुंच गई थीं।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

***८६. { श्री भागवत झा आजाद :
डा० राम सुभगसिंह**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या कृषि अनुसंधान की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् ने बंगलौर या किसी और स्थान में ऐसे केन्द्र खोलने की सिफ़ारिश की है :

(ग) इन पर अनुमानतः क्या व्यय होगा ; तथा

(घ) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को ऐसे केन्द्र खोलने के लिये वित्तीय सहायता देगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख)। जी हां।

(ग) बंगलौर स्थित केन्द्रीय स्टेशन पर तीन वर्षों में कुल २००,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(घ) जी नहीं, क्योंकि बंगलौर स्थित केन्द्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तीन वर्ष तक प्रयोगात्मक रूप से सभी राज्यों को, जिन्हें कि इस की आवश्यकता हो, निःशुल्क रूप से वीर्य प्रदान करता रहेगा।

नौ परिवहन

***८७. श्री नाना दास** : क्या **यातायात मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बात के सुनिश्चियन के लिए क्या उपबन्ध किये हैं कि भारतीय नौ परिवहन समवायों को प्रस्थापित इस्पात संयंत्र, रेल डिब्बे बनाने की फैक्टरी, विस्फोट फैक्टरी तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य उपक्रमों के लिए आयात की जाने वाली मशीनरी के भाड़े का उचित भाग मिले ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): भाड़ा प्राप्त करने का प्रश्न मूल रूप से भारतीय नौ परिवहन समवायों की अपनी जिम्मेदारी है, परन्तु सरकार इन समवायों को सरकारी माल अथवा सरकार के नियंत्रण में माल का अधिकाधिक भाग उठाने के बारे में यथासंभव, ऐसी सहायता दे रही है :

पंजाब में व्यवसायिक केन्द्र

५. डा० सत्यवादी : क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब के व्यवसायिक प्रशिक्षण

केन्द्रों में कितने लोग विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और इन में अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं ; तथा

(ख) कन्याओं के लिये कितने केन्द्र हैं तथा विभिन्न व्यवसायों में कितनी कन्यायें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और उनमें अनुसूचित जाति की कितनी हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) अनुसूचित जातियों के ११७ व्यक्तियों सहित कुल संख्या २९१ है।

(ख) नई दिल्ली, मद्रास और देहरादून में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिये एक एक केन्द्र हैं और इस तरह इन के लिये कुल तीन प्रशिक्षण केन्द्र हैं। दिसम्बर १९५३ के अन्त में इन केन्द्रों में ३८८ महिलायें प्रशिक्षण पा रही थीं। इन के अतिरिक्त, अन्य प्रशिक्षण-केन्द्रों में पुरुष प्रशिक्षार्थियों के साथ साथ ७५ महिलायें प्रशिक्षा पा रही थीं। कुल ४६३ महिला प्रशिक्षार्थियों में से ६ महिलायें अनुसूचित जातियों की थीं।

कम्पोस्ट खाद योजना

६. डा० सत्यवादी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब में कम्पोस्ट (मिली-जुली) खाद योजना के सम्बंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) १९५० से हर वर्ष कितने गड्ढे बनाये गये और कितनी खाद तैयार की गई ;

(ग) इस में से कितनी खाद बांटी गई ; तथा

(घ) इस समय तक इस योजना पर पंजाब में भारत सरकार कितना व्यय कर चुकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) पूर्वी पंजाब खाद संरक्षण अधिनियम, १९४९ इसीलिये पारित किया गया था कि राज्य सरकार उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां यह अधिनियम लागू किया गया, अनिवार्यतः खाद का संरक्षण करा सके। नगरपालिका के अन्तर्गत क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के उपबन्धों को रखने के लिये पंजाब नगरपालिका अधिनियम, १९११ का संशोधन किया गया था। मिली-जुली खाद बनाने के कार्य को विस्तार देने के लिये राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं उन में प्रदर्शन, प्रदर्शनी, कम्पोस्ट सप्ताह आयोजन, वन-महोत्सव आदि शामिल हैं, जो प्रति वर्ष आयोजित होते हैं। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कम्पोस्ट खाद की मात्रा नागरिक क्षेत्रों में १९४७-४८ में ५९२६ टन थी और १९५२-५३ में १४८,४१९ टन हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में १९४७-४८ में ८०,००० टन थी और १९५१ में २,५१०,८३४ टन हुई है।

(ख) और (ग)। प्रति वर्ष खोदे जाने वाले गड्ढों की संख्या के सम्बन्ध में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है एक विवरण, जिस में १९५० से तैयार की गई तथा ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में बांटी गई कम्पोस्ट खाद की मात्रा दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]

(घ) पंजाब सरकार की कम्पोस्ट खाद योजना पर १९४७-४८ से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों के रूप में १,७१,८०० रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

चुनाव बोर्ड

७. श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या रेल मंत्री सहायक चिकित्सा अधिकारियों के चुनाव के सम्बन्ध में १६ दिसम्बर, १९५३

को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४७५ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि "उचित रूप से बनाया गया चुनाव बोर्ड" किस प्रकार बना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उत्तर रेलवे का चुनाव बोर्ड ३मुख्य पदाधिकारियों—ज्येष्ठ उप-महाप्रबन्धक और चिकित्सा-सम्बन्धी तथा यंत्र-सम्बन्धी विभागों के मुख्यों—और उपमहाप्रबन्धक (कर्मचारी वर्ग) से बना है । पूर्वी रेलवे में इस बोर्ड में ३ मुख्य पदाधिकारी (जिन में से दो पूर्वी और उत्तर रेलवे विभागों के मुख्य थे और तीसरा मुख्य लेखा पदाधिकारी था) और उप-महाप्रबन्धक (कर्मचारी वर्ग) थे ।

राज्यों का अनुदान

८. **श्री टी० वी० विट्ठल राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को विकसित करने के हित वर्ष १९५३-५४ के लिये भारत के विभिन्न राज्यों को कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) किस प्रयोजन के लिये यह अनुदान दिया गया ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक राज्य की कितनी राशि मिलने से रह गई है ; और

(घ) इन राशियों के मिलने से रह जाने के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) और (ख) । १९५३-५४ के लिये राज्य सरकारों को कोई भी नगद अनुदान नहीं दिये गये । राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना के अन्तर्गत उन को कुछ सामग्री तथा उपकरण दिया गया, जिस का देय आगम शुल्क सहित मूल्य अनुदानों के रूप में माना जाएगा । चूंकि अभी भी यह सामान दिया जा रहा है और नवीनतम लेखा उपलब्ध नहीं है अतः ऐसे अनुदानों की वास्तविक राशि नहीं बताई जा सकती ।

(ग) राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों के हित उपबन्ध में किसी राशि के रह जाने का प्रश्न तो चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में ही उठ सकेगा ।

(घ) इस समय यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

खाद्यान्न का आयात

१०. **श्री गोपालराव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में आयात किये गये खाद्यान्न में से कम मात्रा पहुंचने के कारण कितनी क्षति हुई : और

(ख) इन क्षतियों के लिये नौपरिवहन कम्पनियों से कितनी धन राशि प्राप्त की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) । वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में आयात किये गये खाद्यान्न की पूरी मात्रा न पहुंचने के कारण जो क्षतियां हुईं और नौपरिवहन कम्पनियों से अब तक जितनी धनराशि प्राप्त की गई उस का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (१००० टनों में)	अब तक प्राप्त दिया गया धन (रुपयों में)
१९५०–५१	२१.१	६,३००
१९५१–५२	१८.५	१७,२००
१९५२–५३	७.१	१०,४००

सत्यमेव जयते

बुधवार,
१७ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक-सभा

बुधवार, १७ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

३–८ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ते में अध्यापकों की हड़ताल

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री एच० एन० मुकर्जी तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना मिली है । यह निम्न है :

"एक अत्यधिक सार्वजानिक महत्व के विषय, अर्थात्, कलकत्ते में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की शान्तिपूर्ण हड़ताल के विरुद्ध पुलिस तथा सैनिक बल प्रयोग से उत्पन्न होने वाली संकटपूर्ण स्थिति पर चर्चा करने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये ।"

मेरे विचार में मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव को इस सदन में स्वीकार नहीं किया जा सकता । शिक्षा पूर्णतया राज्य का विषय है । (**अन्त-**

बाधा) । इस में विधि तथा व्यवस्था का भी प्रश्न है । इस प्रश्न को सम्बद्ध राज्य को तय करना है और यह उस राज्य में विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे यह समझ नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार इस विषय में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है ।

एक माननीय सदस्य : सेना बुलाई गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि देश के किसी भी भाग में कुछ हो तुरन्त स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है । सदस्यों को देश की वैधानिक रचना को समझना चाहिये । प्रत्येक राज्य का अपना विधान-मण्डल है और मेरे विचार में राज्य के स्वायत्त-शासन में हस्तक्षेप करना केन्द्र के लिये ठीक नहीं होगा । यदि कोई बहुत अधिक राष्ट्रीय महत्व का विषय हो तो दूसरी बात है; किन्तु किसी राज्य में होने वाली कोई भी बात चाहे उस के प्रति हमारी कितनी ही सहानुभूति तथा उस के विरुद्ध कितना ही रोष क्यों न हो इस सदन में स्थगन प्रस्ताव की चर्चा का विषय नहीं बन सकती ।

यह तो इस का एक पहलू है । यदि किसी बात के विषय में कुछ जानना हो तो उस का सब से अच्छा ढंग अल्प-सूचना प्रश्न पूछना है । नये नियमों में ऐसे विषयों पर थोड़ी चर्चा करने के लिये काफी सुविधायें दी गई हैं । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । केवल सेना के बुलाने से कोई विषय केन्द्रीय

[अध्यक्ष महोदय]

विषय नहीं बन जाता । सेना तो अस्थायी रूप से राज्य बल की सहायता के लिये उन्हीं के नियंत्रण में बुलाई गई थी ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : केन्द्रीय सरकार ही तो प्रान्तीय सरकार की सहायता के लिये अपनी सेना भेज कर इस विषय को केन्द्र के क्षेत्राधिकार में ले आई है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं तर्क करना नहीं चाहता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सरकार की जल्दबाजी की कार्यवाही से भारत के सब से बड़े नगर में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और उस स्थिति को संभालने के लिये सेना बुलाई गई है । चाहे उस क्षेत्र में बुलाई गई सेना पर राज्य सरकार का कुछ अधिकार हो, किन्तु मेरा यह निवेदन है कि जब राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी और केन्द्र ने यह देखा कि नागरिक पुलिस की सहायता के लिये सेना भेजना अभीष्ट है तो केन्द्र का उत्तरदायित्व स्पष्ट है । कलकत्ते में जो कुछ हुआ है उस का किसी भी दल का कोई व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता । वहां छै व्यक्ति मारे गये हैं जिन के नाम मेरे पास हैं और समय मिला तो मैं उन्हें आप को बता भी दूंगा । आज के स्टेट्समैन के सम्पादकीय लेख में लिखा है कि अहिंसक प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और इस से जो कुछ वहां हुआ है उस के लिये एक "बहाना" मिल गया । स्टेट्समैन में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है । यदि इस प्रकार का वक्तव्य·····

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री अलगू राय शस्त्री (जिला आज़मगढ़--पूर्व व जिला बलिया--पश्चिम) : आप ने अपना निर्णय दे दिया था । अध्यक्ष महोदय आप ने अभी करीब करीब अपना निर्णय दे दिया था । जब आप निर्णय दे चुके कि यह जो एडजोर्नमेंट मोशन है वह नहीं रखा जा सकता, तो उस के बाद उस के ऊपर फिर बहस करने का अवसर कहां से आता है जोकि श्री हीरेन मुकर्जी साहब को इतना समय दिया गया ?

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : यह क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ? यह आप बताइये कि चेयर में कौन हैं, आप हैं या आप ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह बहुत अनियमित है । सदस्यों को इस प्रकार खड़े हो कर आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिये । मैं ने अपना दृष्टिकोण रखा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । किन्तु फिर भी प्रस्ताव की पूर्व सूचना देने वाले माननीय सदस्य को मुझे पुनः विश्वास कराने और निवेदन करने का अधिकार था । इस प्रकार यह स्थगन प्रस्ताव समाप्त होता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, क्या मैं यह समझूं कि आप अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : तो क्या आप मुझे एक वक्तव्य देने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यदि इस प्रकार के विषय में जिस से कि हमें इतना अधिक उद्वेग हुआ है आपका निर्णय यह है कि संसद् इस विषय पर चर्चा के लिये अपना

थोड़ा-सा समय भी नहीं दे सकती और यदि संसद् में इस प्रकार कठोरता से नियमों को लागू किया जाना है तो मुझे भय है कि हम इस सदन में नहीं बैठ सकते......

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हम आज की कार्यवाही के समय अनुपस्थित रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह जैसा चाहें कर सकते हैं । (अन्तर्बाधायें) ।

बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी (हस्तान्तरित दायित्व) विधेयक

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी, लिमिटेड पर केन्द्रीय सरकार को कुछ देनगी देने का दायित्व डालने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी, लिमिटेड पर केन्द्रीय सरकार को कुछ देनगी देने का दायित्व डालने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अलगेशन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक--मध्य) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष है :

"१५ फरवरी १९५४ को संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों को राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण देने की कृपा की है, उस के लिये लोक-सभा के इस सत्र में समवेत सदस्य राष्ट्रपति के अत्यन्त आभारी हैं ।"

यद्यपि यह अभिभाषण बहुत छोटा है किन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है । इस में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का वास्तविक चित्रण किया गया है । गत वर्ष में राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में जो सफलता मिली है उस पर तथा असफलता और उस के कारणों के बारे में प्रकाश डाला गया है । अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निकट भविष्य में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों एवं नीतियों के सम्बन्ध में उन्होंने विस्तृत रूप से उल्लेख किया है ।

अभिभाषण के प्रारम्भ में आन्ध्र राज्य के निर्माण के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है । राज्यों के पुनर्गठन का भी उल्लेख मिलता है । राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सभी व्यक्ति चाहते थे कि यह कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाय किन्तु संतोष की बात है कि इस के लिये अब तक एक आयोग बना दिया गया है । यदि सभी व्यक्ति सहयोग की भावना से इस समस्या को निपटाने के लिये प्रयत्न करें तो मेरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही यह समस्या सुलझ जायगी ।

पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख किया गया है । यह ठीक है कि इस योजना काल का आधा समय बीत गया है और प्रत्येक मदों में हमें सफलता नहीं मिली है किन्तु फिर भी कुछ मदों में तो काफ़ी सफलता मिल गई है । खाद्य स्थिति भी काफी सन्तोषजनक है । पंचवर्षीय योजना में खाद्य के बारे में आत्म-निर्भर होने के लिये काफ़ी ज़ोर डाला गया है । किन्तु बहुत थोड़े समय में ही हम ने इस पर काबू पा लिया है और इस में हमें सफलता मिल गई है । कृषि की बहुमुखी

[श्री जी० एच० देशपांडे]

उन्नति के लिये भी पंचवर्षीय योजना में काफी ज़ोर डाला गया है। पिछले ढाई वर्षों में समस्त भारत में प्रयत्न किये गये हैं और उन प्रयत्नों का फल हमें अब अच्छी फसल के रूप में मिल रहा है जो बड़े हर्ष की बात है।

सामुदायिक परियोजनाओं की ओर भी एक निर्देश किया गया है। अभी कुछ ही दिन हुए मैं ने अपने जिले के सामुदायिक परियोजना क्षेत्र का भलीभांति दौरा किया था। वहां जो कुछ मैं ने देखा सुना उस के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि वहां के लोगों में विकास कार्य को करने के लिये वैसा ही उत्साह है जैसा कि १९३० के आन्दोलन के समय देखने में आता था। मैं ने सर्वत्र जनता में बहुत जागृति पाई। लोग स्वेच्छा से ऐसी योजनाओं में सहयोग दे रहे हैं, और वे यह अनुभव कर रहे हैं कि देश का विकास अपने ही प्रयत्नों से हो सकता है। वे उस के लिये सरकार का मुंह नहीं ताकते हैं। गांव गांव में अत्यन्त उत्साह के साथ विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और इस दिशा में बहुत प्रगति हो रही है। निस्सन्देह यह एक बहुत उत्साहवर्धक और हर्ष की बात है।

हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार के सम्बन्ध में भी कहा गया है। हम देखते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में हम ने अच्छी प्रगति की है।

पहले लोगों को दो दो गज़ साधारण कपड़े के लिये घण्टों लाइन बना कर खड़ा रहना पड़ता था। परन्तु अब कपड़े की व्यवस्था में इतना सुधार हो चुका है कि हम कपड़े का निर्यात भी कर सकते हैं। विभाजन के पश्चात् हमारे सामने रुई की समस्या उत्पन्न हुई। सूती कपड़े की मिलें हमारे यहां हैं परन्तु रुई सिन्ध में रह गई। वह समस्या भी हल की जा चुकी है। हम ने अधिक रुई उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह लक्ष्य केवल पूरा ही नहीं किया जा चुका है वरन् समय से पहले पूरा कर लिया गया है और प्रत्येक देशवासी सन्तुष्ट है।

अब तो हर एक को सन्तोष हो जाना चाहिये कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

अनेक आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाया जा चुका है फिर भी हम बेकारी को दूर नहीं कर पाये हैं हालांकि हम इस समस्या को भी हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में हम ने पर्याप्त उन्नति नहीं की है। यदि हमें बेकारी दूर करना है तो हमें कुटीर उद्योगों के विकास की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा। अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें ऐसे उपाय करने चाहियें जिन से अधिक से अधिक व्यक्ति काम पर लगाये जा सकें, न कि ऐसे जिन के कारण काम करने वालों की संख्या घटानी पड़े।

दो वर्ष पूर्व हेलावाध में बम्बई राज्य के वर्तमान राजस्व के मंत्री श्री हिरे सभापतित्व में एक सम्मेलन हुआ था। उस अवसर पर महाराष्ट्र की समस्त जनता ने मांग की थी कि कोयना विद्युत परियोजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली जाये। मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता है कि पंचवर्षीय योजना में कुछ और परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं और उन में से कोयला विद्युत परियोजना भी एक है। इस के लिये मैं भारत सरकार तथा बम्बई सरकार को बधाई देता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे देश की परिवहन तथा संचार की सुविधाओं में सुधार की ओर निर्देश किया गया है तथा यह भी बताया गया है कि रेलवे शीघ्र ही

नई लाइनें निकालने का विचार कर रही है। जहां तक रेल के इंजनों तथा डिब्बों का प्रश्न है इन का भी निर्माण सन्तोषजनक है तथा गत दो वर्षों में हम ने पर्याप्त उन्नति की है। बढ़ते हुए उत्पादन के लिये परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाना बहुत आवश्यक है नहीं तो कृषक को बढ़े हुए उत्पादन से कोई लाभ न होगा।

मकानों की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। विभाजन के पश्चात् के दृश्य हमें याद हैं। आज वह सारी समस्यायें हल की जा चुकी हैं। शरणार्थियों के लिये मकान बनाने में ७२ लाख रुपया व्यय किया गया है। राजधानी में एक प्रदर्शनी हो रही है जिस में हम सस्ते तथा सुन्दर मकानों के नमूने देख सकते हैं। यदि जनता ने इस प्रदर्शनी से लाभ उठाया तो मुझे विश्वास है कि सारे देश में गृह-निर्माण सहयोगी समितियां फैल जायेंगी जो सस्ते तथा सुन्दर मकानों का निर्माण करेंगी। इस प्रकार यह राष्ट्रीय समस्या बहुत कुछ हल हो जायेगी।

अध्यादेशों के सम्बन्ध में कल ही पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है और अब मैं सदन का समय इस के लिये नहीं लूंगा। अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की ओर संकेत किया गया है। कोरिया में हमारे सैनिक अफ़सरों ने ऐसा सराहनीय कार्य किया है कि जिस की हर कोई प्रशंसा करने को तय्यार है। चीनी सरकार तथा लंका की सरकार से वार्ता हो रही है तथा हम अनेक समस्याओं के निदान के सन्निकट पहुंच रहे हैं। हमारी पाकिस्तान सम्बन्धी नीति तथा पाक-अमरीकी समझौते के सम्बन्ध में सदन के नेता के दृष्टिकोण से प्रत्येक समझदार आदमी संतुष्ट है यहां तक कि पाकिस्तान के नागरिक भी इस नीति की बुद्धिमत्ता को अनुभव करेंगे।

अन्त में मैं कुंभ मेले की भीषण दुर्घटना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की है तथा यह जांच का कार्य बहुत ही उत्तरदायित्व-पूर्ण व्यक्तियों के सुपुर्द किया है। इस दुर्घटना के पहले उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबन्ध की हर कोई प्रशंसा कर रहा था। जांच के पश्चात ही पता लगेगा कि यह दुर्घटना कैसे हुई। निस्सन्देह यह अत्यन्त दुखद दुर्घटना है। फिर भी मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हमारे कुछ देशवासियों ने प्रत्येक दुर्घटना को दलीय उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनाने की मनोवृत्ति अपना ली है। परन्तु मुझे विश्वास है कि देशवासियों में जिम्मेदारी की भावना इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि इस प्रकार के प्रचार में कोई नहीं आने वाला है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हम जिस नीति का अनुसरण करने जा रहे हैं उस का संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौजूद है। इस नीति का लाभदायक प्रभाव हम देख भी रहे हैं। यदि हम इसी नीति पर दृढ़ता पूर्वक जमे रहे तो मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि हमारे सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी। मैं एक बार और राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : और अधिक चर्चा चलाने से पूर्व मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि विभिन्न विरोधी दलों ने परस्पर परामर्श से कुछ एक विशेष संशोधनों को चर्चा के प्रयोजनार्थ चुन लिया है अतः यह निश्चय किया है कि सभी संशोधनों को प्रस्तुत न किया जाय क्योंकि ऐसा करने से सारे वाद विवाद के उलझ जाने का भय है। मेरे विचार में यह प्रक्रिया ठीक रहेगी।

कांग्रेस दल के सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। मैं विषयवार उन संशोधनों का वर्णन करना चाहता हूं जिन को प्रस्तुत किए जान का निश्चय किया गया है।

[अध्यक्ष महोदय]

पाकिस्तान को सैनिक सहायता सम्बन्धी संशोधन ।

हमारी रक्षा व्यवस्था का पुनर्संगठन ।

प्रशासनीय व्यवस्था का पुनर्संगठन ।

बेकारी ।

किसानों तथा मज़दूरों की दशा ।

कुम्भ मेला ।

हिन्दू विधान ।

पिछड़ी जातियां ।

पंचवर्षीय योजना ।

कोरियाई प्रत्यावर्तन आयोग ।

देश की आर्थिक परिस्थितियां ।

नागरिक स्वातन्त्र्य ।

समर्थन प्रस्ताव के प्रस्तुत हो चुकने पर सदस्यों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और फिर चर्चा आरम्भ होगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आप ने लगभग पच्चीस संशोधनों के नम्बर पढ़ कर सुनाए हैं । क्या यह सभी चुन लिए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन की कुल संख्या ६५ है, जिन में से १७ चुनी गई हैं । दो के बारे में अनुमति नहीं दी गई है । अतः ६५ में से १५ सदन के समक्ष प्रस्तुत होंगी । मेरा विचार है कि इस प्रकार इस विषय पर ठीक रीति से वाद विवाद हो सकेगा ।

श्री वी० डी० त्रिपाठी (ज़िला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई, दक्षिण पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव हमारे मित्र श्री देशपांडे जी ने हमारे सामने पेश किया है मैं उसका हृदय से अनुमोदन करता हूं । यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरे लिये गौरव की बात है कि मुझे यह मौका मिला कि मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव का अनुमोदन करूं । साथ ही साथ मुझे एक बात से और भी प्रोत्साहन मिला है । जो कथा अभी प्रस्तावक महोदय ने हमारे सामने इंगलैण्ड की सुनायी है उससे मुझे इस बात का उत्साह तो अवश्य हो गया है कि यदि मैं इस विषय के सम्बन्ध में पूरी बातें आपके सामने नहीं भी रख सकूंगा तब भी किसी तरह से मेरा निरादर नहीं होगा । इस घटना से मुझे विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है ।

यह हमारे लिए, तमाम सदस्यों के लिए, बड़े सन्तोष और प्रसन्नता की बात है कि एक वर्ष के बाद हमको फिर यह मौका मिला कि हम अपने राष्ट्रपति के मुख से तमाम पिछली घटनाओं का सारांश सुन सकें और हम उनके द्वारा एक नया सन्देश पा सकें । गत वर्ष भी उन्होंने एक ऐसा ही सन्देश हमारे सामने दिया था । इस वर्ष उन्होंने जो सन्देश दिया है उस सन्देश के अभिभाषण में उन्होंने तमाम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की घटनाओं को जो गत वर्ष में घटित हुई हैं हमारे सामने रखा है । उन्होंने तमाम उन घटनाओं को भी, जो राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित हुई हैं, हमारे सामने रखी हैं । वे अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय समस्यायें क्या हैं, गत वर्ष किस तरह से उनके हल करने का प्रयत्न किया गया और कहां तक वे हल हो सकीं, इसका भी संकेत उन्होंने अपने अभिभाषण में किया है । इनके अतिरिक्त उन्होंने एक नया सन्देश, जो वास्तविकता में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सन्देश है, हमें देने की कृपा की है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए] ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी हैं और उन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । उनके अभिभाषण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारा देश पिछले वर्षों में किस प्रकार अपने समीपस्थ देशों से मैत्री के सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हुआ है । हमारे पास ही ब्रह्म देश है, लंका का देश है । इन दोनों देशों से किस तरह से हमारे मैत्री के सम्बन्ध स्थापित हुए हैं इसका जिक्र उन्होंने अपने अभिभाषण में किया है और साथ ही साथ तिब्बत के सम्बन्ध में जो सन्धि चर्चा चल रही है वह भी उन्होंने बतलायी है । यह एक बड़ी प्रसन्नता की बात है । इस पर हम लोग अपने को बधाई दे सकते हैं कि जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा मैत्री का सम्बन्ध है और हमारे और उनके बीच में सद्भावना भी पर्याप्त मात्रा में है । यही नहीं बल्कि, एशिया के अन्य देशों से भी हमारा सम्बन्ध बहुत अच्छा है । पिछली यू० एन० ओ० की जो बैठकें हुईं उनसे भी पता चलता है कि भारतवर्ष की ओर एशिया के तमाम राष्ट्र (एक दो छोड़ कर) हमदर्दी और सहानुभूति रखते हैं । हां यह बात जरूर है कि कुछ ऐसी घटनायें इस बीच में हुई हैं जिनके कारण कुछ गलतफहमियां (जैसा कि अभिभाषण में कहा गया है) पैदा हो गयी हैं । यह सभी जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान का प्रस्तावित समझौता एक ऐसी घटना है जिससे कुछ ग़लतफ़हमी पैदा होने का अंदेशा हो गया है, यद्यपि मैं उस पर इतना महत्व नहीं देता जितना कुछ और लोग देते हैं । कुछ लोग तो उससे भयभीत, सशंकित और कभी-कभी आतंकित भी हो जाते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा देश इतना मज़बूत है और हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे न्याय-संगत रास्ते पर चल रहे हैं कि हमारे लिये भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है । फिर भी हमारे कुछ मित्र भयभीत और कभी कभी आतंकित भी हो जाते हैं । इसम कोई सन्देह नहीं है कि यह एक ऐसी घटना है कि जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में, विशेषतः भारतवर्ष में खलबली पैदा हो गयी है । यह खलबली इसलिए नहीं है कि हम इससे भयभीत या आतंकित हैं, बल्कि इसलिये है कि सम्भव है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताएं पैदा हो जायं और उनके कारण संसार में कोई महायुद्ध हो जाय । यही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा कारण जिससे कि हम लोगों के हृदय में चिन्ता पैदा हो गयी है यह है कि पाकिस्तान इस तरह से विदेशी सम्पत्ति को और विदेशी शस्त्रास्त्र और सामरिक सामान को अपने यहां मंगवा कर अपनी स्वतन्त्रता को नष्ट करने जा रहा है । हम पाकिस्तान की स्वतन्त्रता की उतनी ही क़द्र करते हैं हमारे हृदयों में, हमारे दिलों में, उसका उतना ही मूल्य है जितना कि अपने देश की स्वतन्त्रता का है, क्योंकि उसके लिये हम और पाकिस्तान के निवासी दोनों ही मिल कर लड़े हैं, ख़ास कर हम लड़े हैं । यद्यपि भारतवर्ष और पाकिस्तान अब राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग देश हैं, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान एक देश हैं । पुराने ज़माने में भी हमारे देश में राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग अनेक राज्य थे परन्तु सम्पूर्ण भारतवर्ष एक ही देश माना जाता था । अतः सांस्कृतिक दृष्टि से हम दोनों, हिन्दुस्तान व पाकिस्तान एक देश हैं यद्यपि आज वह दो राजनीतिक भागों में विभक्त है । ऐसी दशा में जबकि हमारे देश का एक हिस्सा, एक चौथाई भाग, इस तरह से गुलामी की ओर अग्रसर होने जा रहा है और इस प्रकार हमारी सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय जटिलता पैदा होने जा रही है तो इससे हमें शंका ज़रूर होती है । हमें यह चिन्ता नहीं हैं कि इससे हमारे लिये कोई खतरा है, या हमारे लिये कोई भय की बात है ।

[श्री वी० डी० त्रिपाठी]

बल्कि हम इसलिये चिन्तित हैं कि हमने जिस स्वतन्त्रता को इतनी तपस्या करके प्राप्त किया है उस स्वतन्त्रता का चौथाई भाग बहुत जल्द समाप्त हो जायगा अगर पाकिस्तान अपनी इस नीति पर चलने का हठ जारी रखता है। इसी कारण हमें चिन्ता है। हम इस वास्ते भयभीत नहीं हैं कि यदि उनके यहां अधिक फौजें हो जायेंगी, या उनके यहां अधिक सामरिक शस्त्रास्त्र या सामरिक सामग्री हो जायगी, तो उससे हमें किसी तरह के ख़तरे का सामना करना पड़ेगा। इसलिये हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि जो ग़लतफ़हमी पैदा हो गयी है उसे पाकिस्तान दूर कर दे ताकि हम दोनों की मैत्री के मार्ग में कोई बाधा न पड़े।

हमारे विपक्षी दलों के सदस्य अक्सर इससे भयभीत हैं और बार बार इस पर ज़ोर देते हैं कि हमारे देश में सामरिक तैयारियां होनी चाहियें। उन्हें आतंकित होने की या अपने अन्दर भय लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, यह चिन्ता का विषय ज़रूर है और इस चिन्ता को दूर करने का हमें प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। हमें आशा है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इस बात को सोचेंगे और ऐसा करने से अपने को रोकेंगे।

हमने इस बीच में, एक वर्ष के अन्दर, जैसा कि अभिभाषण में भी कहा गया है, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सन्देश को अपने सामने रख कर, विश्व भर में मैत्री फैलाने का प्रयत्न किया है, संसार भर ने देखा कि हमारी फौज कोरिया गई, लेकिन लड़ने के लिये नहीं। यह इतिहास में एक नयी बात थी कि फौजें किसी दूसरे देश में जायं, लेकिन लड़ाई के लिये नहीं, बल्कि शान्ति की स्थापना के लिये और शान्ति को जारी रखने के लिये जायं। हमारे इतिहास ने हमें हमेशा यही सन्देश दिया है। हमारे लम्बे इतिहास में आज तक एक भी घटना नहीं है कि हमारी फौजें दूसरे देशों को विजित करने के लिये गयी हों। हमारे लोग बराबर बाहर जाते रहे और सहस्रों वर्षों से अनेक देशों के साथ हमारा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है। हमारे अनेक सांस्कृतिक मिशन भी समय समय पर बाहर जाते रहे और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी संस्कृति के उदय और विकास की छाप एशिया के अनेक देशों पर रही। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी फौजें किसी को मारने के लिये या किसी पर आक्रमण करने के लिये बाहर गयी हों। उसी परम्परा को हमने अब भी क़ायम रखा जबकि हमारी फौजें कोरिया में शान्ति के लिये गईं, युद्ध के लिये नहीं। हमारा यह निश्चय कि हम इस परम्परा को जारी रखेंगे और किसी की गुटबन्दी में शरीक न हो कर युद्ध को रोकने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

कुछ लोग अक्सर इस मामले में यहां तक कह डालते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाने को तैयार है उसी तरह भारतवर्ष को भी चाहिये कि वह दूसरे गुट के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर ले। लेकिन यह हमारी नीति के बिल्कुल विरुद्ध होगा। हम किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, न एक गुट में और न दूसरे गुट में। हम तो यह चाहते हैं कि संसार में एक ऐसा वातावरण पैदा हो कि युद्ध बन्द हो जाय और हम एक ऐसी मिसाल सब के सामने रखें जिससे कि लोग सबक़ लेकर युद्ध की ओर अग्रसर न हों; बल्कि जिस प्रकार इस शताब्दी के प्रारम्भ में दो महायुद्ध हो चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो। इसलिये जैसा कि अभिभाषण के अन्त में इशारा किया गया है, हमारी नीति तटस्थता और शान्ति की नीति है। लेकिन हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी तटस्थ

नीति निष्क्रिय नीति नहीं है, बल्कि हमारी तटस्थ नीति सक्रिय नीति है। हमारी तटस्थता तथा शान्ति की नीति सजीव नीति है न कि निर्जीव और निष्क्रिय। हमारी तटस्थता का यह अर्थ नहीं है कि जब दो देशों में युद्ध का तनाव हो तो हम खामोश हो कर बैठे रहें। यह हमारी नीति नहीं है। बल्कि हमारी नीति यह है कि जिसकी ग़लती हो उससे स्पष्ट कहें, लड़ कर नहीं, बल्कि समझा कर, ताकि यथा-सम्भव किसी प्रकार का युद्ध न होने पाये। हम खामोश या निष्क्रिय होकर नहीं बैठेंगे। इसलिये हमारी न्यूट्रैलिटी पैसिव नहीं है, बल्कि ऐक्टिव है और हमारा शान्तिवाद सक्रिय है, न कि निष्क्रिय हमारी यह नीति स्पष्ट हो जानी चाहिये और सभी लोगों को इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। इसी की ओर हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अन्त में संकेत किया है जिसके लिये हम उनके बड़े आभारी हैं।

अब जहां तक राष्ट्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसमें कुछ कार्य एक वर्ष के अन्दर हुए हैं, जो जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं और जिस प्रकार उनके हल करने का प्रयत्न किया गया है, इसका भी उल्लेख राष्ट्रपति जी ने बड़ी ही विशद रीति से अपने अभिभाषण में किया है।

सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने इस वर्ष 'खाद्य समस्या' थी।

४ म० प०

हम यह देखते हैं कि उस समस्या को बहुत हद तक हल कर सकने में हम समर्थ हुए हैं और यह आशा की जाती है कि यदि हम इसी तरह से अपनी नीति पर चलते रहे तो इस समस्या को हम सदैव के लिए हल करने में समर्थ होंगे। यह कोई साधारण समस्या नहीं थी। खाद्य समस्या एक बड़ी समस्या थी और इधर पिछले पांच छः वर्षों से यह कठिन मालूम हो रहा था कि इस समस्या का हल किस तरह से किया जायगा। लेकिन अब हम उस अवस्था पर पहुंच गये हैं जब हम यह कह सकते हैं कि उक्त समस्या क़रीब क़रीब हल होने के समीप है और हम उसे जल्दी ही हल कर सकेंगे। पंचवर्षीय योजना में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें हमें बहुत सफलता मिली है; लेकिन यह भी सही है कि कुछ मद्दें ऐसी भी हैं जिनमें उतनी सफलता नहीं मिल पायी जितनी मिलनी चाहिये थी, और उस ओर हमारे राष्ट्रपति महोदय ने खास तौर पर हमारा ध्यान दिलाया है। विशेषतः उन्होंने हमारे घरेलू उद्योग धंधों की ओर इशारा करते हुए हमें बतलाया है कि उस दिशा में हम आगे प्रगति नहीं कर सके हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बड़ी आवश्यक चीज़ है। देश की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपने घरेलू धंधों को आगे बढ़ायें और जब तक हम यह चीज़ नहीं कर पाते तब तक हमारे देश की आम जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। हमें चाहिये कि हम अपनी पूरी शक्ति लगा कर घरेलु धंधों के विकास करने का प्रयत्न करें और हमें पूरी आशा है कि उनके इस कथन के बाद केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस ओर विशेष ध्यान देंगी।

इसके अलावा बेकारी की समस्या, नदी घाटी योजना, हवाई यातायात, रेल व्यवस्था और डाक-तार इत्यादि की ओर भी उन्होंने अपने अभिभाषण में संकेत किया है और उस सम्बन्ध में हमने गत वर्ष में जो उन्नति की है, उसकी तरफ़ भी उन्होंने इशारा किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक बात में हमको कुछ न कुछ त्रुटि, कोई न कोई दोष दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमें व्यापक बुद्धि से इन बातों पर दृष्टि डालना चाहिये। सवाल यह ह कि जो हमारी सीमाएं हैं,

[श्री वी० डी० त्रिपाठी]

जो हमारी मजबूरियां हैं, उनके होते हुए क्या हम इससे और अधिक कर सकते थे या नहीं कर सकते थे और अगर हम इन मजबूरियों और इन सीमाओं को अपने सामने रख कर देखें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो उन्नति गत वर्षइन तमाम बातों में हुई है वह सराहनीय है और उससे अधिक उन्नति होना साधारणतः सम्भव नहीं था। इसलिए जो कुछ उन्नति पिछले वर्ष राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई है, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आशा करते हैं कि हम आगे चल कर उस प्रगति को और आगे बढ़ा सकेंगे और पंचवर्षीय योजना को पूरी तौर पर सफल बना सकेंगे।

उक्त बातों के अतिरिक्त एक बात की ओर मैं खास तौर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और जिसके सम्बन्ध में सरकार की बड़ी आलोचना हुई है। मझे दुःख है कि उसी आधार पर हमारे कुछ विपक्षी दलों के सदस्य राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय संसद की सम्मिलित बैठक में शरीक नहीं हुए। वह है कुंभ मेला सम्बन्धी दुर्घटना। मुझे इस बात से बड़ा दुःख हुआ। मेरा तो ऐसा विचार है कि राष्ट्रपति समस्त राष्ट्र का प्रतीक होता है और उनके अभिभाषण में जानबूझ कर न शरीक होना एक तरह से राष्ट्र का अपमान करना है। लेकिन वह तो छोड़ दीजिये, जिस कारण से वह उसम शरीक नहीं हुए, उस कारण पर भी हमें ध्यान देना चाहिये और वह है कुंभ मेले की दुर्घटना। उस दुर्घटना से राष्ट्रपति का कोई सम्बन्ध नहीं था, वह राज्य सरकार का मामला था। राज्य सरकार के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जिस समय वहां पर चायपार्टी हुई उस समय तक हमको उस दुर्घटना की सूचना नहीं थी। ऐसी सूरत में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शरीक न होना उचित नहीं था और विशेषकर उस समय जब कि राज्य सरकार ने उसके सम्बन्ध में एक जांच कमेटी भी नियुक्त कर दी है जो उस दुर्घटना की जांच करेगी और यदि उस दुर्घटना के लिए किसी को ज़िम्मेदार पावेगी, तो निश्चय ही वह इस बात की सिफ़ारिश करेगी कि उसको दंड दिया जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह दुर्घटना बड़ी ही दुखद थी और अगर किसी की ग़लती से वह घटी हो तो उसको अवश्य ही दंड मिलना चाहिये और साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि आयन्दा ऐसी दुर्घटना न हो। लेकिन सदस्यगण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शरीक़ न हों और पार्लियामेंट से उठ कर चले जायं और इस प्रकार एक दुःखद दुर्घटना से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न करें, यह मुझे सर्वथा अनुचित मालूम होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सम्मिलित न होना और ऐसे राष्ट्रपति के विरुद्ध जो सहृदयता की साक्षात मूर्ति हैं, 'हृदयहीनता' का आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है और उनके साथ अन्याय करना है, और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने उचित नहीं किया।

अब मैं अन्त में उन संशोधनों के सम्बन्ध मे एक, दो शब्द कह कर समाप्त करूंगा जिनकी सूचना विपक्षी दलों के सदस्यों ने दी है। उन संशोधनों से और गत वर्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद हुआ था उससे मालूम होता है कि विपक्षी दल के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण की निन्दात्मक आलोचना करने में संकोच नहीं करते। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की निन्दात्मक आलोचना करना उचित नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आलोचना न हो। आलोचना का तो हमेशा स्वागत किया जाना चाहिये। आलोचना से कभी कभी अपनी ग़लती मालूम

हो जाती है और उसके कारण अगर हमारे प्रबन्ध में कोई त्रुटि होती है, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाता है। इसलिए आलोचना का तो हमेशा स्वागत करना चाहिये। लेकिन मैं विपक्षी दल के सदस्यों से यह अवश्य कहूंगा कि वह आलोचना निन्दात्मक अथवा निषेधात्मक न होनी चाहिये बल्कि संकेतात्मक अथवा रचनात्मक होनी चाहिये।

अन्त में मैं राष्ट्रपति जी को इस बात के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को एक मौक़ा दिया कि हम गत वर्ष के कार्यों का पूरा व्यौरा उनके मुंह से सुन सकें और उनके संदेश के प्रकाश में समस्त घटनाचक्र की वास्तविक अनुभूति कर सकें। मैं इसी सिलसिले में यह कह देना चाहता हूं कि उन्होंने जो संदेश हमको दिया है, वह संदेश महात्मा गांधी का संदेश है और हम आशा करते हैं कि हम राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी के सन्देश को, जो हमें राष्ट्रपति जी के द्वारा मिला है, अपने राष्ट्रीय जीवन का आधार बना कर आगे बढ़ सकेंगे और अपने देश के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : हमें अपने संशोधन प्रस्तुत करने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा जायेगा, तो उस समय वे अपना संशोधन भी प्रस्तुत करेंगे। मैं इस प्रक्रिया का अनुसरण इस लिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि कुछ संशोधन तो अभी प्रस्तुत कर दिये जायं और कुछ और माननीय सदस्य कल या परसों आकर प्रस्तुत करें।

माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं बतलायें कि वे कौन कौन से संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं संशोधन संख्या ३७ प्रस्तुत करना चाहूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : मैं अपना संशोधन संख्या, २३ प्रस्तुत करना चाहता हूं किन्तु मैं आप से कुछ स्पष्टीकरण भी चाहता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरे संशोधन संख्या २० को किस नियम के अन्तर्गत संपरिवर्तित कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष को किसी संशोधन, संकल्प या प्रश्न के किसी भाग को, जो कि उनकी राय में उचित नहीं है, या जिस की भाषा उचित नहीं है, काट देने का अधिकार है। यह नियम ३०७ में दिया गया है।

श्री एस० एस० मोरे : किन्तु अभिभाषण के संशोधनों के सम्बन्ध में एक विशेष नियम—नियम १६—द्वारा एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है और इसे बदला नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात और है। जहां तक संशोधन संख्या २० का सम्बन्ध है, ये उन संशोधनों में से नहीं है जिन्हें माननीय अध्यक्ष द्वारा चुना गया है। मैं किसी ऐसे संशोधन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं जिसे चुना नहीं गया।

श्री एस० एस० मोरे : इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य सब संशोधन काट दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका निर्णय कल तक उठा रखता हूं। मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि अध्यक्ष को किसी संशोधन को काट देने का अधिकार है या नहीं।

श्री एस० एस० मोरे : हमारे अधिकार तथा विशेषाधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के समान ही हैं। अध्यक्ष द्वारा निर्धारित नियमों से संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता

[श्री एस० एस० मोरे]

और न उसे सीमित किया जा सकता है। अतः मुझे अपने मूल संशोधनों में प्रयुक्त वाक्यांशों के प्रयोग करने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को नहीं मान सकता कि यह नियम संविधान के प्रतिकूल है। उसी नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ने संशोधन में परिवर्तन किया है। क्या अध्यक्ष महोदय केवल कुछ ही संशोधनों को चुन सकते हैं, इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय कल दूंगा। अब संशोधनों पर चर्चा होगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में निम्न संशोधन रखे गये :

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का संक्षिप्त विषय
श्री एन० सी० चटर्जी	(१) पाकिस्तान-अमेरिका सैनिक समझौता।
	(२) कुम्भ मेले में जन हानि।
श्री एस० एस० मोरे	किसानों तथा मज़दूरों की आर्थिक दुर्दशा।
डा० लंका सुन्दरम	देश में संगठन कार्य का न किया जाना।
श्री सारंगधर दास	पंचवर्षीय याजना तथा सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में जनता में उत्साह पैदा न करना।
श्री यू० सी० पटनायक	पाकिस्तान-अमेरिका समझौते को ध्यान में रखते हुए देश में सैनिक संगठन तथा सैनिक तय्यारी का न किया जाना।
श्री गिडवानी	अमेरिका से पाकिस्तान को मिलने वाली सैनिक सहायता को ध्यान में रखते हुए देश के राजनैतिक दलों को आपस में नहीं मिलाया गया।
श्री जे० आर० मेहता	(१) देश व्यापी बैकारी को दूर करने के कार्यों का किया जाना।
	(२) सीमान्त पर हमारी सुरक्षा को खतरा।
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	रोज़गार दिलाने के लिये पर्याप्त आश्वासन।
डा० जयसूर्य	लोक प्रशासन व्यवस्था के पुनर्संगठन की आवश्यकता।
श्री शोकर साहेब	पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली सहायता के परिणामस्वरूप उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिये उचित कार्यवाही करना।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : मैं ने सादर ध्यान-पूर्वक राष्ट्रपति का भाषण सुना, पर खेद है कि वह जनता को कुछ आशा-विश्वास नहीं दे सकता।

राष्ट्रपति ने कुंभ-दुर्घटना का निर्देश किया है और हम सदन में हताहतों के प्रति शोक प्रकट कर चुके हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इस के लिए हमें अपनी गलतियों पर भी ध्यान देना होगा। विरोधी दल की सीट से मेरी ये बातें सुन कर कांग्रेस वाले कहेंगे कि हम राष्ट्रीय दुर्घटना के बल पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और उन के नेता जो कुछ कह चुके हैं वही काफी है। परन्तु अपने नेताओं के भय से वे जनता की बात नहीं कह पाते, और जनता की भावना को ही व्यक्त करने के लिए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। पहले कांग्रेस में ऐसी बात नहीं थी, और चुनाव के पूर्व कांग्रेसी सदस्य भी खूब आलोचना किया करते थे। परन्तु मैं व्यक्तियों को न ले कर सामान्य बातों को ही लूंगा।

अब मैं अपने धर्म के रूढ़िपूर्ण तथा आचार-प्रवण पहलुओं को लूंगा। पहले भी कुंभ हो

चुके हैं। हम लोग इस भावना से मेले में कभी न जाते थे कि गंगाजल छिड़कने से हमारे पाप धुल जाएंगे, बल्कि सेवा-समितियों आदि में भाग लेने जाते थे। एक बार महात्मा गांधी भी इसी हेतु हरिद्वार गये थे। हम इस मेले को कभी इतना बढ़ावा नहीं देते थे और न बिल्कुल नंगे नागों की जुलूस को ही अच्छा मानते थे। हमें भय था कि विदेशी लोग इन के फोटो ले.कर हमारे धर्म पर छींटे कसेंगे। न हमें हाथियों, ऊंटों आदि के साधुओं के जुलूस और न पहले चलने के उन के दावे ही पसन्द थे........

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस से बहुत से लोगों की विशेषतः जो मेले में गये थे भावनाओं पर चोट न पहुंचेगी ? क्या यह संगत है ?

आचार्य कृपालानी : मुझे खेद है। मैं इन में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का नहीं, बल्कि कांग्रेसियों का निर्देश कर रहा हूं। अपने भाषण के बाद लोगों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने वाली बातों को यदि आप समझते हैं कि उन से चोट पहुंचेगी तो मैं उन को वापस ले लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने माननीय सदस्य की काफी बात सुन ली है और मेरा विचार है कि इस से मेले में भाग लेने वाले ४० लाख व्यक्तियों की धार्मिक भावना को ठेस लगेगी।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हम अंध-विश्वास के विरुद्ध नहीं बोल सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये धार्मिक भावनाएं हैं।

आचार्य कृपालानी : मैं यह कह रहा था कि इतना सब--अंधविश्वास रूढ़िवादिता आदि--होते हुए भी हमें अपने धर्म पर इसी लिए गर्व है कि वह व्यक्ति को इन सब को छोड़ गीता-उपनिषद् के आधार पर अध्यात्म चिंतन करने की स्वाधीनता देता है। ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानने की स्वाधीनता देता है। वह सहिष्णु है। वह कहता है कि इस जीवन में भी मनुष्य जीवनमुक्त हो सकता है। यह सब हिन्दू रूढ़िवादिता के विरुद्ध न था, अन्यथा हम अस्पृश्यता का अंत न कर पाते। यही सब सोच कर महात्मा गांधी भी क्वचित ही मन्दिरों में जाते थे, और उन्हीं में जाते थे जहां हरिजन जा सकते थे।

भारत की सांस्कृतिक खोज ने भी हमारे दर्शन, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तु, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, संगीत आदि पर प्रकाश डाला है। धार्मिक आचार या जंगली (बारबेरिक) आडंबर व तमाशा कभी भी भारतीय संस्कृति न थी।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं 'जंगली' शब्द के प्रयोग का विरोध करता हूं।

आचार्य कृपालानी : श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि यह असंसदोचित है। मैं और क्या शब्द कहूं माननीय मित्र ही बता दें, मैं वही शब्द प्रयुक्त कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : असंसदोचित होने, न होने के सम्बन्ध में मेरे विचार स्पष्ट हैं। इंगलैंड में असंसदोचित न होने वाले शब्द यहां पर असंसदोचित हो सकते हैं। उन की प्रक्रिया हमारे से भिन्न है। चालीस लाख की भीड़ के सम्बन्ध में यह कहना कि वे जंगली आडंबर (बारबेरिक पांप) कर रहे हैं, ऐसी बात है जो न कहनी चाहिए। मैं 'मे' की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से नहीं चलूंगा। मेरी समझ से इस में भाग लेने वाली जनता को इस से ठेस पहुंचती है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप ने अभी कृपया जो कुछ कहा है, मैं उस का निर्देश नहीं करता, परन्तु उस से यह प्रश्न उठता है कि कोई माननीय सदस्य उचित भाषा में किसी दूसरे के धार्मिक मत पर आक्षेप न करे।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यदि किसी बात को वह घोर रुढ़िवादिता कहता है, तो एक व्यापक प्रश्न उठ खड़ा होता है। यदि हम में से कोई अस्पृश्यता को घोर रुढ़िवादिता या उस से भी बुरा कहता है, तो यह कह कर वह लोगों को ठेस पहुंचाता है। हम यह जानते हैं, पर फिर भी हम वैसा करते हैं। अतः इन बातों के बीच सीमा-रेखा खींच सकना मुश्किल है।

आचार्य कृपालानी : मेरा निवेदन है कि जंगली आडंबर किसी पर आक्षेप नहीं करता; अच्छा लीजिए मैं जंगली आडम्बर के स्थान पर पुराने आडंबर कहे देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा प्रधान मंत्री ने कहा है, यह साधारण बात नहीं है कि उन पुरानी रीतियों की आलोचना न हो, जिन का सुधार करना है। पर यहां पर यह बात नहीं है। बात कुंभ दुर्घटना की है, उस की बात करते-करते हम अंधविश्वासों और रुढ़ियों को मिटाने की बात कर के हम नई दुर्घटना खड़ी कर देते हैं। उस प्रकार के विधेयक या संकल्प आने पर यह बात कही जा सकती है। उस समय सदन साधिकार होगा। परन्तु अभी मैं देखता हूं कि इस से हिन्दुओं की साधारण भावना को ठेस पहुंचती है।

आचार्य कृपालानी : मैं भी आप या किसी अन्य व्यक्ति की भांति रूढ़िवादी हिन्दू हूं। मेरा निवेदन यह है कि मैं इन में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों की नहीं, बल्कि कांग्रेसियों की बात कर रहा था। हमारी संस्कृति दर्शन, विज्ञान आदि की ओर विशेष ध्यान देती थी, पूजा, आचार और तमाशे पर नहीं। पर आज विज्ञापन दे-देकर लोगों को मेले में एकत्र किया गया। ऐसा पहले कभी न हुआ था। हम से कहा गया कि वहां सब कुछ व्यवस्था होगी। यह भी बताया गया कि सरकार और कांग्रेस के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां एकत्र होंगे। पहले साधुओं के अखाड़े होते थे, अब इन लोगों के सपरिवार सदल-बल अखाड़े और बढ़ गए। नागों के जुलूस के साथ एक नया जुलूस और जोड़ा गया। उन की ओर जिन को उन्हों ने पास दिये थे उन की कारें खूब आ जा सकती थीं, उन के लिए सड़कें खाली रखी जाती थीं। पहले देशी नरेश भी तीर्थ स्थान को जाते थे, पर अपने ठाठ-बाट के साथ नहीं, बल्कि नंगे पैरों अकेली धोती पहने और धरती पर लोटते हुए तक जाते थे। उन की ऐसी प्रबल श्रद्धा थी।

एक राज्य के राज्यपाल ने, जो अपने को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानता है, अपना शिविर वहां लगाया.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सदन में राज्यपालों और राजप्रमुखों के आचरण का निर्देश नहीं किया जा सकता। वे नियमानुसार प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

आचार्य कृपालानी : जब राष्ट्रपति ने इस का निर्देश किया है, तो इस की चर्चा होगी ही। तो राज्यपाल ने बहुत पहले से अपना शिविर.........

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। राज्यपाल के काम का निर्देश नहीं करना चाहिए.........

श्री एस० एस० मोरे : प्रशंसा भी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ओर प्रशंसा होगी, तो दूसरी ओर निन्दा, अतः एक भी बात ठीक नहीं है।

श्री सारंगधर दास : पर यह तथ्य पर आधारित है।

आचार्य कृपालानी : मुझे यह कहने का अधिकार है कि राज्यपाल ने भीड़ बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । राज्यपालों की चर्चा करना हमारे क्षेत्र में नहीं है । राज्यों के मंत्रियों और राज्यपालों का निर्देश यहां पर नहीं किया जा सकता ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : क्या सच बात नहीं कही जा सकती ?

आचार्य कृपालानी : आप हम से चुप रहने के लिए भी कह सकते हैं; क्या हम राज्यपाल की बात नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

आचार्य कृपालानी : मैं इस का विरोध करता हूं । हमें अध्यक्ष-पीठ के प्रति भी विरोध प्रकट करने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : एक औचित्य प्रश्न पर । प्रक्रिया नियम २४९ (५) के अनुसार बोलते समय यदि वैसा कोई प्रस्ताव न हो तो कोई सदस्य उच्च-प्रतिष्ठित व्यक्ति पर आक्षेप न करेगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मुझे यही कहना है कि कुंभ दुर्घटना के विषय में माननीय अध्यक्ष एक प्रस्ताव स्वीकृत कर चुके हैं, अतः यह संगत और अनुमतियोग्य है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : नियम २४९ (५) (नया नियम ३१९) के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण यह स्पष्ट कर देता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के विरोधों के होते हुए भी मैं समझता हूं कि सदन में राज्यपालों के आचरण का निर्देश नहीं होना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप का यह विनिर्देश है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

आचार्य कृपालानी : राज्यपाल को साधु तथा नागा शिविरों में आमंत्रित किया गया गया और वहां उन्होंने.......

श्री एस० वी० रामस्वामी : आप के विनिर्देश के बावजूद भी राज्यपाल को चर्चा में लाया जा रहा है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : वास्तव में यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मेरा निवेदन है कि कोई महज़ इसलिए किन्हीं व्यक्तियों का निर्देश करना परिहार नहीं कर सकता कि वे उच्च प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं । यह बात किसी तरह मेरी समझ में नहीं आती ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या विनिर्देश देने का काम प्रधान मंत्री का है जो इस सदन के नेता हैं अथवा आप का है जो इस सदन के उपाध्यक्ष हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस मामले को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । मेरा कहना केवल यह था कि ठीक जिस प्रकार कि हम राष्ट्रपति पर कोई आक्षेप इस सदन में नहीं करते, उसी प्रकार हमें राज्यों के उच्च प्रतिष्ठावान व्यक्तियों पर भी आक्षेप नहीं करने चाहियें । यदि कोई सदस्य यह कहे कि राज्यपाल अमुक-अमुक स्थानों पर गये, वहां तक तो ठीक है, किन्तु यह कहना कि वे अमुक-अमुक प्रकार वहां गये, चर्चा के लिए उचित नहीं है । चूंकि यह एक राज्यपाल पर गम्भीर आरोप है, जो यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए हमें यथासंभव इस का परिहार करना चाहिए ।

आचार्य कृपालानी : मैं कोई कष्टकर बात नहीं कहना चाहता हूं, किन्तु मैं तथ्यों का परिहार नहीं कर सकता । राज्यपाल साधुओं के शिविरों में पहुंचे थे । साधुओं के संघों ने कांग्रेसी सरकारों का समर्थन करते हुए संकल्प पास किये थे । अंग्रेज़ी राज्य के जमाने में

[आचार्य कृपालानी]

इन साधुओं ने विदेशी सरकार के प्रति वफादार होने के संकल्प पास किये थे। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का आचार धार्मिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा कम करता है तथा उन्हें विवादग्रस्त राजनीति में घसीटता है। धर्म, नैतिकता तथा संवैधानिक औचित्यता के नाम पर इस बात को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

हम ने कम स्थान में इतने अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने दिया। गाड़ियां पर गाड़ियां भर कर कुम्भ में पहुंच रही थीं। लोग गाड़ियों पर लटके हुए और छतों पर बैठे हुए आ रहे थे। कितनों की ही इस परिवहन के दौरान में ही मृत्यु हो गयी। फिर भी हम ने इस यातायात को विनियमित नहीं किया। टिकट-बेटिकट सब मुसाफिर गाड़ियों में भरे लटके हुए चले जा रहे थे। मैं कहता हूं कि इस प्रकार उन्हें सफर करने देना अपराध से कम नहीं है। जब मुसाफिरों के परिवहन में ही घातक दुर्घटनाएं हुईं तो उचित प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया?

दूसरे, टीके लगवाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध क्यों वापस लिया गया? फिर, मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य के प्रमुख से लेकर अन्य कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने-अपने परिवारों सहित जो गंगा में डुबकी लगा कर पवित्र होने के लिए गये, यह परिवर्तन उन के मस्तिष्कों में कब से आ गया? कांग्रेस वालों ने पहले तो कभी यह नहीं माना था कि किसी विशिष्ट दिवस पर गंगा में नहाने से उन के पाप नष्ट हो जायेंगे। शायद वे दिखावे की प्रवृत्ति को लेकर वहां गये थे। आधुनिक काल में भी हम में से कुछ लोगों के लिए यह सम्भव है कि इस पर विश्वास करें कि गंगा के पानी से हमारे पाप धुल सकते हैं। किन्तु यह गंगा का पानी नहीं, वरन् उन का विश्वास है जो उन्हें चंगा कर देता है तथा और पाप न करने की प्रेरणा देता है। किन्तु उन के लिए जो कि इस में विश्वास नहीं करते, और जो गंगा में नहाने पर भी पाप करने से नहीं रुकते, ये नहान निन्दनीय है। केवल यही नहीं, अपितु संस्कृति के नाम पर हम उन पुराने रीति-रिवाजों के मूल्यांकन तथा श्रद्धा को पुनरुज्जीवित कर रहे हैं जो कालातीत हो चुके हैं। ऐसा कर के हम उन सुधारों के मूल्यांकनों तथा मान्यताओं को कम कर रहे हैं जिन के लिए बुद्ध से गांधी तक के सुधारकों ने कार्य किया है। हम अपने देश को मध्य युग में घसीटे ले जा रहे हैं। ऐसी हम इसलिए भी करते हैं कि जन-समूहों के साथ हम लोक-प्रिय रहे आएं तथा अपनी शासन-सत्ता बनाए रहें। और क्योंकि ये काम हम बिना विश्वास और श्रद्धा के करते हैं, इसलिए हमारे प्रयत्न असफल रहते हैं, जैसे कि कुम्भ मेले में रहे, और देश को शोक उठाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि देश के हित में और धर्म के हित में हमें ऐसे काम करने से सावधान हो जाना चाहिए।

श्री टेकचन्द (अम्बाला–शिमला) : श्रीमान्, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उठा हूं जो कि संदन में आज प्रस्तुत किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय खिचाव तथा भय और असुरक्षा के वातावरण को दृष्टि में रखते हुए हम सब का यह कर्तव्य है कि हम सरकार की विदेश-नीति का पूर्णतया समर्थन करें।

पाक-अमरीका सैनिक सन्धि अब एक वास्तविकता है। इस का तात्पर्य यह है कि झगड़े का क्षेत्र हमारी सीमाओं के समीप आ रहा है। प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि इस सन्धि के परिणामस्वरूप दूसरे विरोधी गुट ने हिमालय के साथ साथ हवाई अड्डे आदि बनाने शुरू किये हैं तथा दूसरी तैयारियां शुरू हुई हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि हमारे जैसे तटस्थ देश खतरे में पड़ जायेंगे। तो, यह हमारा एक अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है कि हिमालय का यह क्षेत्र सुदृढ़ बनाया जाए इसे सुरक्षित रखा जाये तथा न केवल

सैनिक दृष्टि से अपितु आर्थिक दृष्टि से भी इस का विकास किया जाये ।

कोरिया में हमारी सरकार को न केवल व्यक्तियों की अपितु दोनों परस्पर-विरोधी पक्षों की सद्भावना प्राप्त हुई है । भारतीय संरक्षा कटक ने जो सुन्दर तथा शानदार काम किया है उस की सराहना किये बिना मैं नहीं रह सकता । उन्हें भारी कठिनाइयों तथा उलझनों का सामना करना पड़ा परन्तु इस के बावजूद उन्हों ने जिस धैर्य, दृढ़ता तथा सूझ बूझ से काम किया है, वह प्रशंसनीय है ।

इस सदन की एक माननीय सदस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की अध्यक्ष चुन ली गई हैं । यह सारे देश के लिए एक गौरव है । हमारी विदेश नीति की यह कुछेक सफलताएं हैं जिन की उपेक्षा नहीं की जा सकी है ।

ग्यारह महीनें पहले पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन चालू किया गया था । उस समय वहां की स्थिति अत्यन्त ही निराशाजनक तथा गम्भीर थी । चारों ओर डकैतियों का जोर था । विधान सभा के सदस्य प्रायः पक्ष बदलते रहते थे । जन साधारण के लिए शान्ति का जीवन बिताना मुश्किल हो गया था । राष्ट्रपति के शासन के चालू होने के परिणामस्वरूप हजारों बिना लाइसैंस के हथियार पकड़े गए । इन में ब्रेन गन, टाम्पसन गन आदि शस्त्र भी शामिल हैं । अब स्थिति यह है कि अपराधों की संख्या बहुत घट गई है । जनता शान्ति का सांस ले रही है । सेवाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप वहां कई लाख की बचत भी की गई है । कृषि-सुधार के सम्बन्ध में विधान पारित किया गया है तथा इस से कृ कों को फायदा पहुंचा है ।

जहां तक हमारी आर्थिक प्रगति का सम्बन्ध है, यह संतोषजनक ही है । खाद्य का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है तथा आशा है कि हम निकट भविष्य में ही अनाज में आत्म-निर्भर होंगे । औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ रहा है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

विस्थापित व्यक्तियों के लिए जो कुछ किया गया है, उस से वे संतुष्ट हैं । उन पर जो भी धन खर्च किया गया है, सरकार को उस का अवश्य ही फायदा मिलेगा ।

सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रगति संतोषजनक है । केवल दो एक बातें ऐसी हैं जिन पर कि सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । रेलवे के सम्बन्ध में हमारा विस्तार कार्यक्रम पर्याप्त नहीं । केवल २२५ मील लम्बी लाइनें बिछाने से हमारा काम नहीं चल सकता है ।

इस के अलावा हमें बेकारी की समस्या पर विशेष ध्यान देना चाहिये । सामुदायिक परियोजनाओं आदि के रूप में इस के लिए प्रतीकार ढूंढा जाना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान्, मैं कुम्भ की दुखद पूर्ण घटना का उल्लेख कर के अपना भाषण शुरू करता हूं । इस बारे में दो-तीन दुखपूर्ण बातें हैं । पहली बात यह है कि प्रशासकीय व्यवस्था अस्तव्यस्त होने के कारण सैकड़ों व्यक्तियों की जानें चली गईं । दूसरी दुःखपूर्ण बात यह है कि उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री के कथनानुसार उन्हें इस घटना का बहुत देर में पता चला जोकि एक आश्चर्य-जनक बात है । अन्तिम दुखपूर्ण बात आचार्य कृपलानी का भाषण है । काश वह इस राष्ट्रीय मेले में गये होते ! उन्हें पता चलता कि किस तरह से भारत के कोने कोने से वहां लोग आये थे । वह कांग्रेस सरकार के अथवा रेल विभाग के विज्ञापनों को देख के नहीं आये थे । वह श्रद्धा से आये थे जैसे कि उन के पूर्वज शताब्दियों से ऐसे उत्सवों पर आया करते थे । इतना ही नहीं, इतिहास हमें बताता है कि

[श्री एन० सी० चटर्जी]

किस तरह विदेशी भी—चीनी आदि—समय समय पर इन में शामिल होते रहे हैं। कृपलानी जी वहां होते तो उन्हें मालूम होता कि भारत कैसे सजीव है, किस तरह से संगठित है। श्रीमान्, मेरी केवल यह शिकायत है कि सरकार अपने कर्तव्य पालन में चूक गई है। यह एक राष्ट्रीय उत्सव था, इस का प्रबन्ध कार्य केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले कर प्रान्तीय सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये था। लोगों का विश्वास है कि इस दुःखद घटना का निवारण किया जा सकता था। हो सकता है कि बहुत से सम्मानित यात्रियों की उपस्थिति के कारण पुलिस तथा प्रबन्धकों पर काम का दबाव आ पड़ा हो तथा इसी कारण से वह मामले को सम्भाल न सके हों।

इस से भी अधिक अफसोसनाक बात यह है कि अपराह्न को वहां राष्ट्रपति के सम्मान में एक पार्टी हो रही थी, तथा मुख्य मंत्री को उस समय तक इस दुःखद घटना की कोई जानकारी नहीं थी। आखिर, मुख्य मंत्री को तत्काल ही इस की सूचना क्यों न मिली? क्यों न भारत के प्रधान मंत्री को तथा गृह मंत्री को जो कि वहां उपस्थित थे, इस की सूचना दी गई? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार था? उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को उचित दंड मिलना चाहिये। मुझे मालूम नहीं कि इन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परन्तु इस लापरवाही के लिए कोई न कोई व्यक्ति जिम्मेदार होना चाहिये।

इस घटना की जांच के लिए जो समिति अथवा आयोग नियुक्त किया गया है उस के सदस्य ऐसे व्यक्ति नहीं जो कि जनता में विश्वास पैदा कर सकें। इस में बहुत से स्थानीय अधिकारी हैं। अच्छा यह होता कि इस मामले को प्रान्तीय स्तर से उठा कर केन्द्रीय स्तर पर लाया जाता तथा भारत सरकार स्वयं इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करती। यदि केन्द्रीय सरकार को कुंम्भ मेले के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने का अधिकार था तो उस का यह भी कर्तव्य था कि वह इस सम्बन्ध में अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करती।

कुम्भ मेले में जाने को अन्धविश्वास नहीं कहा जा सकता है। करोड़ों लोग इस में शामिल होना अपना धर्म समझते हैं। बड़े बड़े आचार्यों तथा श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरुषों को इस में श्रद्धा थी। आज भी रामकृष्ण मिशन, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी सुधार संस्था है, के साधु इस में शामिल होते हैं। कम से कम साठ सत्तर लाख व्यक्तियों ने इस में भाग लिया और इन में करोड़पति और राजे-महाराजे थे तथा गरीब, निर्धन और अपाहिज भी थे।

पाक-अमरीकी सैनिक सन्धि से जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है उस के बारे म राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत के सैन्यीकरण की कोई बात नहीं कही गई है। हमारी यह मांग है कि देश का सैन्यीकरण किया जाये तथा युवकों को फौजी ट्रेनिंग दी जाये जिस से कि हम खतरे का मुकाबला कर सकेंगे आखिर हम भाषणों द्वारा शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमें देश को शक्तिशाली बनाना होगा तथा इस उद्देश्य के लिए सभी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। परन्तु यह दुःख की बात है कि दूसरी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने की बजाय कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें बुरा भला कहते हैं। इस तरह के रवैये को बदलना होगा। हमें याद रखना होगा कि पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया है वह उतने से ही संतुष्ट नहीं जो कि उन के पास है। उन की गिद्ध-दृष्टि भारत पर भी है। भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश को सैनिक दृष्टिकोण से तैयार करे

तथा जंगी सामान आदि बनाने की फैक्टरियां खोलें । हम इस सामग्री में दूसरे देशों पर निर्भर हैं । मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि श्री निक्सन ने भारत को सैनिक सहायता देने की जो पेशकश रखी थी, उसे उन्हों ने क्यों स्वीकार नहीं किया । क्या यह पेशकश शर्तों सहित थी ? यदि इस के साथ कोई शर्तें थीं तो वह क्या थीं ? यह कहने का कोई फायदा नहीं कि पाकिस्तान ने जो क़दम उठाया है वह अफसोसनाक है । उन्होंने जो कुछ किया है, वह जानबूझ के किया है । वह हथियारों का सहारा लेकर समस्याओं को हल करना चाहते हैं । हमें इस बात को समझना चाहिये तथा तदनुसार अपनी विदेश नीति को ढालना चाहिये । हमें पाकिस्तान को बता देना चाहिये कि यदि वह ऐसा करेंगे तो हम उन के साथ समझौते की बातचीत बन्द कर देंगे । पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में सुना है, सरकार युवकों को सैनिक शिक्षा दे रही है । गैर-मुस्लिमों को सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाया जा रहा है । इस से पता चलता है कि उन के इरादे क्या हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस के मुकाबले में हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए बन्द करना चाहिये तथा इस पर जो धन व्यय हो रहा है उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने में लगाना चाहिये । यह योजना एक बेढंगी योजना है जो कि राष्ट्रीय उत्साह को काम में लाने में असफल रही है । प्रचार का काम तो इस ने किया हो परन्तु इस से जनता की दुर्दशा नहीं मिटी है । श्री विश्वेश्वरैय्या जैसे व्यक्ति ने भी कहा है कि सब से पहले भारत की सैनिक शक्ति दृढ़ की जानी चाहिये । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह वास्तविकता को देख ले तथा देश को विश्वास में लें । अपनी विदेश नीति के कारण आज विश्व में हमारा कोई मित्र ही नहीं रहा है । हमें मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने काश्मीर के मामले में हमारा समर्थन नहीं किया है । पाकिस्तान आक्रमणकारी है किन्तु फिर भी हम उस के साथ समझौते की बातचीत कर रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्मीर संविधान सभा के निश्चय को अन्तिम मान कर जनमतसंग्रह के प्रश्न को सदैव के लिए समाप्त किया जाना चाहिये ।

श्री श्यामनंदन सहाय (मुज़फ्फ़रपुर मध्य) : जनता के चुनें हुए प्रतिनिधि होने के कारण एसे अवसर पर हमारे लिए जनता की भावनाओं का यहां उल्लेख करना आवश्यक है । साथ ही अत्यावश्यक मामलों के सम्बन्ध में तथ्यों का पेश करना ज़रूरी हो जाता है । ऐसा ही एक मामला कुम्भ मेले की दुखद घटना है ।

मैं स्वयं इस मेले में गया था तथा मुझे सम्राज्ञी के राज्याभिषेक के अवसर पर लन्दन में होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है । निस्सन्देह लन्दन में जो लोग जमा हुए थे उनकी संख्या कुम्भ मेले से कहीं कम थी, परन्तु मुझे तो अपने प्रशासन के कार्य करने का ढंग ही पसन्द नहीं है । मेरी ऐसी भावना ह कि इस बारे में हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं । साथ ही जहां तक इस मेले का सम्बन्ध है, मैं निस्संकोच भाव से कहना चाहता हूं कि मुझे मेले के सामान्य प्रशासन को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई । इस अवसर पर सफ़ाई तथा यातायात के नियन्त्रण के जो प्रबन्ध किये गय थे, वे लन्दन में राज्याभिषेक के अवसर पर किये गये प्रबन्धों से किसी तरह कम नहीं थे । वास्तव में यदि यह दुर्घटना न होती तो कांग्रेस सरकार को इतने अच्छे प्रबन्ध का श्रेय अवश्य मिलता ।

इस दुखद दुर्घटना से वहां पर एकत्र अथाह भीड़ को जो दुःख पहुंचा उसका प्रभाव प्रत्येक अधिकारी पर पड़ा है । प्रत्येक अधिकारी ने इस दुख में भाग लिया है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं

[श्री श्यामनंदन सहाय]

वहां मौजूद था तथा मैंने सारी स्थिति अपनी आंखों से देखी है। एक बड़ी कठिनाई यह आ पड़ी थी कि पहले दिन वर्षा हो चुकी थी। उससे सारे क्षेत्र में फिसलन हो गई थी। इस कारण केन्द्रीय सरकार चाहे कितने भी अच्छे प्रबन्ध क्यों न करती, वे सारे के सारे धरे रह जाते। दूसरी बात जिससे मुझे दुःख होता है, यह है कि इस अवसर पर राम राज्य परिषद्, हिन्दू महासभा तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सेवा के कोई प्रबन्ध नहीं किये गये थे। साधुओं की समस्या भी एक टेढ़ी समस्या थी। वास्तव में साधुओं का एक जलूस भी इस दुर्घटना का एक कारण बना था। साधु भी जनता की काफ़ी सहायता कर सकते थे, परन्तु खेद है कि इसका अभाव रहा।

यद्यपि प्रशासन द्वारा सभी प्रबन्ध बड़े विचार से किये गये थे, एक बड़ी त्रुटि यह रह गई थी कि संगम को जाने वाले तथा वहां से नहा कर लौटने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग मार्ग नहीं बनाये गये थे। यदि ऐसा किया गया होता तो हताहतों की संख्या तुलनात्मक बहुत कम होती।

मुझे जिस बात से सबसे अधिक दुःख पहुंचा है, वह यह है कि ऐसी दुःखभरी घटना की सूचना मुख्य मंत्री को साढ़े चार बजे तक नहीं पहुंचाई गई जबकि घटना ९-३० प्रातः तथा १० बजे प्रातः के बीच हो चुकी थी। मैं स्वयं एक घाट की ओर नहाने के लिए जा रहा था जब लोगों ने मुझे इसका दुःखद वृत्तान्त सुनाया तथा सावधान किया। मैं स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटना का समाचार जिसमें कितनी ही जानों की हानि हुई, अधिकारियों तक उचित समय में नहीं पहुंचाया गया।

मैंने यह भी अनुभव किया कि हमारे कुछ विख्यात व्यक्तियों को—मेरा अभिप्राय राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से नहीं है—दुर्घटनास्थल पर कुछ दिन और रुकना चाहिये था। उनका कर्त्तव्य था कि मृतकों के शवों को उनके सम्बन्धियों को सौंपने तथा ऐसे पीड़ित सम्बन्धियों से प्रत्येक सम्भव सहानुभूति प्रकट करने की समुचित कार्यवाही करते। मैं प्रशासन पर सद्भाव के अभाव का लांछन नहीं लगाता हूं, परन्तु निश्चय ही उन्होंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। यह बड़ी भारी ग़लती हुई है। इससे सरकार के प्रति काफ़ी सद्भाव उत्पन्न हो जाता। मैं यह आलोचना रूप से नहीं कह रहा हूं। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है तथा भविष्य में इतनी बड़ी भीड़ में यह बात हमारे सामने रहनी चाहिय।

मैं कुछ शब्द अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। विरोधी दल के अतिरिक्त हमारे बहुत से देशवासी भी ऐसा समझते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में हम बहुत कुछ और कर सकते थे। हमें याद रखना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक या दो वर्षों में नहीं बनाये जा सकते हैं। हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये बहुत थोड़ा समय बीता है। दूसरे राष्ट्र हमारे मनोविज्ञान, इतिहास, विचार तथा इच्छाओं को इतना शीघ्र नहीं समझ सकते हैं। ब्रिटिश जाति के उदाहरण को ही ले लीजिये। उनके अमरीकनों से मतभेद हैं अतएव ऐसा कहने से कोई प्रयोजन नहीं कि हम अपने मित्र बनाने में असफल रहे हैं। हमें यह मानना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमने एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है तथा भारत की आवाज़ को अब अवश्य ही सुना जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ का उच्चतम अधिकारी एक भारतीय है तथा कोरिया का कठिन काम भी भारत को सौंपा गया था। इन सब बातों से पता चलता है कि हम विश्व में अपना एक विशेष

स्थान बनाते जा रहे हैं। मेरा ग्राशय यह नहीं है कि हमने कभी कोई ग़लती नहीं की है। परन्तु हमें एक ही घटना को लेकर अपनी अन्तर्देशीय या वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं करना होगा। इसके लिए हमें अपने सामने उन सारी घटनाओं को रखना होगा जो पिछले चार या पांच वर्षों में हुई हैं। सरकार स्वयं अपनी त्रुटियों को स्वीकार करती है। ग़लतियां हुई हैं, परन्तु सरकार का बड़े से बड़ा आलोचक भी विश्व में भारत के विशेष स्थान को स्वीकार करता है।

मैं एक दो शब्दों में श्री त्यागी का ध्यान सैनिक सामान तथा आवश्यकताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इस बारे में मैं अपने मित्रों से सहमत हूं कि हमें जितने धन को सैनिक सामान के तैयार करने के लिए अपनी फैक्टरियों की स्थापना पर व्यय करना चाहिये था, उतना धन व्यय नहीं किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में दूसरे देशों पर युद्ध सामग्री की प्राप्ति के लिए निर्भर नहीं किया जा सकता है। मैं अपने मित्रों से इस विषय में भी सहमत हूं कि चाहे और किसी दिशा में कोई प्रगति हो या न हो, सैनिक क्षेत्र में हमें अवश्य ही प्रगति करनी चाहिये। हो सकता है कि सभी युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देना सम्भव न हो, परन्तु सभी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय छात्रसेना की योजना को अवश्य लागू किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि यदि सरकार थोड़ी सी सहायता करे तो सभी विश्वविद्यालय उन युवकों को प्रशिक्षण दे सकेंगे जिन्हें पहले से थोड़ा बहुत प्रशिक्षण प्राप्त है। इससे स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकेगा।

मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : श्रीमान् मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ऐसे अवसरों पर हम उन सब समस्याओं तथा कठिनाइयों का निर्धारण करते हैं जिनमें से हमें निकलना पड़ा हो अथवा निकट भविष्य में जिनका हमें सामना करने की सम्भावना हो।

पिछले पांच वर्षों से हम अपने देश के प्रबन्ध को अपनी इच्छा के अनुसार कर सके हैं। यदि हम अपनी कठिनाइयों तथा अड़चनों को सामने रखें तो पक्षपात से रहित कोई भी व्यक्ति हमारी सफलताओं की किसी अन्य देश की अपेक्षा जिसे ऐसी ही हालत से निकलना पड़ा हो, सराहना ही करेगा। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से भी पहले के दो वर्षों से विश्व परिस्थिति ऐसी चली आ रही है, जिसमें किसी देश के विकास को बहुत कम सहायता मिली है। हमें अपने चारों ओर देखना पड़ता है तथा विनाशकारी शक्तियों से अपनी स्वतन्त्रता को बचाने में सावधान रहना पड़ता है। एक ओर 'लोह-आवरण' के पीछे के देश हैं जो सदैव शान्ति की बातें करते हैं। दूसरी ओर अमेरिका का गुट है। वह भी ऐसी ही बातें कहता है। परन्तु दोनों गुटों ने बम आदि ऐसे हथियार बनाये हैं जिन से वे स्वयं भयभीत हो गये हैं।

श्रीमान्, मैं विशेषतः उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिनका हमें अभी सामना करना है। वस्तुतः हम बड़े संकट के काल में से गुज़र रहे हैं।

सन् १९५३ के प्रारम्भ में अमरीका के प्रशासन में परिवर्तन होने के पश्चात् हमारी चिन्ता बढ़ गई है। हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है इस दृष्टि से हम देखते हैं कि अमरीका के वर्तमान प्रधान ने, जो नैटो और यूरोपीय रक्षा सेना के लिये उत्तरदायी थे, २ फरवरी १९५३ के पश्चात् अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि "हमारी विदेश नीति द्विदलीय भावना के आधार पर विकसित होकर अन्तर्निहित और सर्वराष्ट्रीय होनी

[श्री पाटस्कर]

चाहिये ।" पहले अमरीका संसार की सब प्रगतियों से पृथक् रहना पसन्द करता था, किन्तु पिछले युद्ध के पश्चात् अब वह सर्व-राष्ट्रीय नीति को अपनाने की बातें सोच रहा है। जो कुछ उस ने यूरोप में किया है, वही अब एशिया में भी करना चाहता है। उसकी नीति साम्यवाद और लौह-आवरण के पीछे वाले देशों के विरुद्ध है। हम कुछ लाभ प्राप्ति के बदले कभी भी परतन्त्रता को स्वीकार नहीं करेंगे। जहां तक इन दो शक्तियों का सम्बन्ध है, यह एक नवीन परिवर्तन है। हमारी पूर्वी सीमाओं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रगतियां हो रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे निश्चित रूप से साम्यवादी देशों का परिणाम हैं। वे सोवियट गुट के देशों की कार्यवाहियों के कारण हो सकती हैं, परन्तु आज जो देश स्वतन्त्रता की बात कहते हैं और पूर्वी देशों में शोषण नीति को चला रहे हैं, उनके कारण भी इस प्रकार की कार्यवाहियां हो रही हैं। हम दो महान् शक्तियों के बीच में हैं। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा था संसार में मनोमालिन्य फैला हुआ है, जो इन दोनों शक्तियों द्वारा विकसित किये गये विनाश यंत्रों का परिणाम है और जिससे अब ये स्वयं भयभीत हो रहे हैं।

प्रेसीडेंट आइजन हावर ने अमरीका को दिये अपने अभिभाषण में कहा है कि "अणु अस्त्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने इसमें पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है। यह भेद हमारे मित्रों को भी पता है और सोवियत गुट द्वारा भी जान लिया गया है। सोवियत गुट ने हमें सूचना दी है कि हाल में ही उसने अणु अस्त्रों के विस्तृत संसाधन प्राप्त किये हैं। एक समय अमरीका समझता था कि अणु शक्ति पर उस का एकाधिकार था, परन्तु अब ऐसी बात नहीं है।"

इसके परिणामस्वरूप दोनों शक्तियों में मनोमालिन्य बहुत बढ़ गया है। हमारी शान्त रहने की इच्छा होते हुए भी हमें बहुत सावधान रहना पड़ रहा है। जर्मनी दो से अधिक भागों में विभाजित हो चुका है और दोनों उसे संगठित करने की बातें करते हैं, परन्तु जिस ढंग से वे चाहते हैं, उससे निकट भविष्य में कोई फल प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है।

इस मनोमालिन्य के कारण हमारे मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। उस दृष्टि से हमें अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर विचार करना पड़ता है। पाकिस्तान जो कुछ करता है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। परन्तु जैसा श्री बर्क ने फ्रांस की क्रान्ति के समय कहा था, वही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। जब पड़ौसी के घर में आग लग रही हो, तो हम भी चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। पाकिस्तान का शताब्दियों तक हमारे साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा था, और एक समय वह हमारा अपना ही अंग था। इसलिये हम ऐसी किसी भी घटना से परेशान हो उठते हैं, जो हमारे मार्ग में बाधा बन सकती हो। जो कुछ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में हुआ, उससे पाकिस्तान को शिक्षा लेनी चाहिये। इसलिये मैं मैत्रीपूर्ण परामर्श दूंगा कि उसे सावधानी से इस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिये।

अमरीका में मार्च १९५३ की प्रतिनिधि सभा की कुछ कार्यवाहियों को पढ़ कर मुझे आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि वे अपनी जनशक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया में उन्हें भारी हानि हुई है। उनका कहना है कि दक्षिणी कोरिया के सिपाही की अपेक्षा अमरीकन सिपाही के प्रशिक्षण और सामान देने के लिये १६ गुना धन की आवश्यकता होती है। इसलिये

वे अपनी जन-शक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दक्षिण कोरिया के लोग अच्छे सिपाही बनाये जा सकते हैं। अंगरेजों ने भी यही कहा है कि वे स्वयं भूखे रह कर अंगरेज सिपाहियों के लिये भोजन का प्रबन्ध करते हैं, इन बेचारे दक्षिण कोरिया के सिपाहियों के विषय में ऐसी बातें कही जाती हैं। माननीय श्री ओवरटन ने यह भी कहा है कि एक अमरीकन पर होने वाले व्यय पर १६ दक्षिण कोरियाई सिपाहियों को प्रशिक्षण और भोजन तथा वेतन दिया जा सकता है। इतनी बुरी अवस्था में भी वे कहते हैं कि "हमें शस्त्र दो और अपनी सन्तान की रक्षा करो।" भारत में थोड़े से अंगरेज़ आये थे और उन्होंने इस देश को जीत लिया था। भारतीय सिपाहियों ने ही अपनी मातृभूमि को पराधीन बनाने में उनका सहयोग दिया था। जो देश विदेशों से सैनिक सहायता लेना चाहता है उसे इतिहास की घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिये। अमरीका में प्रधान ट्रूमैन के समय अमरीका अपनी राष्ट्रीय नीति से संतुष्ट था, परन्तु २ फरवरी १९५३ को अमरीका ने सर्वराष्ट्रीय नीति की घोषणा कर दी है। वह यथासम्भव पूर्व के देशों को स्वतन्त्रता के नाम पर सैनिक सहायता देकर अपने सैनिकों को बचा सकता है और उनको शस्त्र देकर अपनी जनता के लिये काम धंधा भी उपलब्ध कर सकता है। कई लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान सहायता लेता है तो भारत को भी सहायता लेनी चाहिये। ऐसा करने से दक्षिणी और उत्तरी कोरिया की तरह पाकिस्तान और भारत भी दो पृथक् पृथक् भाग बन जायेंगे। इसलिये हमें किसी भी गुट से सहायता लेने की बात छोड़ देनी चाहिये। प्रधान आइज़न हावर की सर्वराष्ट्रीय नीति के कारण हमारी कठिनाइयां आरम्भ हो गई हैं, इसलिये हमें चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि हम अपनी रक्षा के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या अमरीका तब तक प्रतीक्षा करेगा, जब तक हम तैयार होंगे?

श्री पाटस्कर : हम सब सम्भव उपायों से अपने संसाधनों का विकास कर रहे हैं। हमें न तो अपने विकास पर गर्व करना चाहिये, और न ही हमें चिल्लाना चाहिये कि हम सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। रक्षा एक गम्भीर विषय है। कोई भी व्यक्ति इसकी आलोचना कर सकता है और रक्षा के अनेक उपाय बतला सकता है। यह ठीक है कि अमरीका और रूस हमारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, किन्तु हमें उनकी कठपुतली बन कर अपने देश की दक्षिणी कोरिया या उत्तरी कोरिया जैसी अवस्था नहीं बना लेनी चाहिये। इन दोनों गुटों ने संसार में अशान्ति फैला रखी है, और ये दोनों कुछ समय पश्चात् परस्पर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। यदि हम सावधानी और बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, तो हम उन दोनों गुटों के प्रभाव से दूर रह सकते हैं। हमें अपने देश की आन्तरिक प्रगति अर्थात् आर्थिक विकास और शस्त्रास्त्र निर्माण के कामों की ओर सम्यक् ध्यान देना चाहिये। इसलिये मैं अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान से अपील करूंगा कि वह चेतावनी देने की अपेक्षा इस बात पर अधिक गम्भीरता से विचार करें कि अमरीका पाकिस्तान में क्या कर रहा है। प्रधान आईज़न हावर के भाषणों से स्पष्ट पता चलता है कि अमरीका क्या करना चाहता है, इसलिये उसके साथ अपने आपको मिलाना उचित नहीं है। हम काश्मीर के मामले के कारण इस सैनिक सहायता के लिये पाकिस्तान का विरोध नहीं कर रहे हैं, परन्तु हमें यह डर है कि अमरीका दक्षिणी कोरिया को सिपाही तैयार करने के लिये उत्साहित कर रहा है। उसका जो परिणाम होगा, इसकी कल्पना सरलता से की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से विभेदों के होते हुए भी एशिया के सब देशों को भविष्य

[श्री पाटस्कर]

के परिणाम से परिचित करा देना उचित है और इसीलिये हमें उचित मार्ग को अपनाना चाहिये। इण्डो चीन में दक्षिण कोरियाई सिपाहियों की तरह सिपाही तैयार किये जा रहे हैं। वहां लड़ाइयां होती हैं और लोग मारे जाते हैं तथा देश नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। यदि पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है, तो उसे अपनी आर्थिक दशा को सुधारना चाहिये, न कि अमरीका या किसी और गुट से सैनिक सहायता लेकर अपने देश को नष्ट भ्रष्ट होने देना चाहिये। जहां तक सैनिक सहायता का सम्बन्ध है, अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान से मेरी यह अन्तिम अपील है कि वह इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करे और मदान्ध शक्तियों के हाथों से अपने देश को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाये।

श्री एस० एस० मोरे : आप इसे अन्तिम अपील क्यों कहते हैं ?

श्री गिडवानी : अध्यक्ष जी, मैंने जो संशोधन पेश किया था वह इस सम्बन्ध में था कि प्रेसीडेंट साहब ने अपने भाषण में जो आज अमरीका और पाकिस्तान के बीच मिलेटरी समझौता हो रहा है, उसके सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें ज़ाहिर नहीं कीं और न देश को चेतावनी दी और न ही यह कोशिश हो रही है कि सब पार्टियों को मिला करके यह जो समस्या हमारे सामने पैदा हुई है उसका सामना करने के लिए क्या करना चाहिये। मेरा यह संशोधन था :

> "परन्तु खेद है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने के कारण होने वाली संभावित हलचलों को ध्यान में रखते हुए सभी राजनैतिक दलों को एकमत करने तथा परिस्थितियों का मुक़ाबिला करने के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अपने विश्वास में लेने के हेतु कोई कार्यवाहियां नहीं की गई हैं।"

इसके अलावा मेरा एक और भी संशोधन था :

> "परन्तु खेद है कि कुंभ दुर्घटना में हताहत होने वाले व्यक्तियों के सम्बन्धियों से समवेदना प्रकट करते हुए उनको कोई क्षतिपूर्ति अथवा सुविधा देने का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है।"

और इसके सिवा मेरा तीसरा संशोधन यह था कि :

> "गृह-व्यवस्था सम्बन्धी समस्या के निर्दिष्ट किये जाने की बात की सराहना करते हुए खेद है कि उसको सुलझाने के लिये अब तक किये गये प्रयत्न बहुत ही अपर्याप्त हैं।"

मेरी यह तीन तरमीमें थीं। पहली तरमीम के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि आप जानते हैं कि फारसी में कहा है :

> "चिराकारे कुनद आकिल कि बाज़ आयद पशेमानी।"

ऐसा काम क्यों करो कि तुम को पछताना पड़े ? इसको कहने के लिये मैं इसलिये मजबूर हुआ हूं, कि हम लोगों ने पाकिस्तान बनाया, अगर पाकिस्तान न बनता तो आज साढ़े छः वर्ष के बाद पाकिस्तान और अमरीका के समझौते से हिन्दुस्तान की आजादी, हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता, हिन्दुस्तान की सुरक्षा को ख़तरा पैदा न होता। लेकिन उस वक्त हमने समझा कि पाकिस्तान बनने से दोनों देश, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, दोस्त बन जायेंगे और हमारे देश की भी उन्नति होगी, प्रगति होगी और पाकिस्तानी हमारे दोस्त बन जायेंगे। ग़लत बात का ग़लत नतीजा

निकलता है। इस बात को कहने के लिये भी म आज विवश हूं कि आज हमारे कांग्रेसी भाई और कांग्रेस गवर्नमेन्ट राष्ट्र पिता का बार-बार नाम लेते हैं। उस राष्ट्र पिता ने भी चेतावनी दी थी कि :

"पाकिस्तान को जन्म देने से तुम भारत के राजनैतिक शरीर में विष घोल रहे हो।"

हिन्दुस्तान में, हिन्दुस्तान के सयासी शरीर में आप विष डाल रहे हैं, इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। लेकिन उस राष्ट्र पिता की बात को किसी ने नहीं सुना, जिसका परिणाम आज यह हुआ है कि साढ़े छः वर्ष के बाद जो स्थिति आपके सामने पैदा हुई है वैसी भयंकर स्थिति, वैसी शोचनीय स्थिति कभी कभी ही किसी मुल्क के इतिहास में सामने आती है। मैं देखता हूं कि ऐसी स्थिति आने के पश्चात् भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किये, कहीं कहीं प्रस्ताव पास होते हैं और कहीं कहीं प्रस्ताव भी नहीं पास होते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी कोशिश या यत्न नहीं किया जाता कि देश को इसके लिये पूरी तरह से सावधान भी किया जाय, देश की अलग अलग पार्टियों को मिला कर, उनको विश्वास में लेकर, उनको बुला कर साथ लिया जाय। ऐसा देखने में आता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी शक्ति के घमंड में उसी बेपरवाही से चल रही है जैसे कोई भयंकर स्थिति देश के सामने नहीं है। मेरा आप की सरकार के साथ काफी विरोध है, मेरा हृदय बहुत दुखी है, मैं आज भी अपने निर्वासित भाइयों की साढ़े छः वर्ष के पश्चात् जो दशा है, उसको देख कर बहुत दुखी हूं, मेरा रात दिन दुख में ही गुजरता है, तो भी मैं कहना चाहता हूं, इस मोहकमे के मंत्री साहब अपनी शक्ति के घमंड में कुछ समझते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, अपने ढंग से चलते हैं, तो भी मैं कहना चाहता हूं कि आज की देश की स्थिति के कारण मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप अपने घमंड में न रहिये, आप अपनी कम्प्लेसेन्सी या बेपरवाही में न रहिये, आप ऐसा न समझिये कि कुछ होने वाला नहीं है, कई लोगों के मन में यह बात है कि आखिर क्या होगा, जब कोरिया में कुछ नहीं हुआ तो यहां क्या होगा? जब पाकिस्तान बना तब भी आप ने सोचा कि क्या होगा। कौन जाने भविष्य में क्या है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, कोई एस्ट्रालाजर नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान वालों ने कहा :

"हंस हंस के लिया पाकिस्तान,

लड़ कर लेंगे हिन्दुस्तान।"

यह उन लोगों के दिमाग में है। वहां के लोगों के दिमाग में भी यह बात है और वह कभी कभी दौरा करके अलीगढ़ में भी पहुंच जाती है जिस अलीगढ़ से यह बात शुरू हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में आप बेपरवाह न रहें। मेरे पास कहीं कहीं से खबर भी आ जाती है कि वहां तैयारियां हो चुकी हैं, वहां बेसेज बन चुके हैं, वेस्टर्न पाकिस्तान में नये नये अड्डे बन रहे हैं और अमरीका वहां पहुंच रहा है और आप पागल बन कर, अपनी पार्टी के घमंड में बैठ कर उसी तरह से चले जाते हैं जैसे दूसरी जनता हिन्दुस्तान में है ही नहीं। तो बावजूद मेरे दिल के दुखी होने के, बावजूद मेरे उन लोगों का नुमाइंदा होने के, वैसे तो मैं पार्टी का भी नुमाइंदा हूं, लेकिन मैं इसको छिपाना नहीं चाहता कि मैं पहले उनका नुमाइंदा हूं जो अभी तक निर्वासित कहे जाते हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे जो कुछ कहना होगा वह तो मैं कहूंगा ही, लेकिन बावजूद इसके मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ हर मामले में शामिल होंगे बशर्ते आप भी हाथ बटायें, आप अपने दिल को विशाल

[श्री गिडवानी]

करें, बापू के नाम को लेकर बापू की सहिष्णुता पर और उनकी पालिसी पर अमल करना सीखें। आप अपने घमंड को छोड़ें तो देश में बहुत कुछ हो सकता है।

इसके सिवा इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि जनता के अन्दर भ्रम न पैदा किया जाय, बार बार छोटी मोटी बातों पर गोली चलानें से जनता को आप विपरीत बनाते हैं, जनता को आप अपने विरुद्ध करते हैं, जनता को आप अपने से दूर करते हैं, जब इतनी भयंकर समस्या आप के सामने है तो भारतीय जनता के पूरे सेवक बनिये। इस बात को छोड़िये कि आप का राज्य है, आप की मैजारिटी है, जैसे कल कहा गया कि हमारी मैजारिटी है, हटाना हो जिसे हटाये आ कर, संसार के इतिहास में आप से बड़े बड़े हट गये, दिल्ली में कई हुकूमतें बनीं और कइयों के कब्रस्तान भी बने, इसलिये इस घमंड को छोड़ कर मनुष्य मात्र के विचार को रखिये। हमारे त्यागी भाई हंसते हैं। जब वह उन बेंचों पर नहीं थे, जब वह मंत्री नहीं बने थे, तो क्या क्या उनके दिल में था, क्या उन की आज़ादी थी, क्या उनकी स्वतन्त्रता थी, आज इस चक्कर में जाकर क्या सब बातें भूल गये। मैं नहीं चाहता कि वह भोगी बनें। मैं कहता हूं कि त्यागी सच्चे त्यागी बनें और इस बात को समझें कि जनता को आप को अपने साथ में लेना है, जनता को अपनी तरफ़ लेना है। अगर कोई भी मंत्री किसी विपक्षी पार्टी को घमंड के साथ जवाब दे तो वह मंत्री बनने लायक़ नहीं है, इस को छोड़ कर ही आप जनता के सेवक बन सकेंगे। मैं आप से इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं, नेशनल इमर्जेन्सी में कौन ऐसा देशभक्त होगा कि देश के हित को देखते हुए आप के विरुद्ध हो। लेकिन आप अपने घमंड को छोड़ें, अपनी दलबन्दी को छोड़ें। खाली उपदेश देने से काम नहीं होगा, अमल करने से होगा और आप अमल कीजिये। तो पहली बात जो मुझे आप से कहनी थी वह यह कि मैं आप को यह आश्वासन देता हूं, मैं दूसरी पार्टियों की तरफ़ से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो दुखी हैं, निर्वासित हैं वह आप के साथ चल सकते हैं, यह ६० वर्ष का बुड्ढा आप के साथ काम कर सकता है लेकिन आपका हृदय विशाल बने, आप बापू के नाम को न लें, बापू के काम को लें।

श्री अलगूराय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : हृदय तो विशाल है।

श्री गिडवानी : हृदय विशाल कहां है। अपने आप लोग दूकानें बना कर पार्क में बैठे थे, लखनऊ में उन को लाठी मार कर निकाल दिया गया, जो आप के पास आये थ। आप के उत्तर प्रदेश ने सारे देश भर में मुसीबत पैदा की, मैं इस में जाना नहीं चाहता। लियाकत अली आप के यहां पैदा हुए, खलीकुज्ज़मा आप के यहां पैदा हुए। वहां लोग दूकानें बना कर बैठे थे। अच्छा हो कि मैं इस को यहीं छोड़ दूं।

कुंभ के बारे में मैं बहुत कहना नहीं चाहता क्योंकि यहां उसके बारे में काफी कहा गया है, लेकिन जैसा मेरे बिहारी भाई ने कहा, यह अचम्भे की बात है, मैं बम्बई में था कि तीन बजे वहां बुलेटिन शाया हुई, अखबारों में आया, वहां के ईवनिंग बुलेटिन्स में आया कि वहां इतने आदमी मारे गये और आप के उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो कि उस वक्त इलाहाबाद में बैठे हुए थे यह खबर न पा सके। यह मेरी समझ में नहीं आता है। कहीं घोटाला हुआ है, कहीं अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ओला पड़ा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसी बात है। मैं कहता हूं कि यह ईमानदारी की बात नहीं है, जब तक गवर्नर का एक्सप्लेनेशन नहीं आया था, मैं कह रहा था कि यह

क्या हिन्दुस्तान में हो गया। यह तो वही कहावत है कि :

"नीरो फिडल्ड न रोम वाज़ बर्निंग"

आज इतना कहा ही जा सकता है कि "कुम्भ वाज काइंग ऐंड मुंशी वाज़ मेरीमेकिंग। मैं नहीं कहता कि जान बूझ कर हुआ लेकिन आखिर हुआ तो क्यों हुआ ? कल इन बेंचों पर बैठ कर मैंने डा० लंका सुन्दरम् से कहा कि आखिर हिन्दुस्तान को क्या हो गया ? ४६–४७ वर्ष से मैं काम करता आता हूं लेकिन मुझे स्वप्न में भी नहीं खयाल था कि हमारा राज्य आयेगा तो उस में ऐसी बात होगी और अगर होगी तो हम तत्परता से चलेंगे और उसका डिफेंस भी करेंगे, जवाब देते रहेंगे। कहना यह चाहिये कि हमारी भूल हुई, अगर पार्टी हुई तो पार्टी गलत हुई, हमें दुःख है इस बात का, जिन्होंने हमें नहीं बताया वह ज़िम्मेवार हैं। और यह बात किसी के कान तक पहुंची और उसने कान बन्द करके पार्टी चलायी, तो मैं समझता हूं कि उस आदमी को चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, आज गद्दी से हटाना चाहिये।

श्री अलगू राय शास्त्री : यह बात ज़रूरी है।

श्री गिडवानी : तब लोगों को बड़ा संतोष होगा। वह कहते हैं कि एक कमेटी बनायी है। लोग कहते हैं कि ऐसी कमेटी बनानी चाहिये थी जिसमें पब्लिक मैन (जनता के व्यक्ति) होते और जिसमें उनको विश्वास होता। इस मामले में लीपा पोती करने की बात नहीं है। घबराते क्यों हो। आपकी इतनी मैजारिटी है। बार बार काटजू साहब कहते हैं कि हटा दो। तो ज़माना किसी का हमेशा नहीं रहता है। इसने बहुतों को हटा दिया और कइयों को हटा देगा। जब मैं छोटा था तो मैथिलीशरण गुप्त की भारत भारती पढ़ता था। उसमें एक जगह लिखा है :

संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा,
है निशिदिवा सी घूमती सर्वत्र विपदा सम्पदा।
जो आज राजा बन रहा है रंक कल होता वही।

जो आज इस गद्दी पर बैठा होता है वही कल मारा मारा फिरता है। तो मेरे भाई कभी इस बात को न सोचें। मैं कहता हूं कि घमंड को छोड़ दीजिये, झूठे प्रचार को छोड़ दीजिये और कह दीजिये कि यह ग़लत बात थी। एक पब्लिकमैन कमेटी बनाइये कि जो जांच करे।

अब एक बात मैं रिफ्यूजीज़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कल मैंने मंत्री साहब से सवाल किया था कि दिवाली गिफ्ट के तौर पर जो रिफ्यूजीज़ को कम्पेन्सेशन दिया गया था वह कितने आदमियों को मिला, तो उन्होंने कहा था कि कुल नौ लाख रुपया दिया गया। पर अखबारों में यह आया है कि १६ लाख रुपया दिया गया। यह बात एडवाइज़री कमेटी ने बतायी है। इसमें वह ज़मींदार नहीं हैं जो ग़ैर पंजाबी हैं। वह तो प्रायरिटी लिस्ट में ही नहीं हैं। तो सौ आदमियों को १६ लाख रुपये देने से तो काम नहीं चल सकता है। यह बहुत बड़ा काम है। उसको तेजी से करना चाहिये। जो गरीब हैं, जिनके क्लेम नहीं हैं, उनको सौ सौ और दो दो सौ करज़ा दिया गया है वह उनसे वसूल किया जा रहा है और उनका सामान कुर्क किया जा रहा है और कभी कभी उनको जेल भी भेजा जा रहा है। इस तरह क्या विस्थापित बसेंगे। यह गलत है।

चौथी बात मैं मकानों के बारे में कहना चाहता हूं। उन मकानों का ज़िक्र किया गया है जो कि रिफ्यूजीज़ के लिए बने हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब पंडित जवाहरलाल ने बम्बई में आइल रिफायनरी का उद्घाटन करते

[श्री गिडवानी]

हुए कहा था कि मजदूरों के लिए एक एक ही कमरे के मकान बने हैं। मुझे हैरानी हुई कि प्रधान मंत्री को यह पता नहीं है कि हजारों मकान ऐसे बनाये जाते हैं और रिफ्यूजीज़ के लिए तो वन रूम टिनेमेंट ही बनाये गये हैं और उनके लिए पाखाने भी अलग से नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट प्रधान मंत्री की बात तो माने। मेरी तो शिकायत इसी बात की है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न किया था मगर न जाने वह क्यों डिसएलाऊ हो गया। मैं कहता हूं कि तहक़ीक़ात की जाय कि हिन्दुस्तान में कितने लोग हैं जिनके पास मकान नहीं हैं। सोशलिस्ट पार्टी ने सेंसस लिया है कि इन दिनों दिल्ली में ६००० लोग ऐसे हैं जो छत के नीचे नहीं सोते हैं। बम्बई में तो तीन चार लाख ऐसे लोग हैं जो छत के नीचे नहीं सोते हैं। न मालूम सारे हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की क्या तादाद होगी। मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी तहक़ीक़ात की जाय। रिफ्यूजीज़ के लिए जो मकान बनाये गये हैं उनमें एक एक कमरा और बरांडा होता है और पाखाना तीन तीन चार चार के लिए एक होता है और उसका भी किराया इतना होता है कि कई जगह वह नहीं दे सकते और उनको निकाला जाता है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट प्रधान मंत्री के वचन पर अमल करे। एक कमीशन या कमेटी मुक़र्रर की जाय जो उन मकानों की हालत को देखे जो रिफ्यूजीज़ को दिये गये हैं और औरों को दिये जाते हैं। बम्बई में जो मकान लेबर को दिये गये हैं उनका व किराया नहीं दे पाते हैं। जो ज़मीन की कीमत है वह भी उसके साथ जमा कर दी गयी है। तो वह इतना किराया कैसे दे सकते हैं?

तो मैं इन तीन चार बातों को आपके सामने लाना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेसी अपनी सत्ता के मद को छोड़ देंगे और जनता की सेवा करने वाली सरकार बनावेंगे जिससे जनता की सेवा होगी। जनता ज्यादा मुसीबत में है। नहीं तो यह चन्द रोज़ का मामला है।

श्री अलगू राय शास्त्री : आप भी कांग्रेस में आ जाइये तो सब मामला ठीक हो जायगा।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति जी, आज कुम्भ की घटना को लेकर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इस हाउस के सभी सदस्यों को उससे दुःख हुआ है और यहां पर सम्वेदना भी प्रकट की गई है। परन्तु जहां इस दुर्घटना को लेकर उसकी भर्त्सना की गयी है वहां हम यह भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रबन्ध किया था और जो इन्तिजाम किया था उससे बहुत बड़ी दुर्घटना बचा ली गई। मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि ऐसे कुम्भ के मेले पर हैज़े आदि के प्रकोप से हज़ारों आदमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। परन्तु ऐसे मौक़े पर जहां कि सत्तर लाख आदमी एकत्रित हुए वहां उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सफ़ाई आदि का इतना अच्छा प्रबन्ध किया कि जहां हमारे कुछ सौ भाइयों को जान से हाथ धोना पड़ा है वहां उन्होंने सफाई के द्वारा और अच्छे प्रबन्ध के द्वारा बीमारी को रोक कर के हजारों आदमियों को मृत्यु के मुख में जाने से बचा लिया और इस प्रबन्ध के लिए हमें उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति आभार मानना भी उचित है। यदि इतना अच्छा प्रबन्ध न होता तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना वहां होती। श्रीमान्, इस विषय पर अभी तक किसी ने अपने विचार प्रकट नहीं किये थे जो बहुत ज़रूरी था।

यह कुम्भ के मेले बहुत ही प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। और हिन्दुस्तान में चार ही ऐसे मुकाम हैं जहां बारह वर्ष के बाद कुम्भ के यह

मेले हुआ करते हैं, प्रयाग, हरिद्वारा, उज्जैन और नासिक । इनका इतिहास भी बहुत पुराना है । पौराणिक कथाओं के अनुसार इनका समय उस समय से माना जाता है जब कि समुद्र मंथन हुआ था । जो कुछ भी हो परन्तु इतना निश्चित है कि यह बहुत प्राचीन मेले हैं और यह हमारे भारतवर्ष में उस ज़माने में जबकि आवागमन के साधन नहीं थे सारे हिन्दुस्तान के लोगों को तीन चार साल के बाद एक मुकाम पर मिलने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करते थे । हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न भागों से लोग चल कर, दूर दूर की यात्रा करके इन स्थानों पर एकत्रित होते थे, वहां अपने विचार प्रकट करते थे और इन विचारों को लेकर अपने अपने स्थानों को जाते थे और जो कुछ बातें वह अपने साथ ले जाते थे उनको वहां के लोगों को बतलाते थे और उनका प्रचार करते थे । तो इस प्राचीनता को कायम रखने के लिए यह ज़रूरी है कि इन महत्वपूर्ण मेलों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले । उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि हिन्दुस्तान के सबसे बड़े सूबे की सरकार है वह भी इतने साधन होते हुए उसका इन्तिजाम यदि नहीं कर सकी और उसमें खामी रही तो मेरा विश्वास है कि दूसरे छोटे प्रदेशों की सरकारें, जैसे कि मध्य भारत है, जहां पर कि हर बारहवें साल कुम्भ का मेला होता है, इसको कैसे कर सकेंगी और उन से कैसे आशा की जा सकती है कि वह अच्छा प्रबन्ध कर सकें । ये राष्ट्रीय मेले हैं । इनमें सारे देश के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के लोग आते हैं और भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी कार्य करने आते हैं । इसलिये यह ज़रूरी है कि केन्द्रीय सरकार इनके प्रबन्ध में हाथ बटावे और इसकी ज़िम्मेदारी को अपने सर पर ले । मुझे आशा है कि जो दुर्घटना हुई है उसकी गम्भीरता पर विचार करते हुए भविष्य में जो इस प्रकार के मेले होंगे उनके प्रबन्ध का भार केन्द्रीय सरकार अपने सर पर लेगी और उनके प्रबन्ध में हाथ बटायेगी ।

अभी गिडवानी साहब ने यह कहा है कि ऐसे समय में कांग्रेस दूसरी पार्टियों का सहयोग लेने को तैयार नहीं होती है । मुझे यह सुन कर बहुत ही आश्चर्य हुआ । कांग्रेस पार्टी ने कभी किसीके सहयोग को लेने से इन्कार नहीं किया, लेकिन हमारे विरोधी दल के भाई हमेशा यह सोचते हैं कि वह सहयोग तभी दे सकते हैं जब कि उनकी विचार धारा को और उनके कार्य क्रम को गवर्नमेंट मानने को तैयार हो और यदि सरकार उनसे सहमत न हो और उनका सरकार से मेल न बैठे तो वह कभी सहयोग देने को तैयार नहीं हैं ।

पाकिस्तान ने अमरीका से बातचीत की है और उसको मदद मिलने वाली है । लेकिन हमको यह देख लेना चाहिये कि मिलिटरी एड के मिल जाने से ही, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान के बनने पर शुरू से ही कहा था "हंस कर लिया पाकिस्तान और लड़ कर लेंगे हिन्दुस्तान" वह ज़माना अब बदल गया है । अगर लड़ कर ही हिन्दुस्तान अपने पास रख सकते थे तो अंग्रेज कभी भी आसानी से हम को छोड़ कर नहीं चले जाने वाले थे । वह ज़माना गया जबकि बन्दूक और तलवार और गोली के बल पर किसी पर शासन रखा जा सकता था । यह जनतन्त्र का ज़माना है और दुनिया की पिछड़ी से पिछड़ी जातियों ने भी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ बग़ावतें कर दी हैं । दुनिया में अब कोई ऐसा देश नहीं रहने वाला है जहां कि साम्राज्यवाद थोड़ी देर के लिये भी पनप सकता है । तो हमें इस मूल सिद्धान्त को हमेशा ध्यान में रखना चाहिये कि दूसरों को लड़ कर अपने क़ब्ज़े में करने के प्रयत्न का क्या हश्र होता है । इसका हमें इतिहास से सबक़ लेना चाहिये । जर्मनी ने यूरोप को

[श्री राधेलाल व्यास]

जीतने के लिये बहुत बड़ी फौजें तैयार की थीं। इसी तरह इटली ने भी अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया था और दूसरे देशों पर आक्रमण किया था। उसी तरह के जापान के भी मनसूबे थे। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है है कि वह अपनी पालिसी में सफल नहीं हो सके। वह दूसरे राज्यों को अपने क़ब्ज़े में नहीं कर सके। बल्कि उनके अपने राज्य ही उनके पास नहीं रह सके, उनकी भी हानि हो गयी। इसी तरह अगर पाकिस्तान यह सोचता है कि वह अमेरिका से मिलिटरी एड लेकर हिन्दुस्तान को जीत सकता है तो वह उसकी बड़ी भारी भूल होगी। मैं समझता हूं कि इस एड को लेकर और इस तरह सोच कर वह अपने विनाश को ही निमन्त्रण दे रहा है और इससे उसकी ही बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इतिहास इस बात का साक्षी है। इस तरह की घटनायें घटी हैं और वह निश्चित तौर पर घट कर रहेंगी।

तीसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान यह समझता है कि वह इस एड को लेकर काश्मीर पर हमला कर के काश्मीर को हड़प सकेगा तो यह भी उस की बड़ी भारी भूल है। संयोगवश काश्मीर में एक बहुत बड़ी घटना उसी दिन हुई जिस वक्त कि हमारे राष्ट्रपति अपना अभिभाषण संसद् के सम्मुख दे रहे थे। काश्मीर की जनता ने उस रोज़ यह फ़ैसला किया कि काश्मीर की जनता का सम्बन्ध हमेशा से हिन्दुस्तान के साथ रहेगा। ऐसे मौक़े पर संसद् के सदस्यों की ओर से हम काश्मीर की जनता का अभिनन्दन किये बग़ैर नहीं रह सकते। काश्मीर से हमेशा हमारे सम्बन्ध रहे हैं और काश्मीर के मामले में हम ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। हमने हमेशा उस पर ही छोड़ा कि वह अपना निर्णय खुद कर सकते हैं। संविधान में हमने उन्हें एक विशेष धारा रख कर उन को यह आज़ादी दी कि वह अपने भविष्य का निर्णय आप करेंगे और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि काश्मीर की जनता ने स्वेच्छा से हिन्दुस्तान के साथ रहने का अपना फ़ैसला किया है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया है और जैसा कि प्रैस रिपोर्ट से पता लगता है उन्होंने वहां की गवर्नमेंट ने अपने सुझाव हमारे हिन्दुस्तान के संविधान में सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार के पास भेजे हैं। मुझे आशा है कि हमने जो वादे किये थे वह हमने पूरे किये और जो आशायें काश्मीर की जनता की हैं कि वे हमेशा से हिन्दुस्तान के साथ रहे, वह आशा भी उनकी पूरी होगी और हम साथ साथ चलते हुए अपनी आज़ादी को क़ायम रख सकेंगे।

तो यह काश्मीर का मामला इस तरह से निबटता है और जो संसद् ने वहां पर उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया है उसको आवश्यक संशोधनों के साथ हमारे संविधान में अवश्य ही शीघ्र शामिल करके इस अध्याय को समाप्त किया जायगा। यू० एन० ओ० में यह मामला ज़रूर हमारी ओर से है। लेकिन हमेशा के लिये यह नहीं रह सकता। हमने काफी मौक़ा दिया कि यू० एन० ओ० इसको निबटाये। लेकिन हमेशा के लिये हम इन्तज़ार नहीं कर सकते और न काश्मीर की जनता को ही हमेशा के लिये हम उसके हाथ में बग़ैर निर्णय के रख सकते थे। काश्मीर की जनता ने जो फ़ैसला किया है उस के लिये वह स्वतन्त्र थी। हम ने उन को स्वतन्त्रता दी थी और उन्होंने स्वेच्छा से जो फ़ैसला किया है उसके अनुसार उनको संरक्षण देने और उसको क़ायम रखने की हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिये।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पंचवर्षीय योजना के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। कुछ बातों में काफी सफलता

मिली है और कुछ बातों में नहीं मिली है। उन्होंने खास तौर से सामुदायिक योजनाओं का और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का ज़िक्र किया है। मुझे भी कुछ स्थानों में इन को देखने का मौक़ा मिला है। जहां तहां अभी कई ऐसे स्थान हैं कि जनता वहां खुद काम करना चाहती है, वह परिश्रम भी करना चाहती है, पैसा भी लगाना चाहती है, परन्तु अभी तक जितना प्रयास शासन की ओर से होना चाहिये और जितना उनका पथ प्रदर्शन करना चाहिये, उतना अभी तक नहीं हो सका है। इसलिये अगर इस ओर शासन और अधिक ध्यान दे तो बहुत कुछ देश का काय और निर्माण का कार्य आसानी से हो सकेगा और जनता बहुत कुछ आगे बढ़ सकेगी। कई जगह के लोग सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं, स्कूलों की इमारतें बनाना चाहते हैं, बोर्डिंग हाउस बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता बतलाने वाला नहीं है, उनको टैक्नीकल गाइडेंस (पथ प्रदर्शन) नहीं है। तो शासन अपनी नीति का ऐलान कर के जगह जगह अगर बतलाये कि क्या काम हो सकता है, जल्दी से सर्वे करके उनको रास्ता बतला कर उनके लिये योजना बनाये और बतलाये कि कितनी उनको मदद मिल सकती है और कितना वह काम कर सकते हैं, इस तरह से शासन कार्य करे, तो मुझे आशा है कि कई जगह से प्रस्ताव आयेंगे और इस दिशा में बहुत कुछ कार्य देश का हो सकेगा।

गह निर्माण का जहां तक सवाल है, अगर यह जनता के सहयोग से और जनता के परिश्रम से किया जाय तो बहुत कुछ रुपया जो ठेकेदारों की जेब में और दूसरे लोगों की जेब में चला जाता है वह बच सकता है। कई जगह हमारे मज़दूर भाई हज़ारों की तादाद में रहते हैं और यदि वे एक दो घंटे परिश्रम करें, उन को मैटीरियल दिया जाय, सामान और सामग्री दी जाय, तो बहुत कुछ सस्ते मकान, कम क़ीमत में अच्छे मकान तैयार हो सकते हैं। तो यह जो विकास योजनाओं में और सामुदायिक योजनाओं में कार्य पद्धति अपनाई गई है उसको हिन्दुस्तान में शासन की ओर से जहां कहीं भी मकानात और इमारतें आदि बनाई जाती हैं, उस में भी अगर यह नीति अपनाई जायगी तो बहुत कुछ शासन का पैसा बच सकेगा और बहुत सारा धन जो दूसरों की जेब में जाता है, करप्शन में जाता है, उस की बचत हो सकेगी।

श्रीमान्, साथ ही मुझे यह भी निवेदन करना था कि सामुदायिक योजनाओं, विकास योजनाओं ौर उनके साथ ही पंचवर्षीय योजना जो चल रही है, उसके अतिरिक्त देश में चरित्र ऊंचा उठाने के लिये और लोगों में बल पैदा करने की भी बहुत आवश्यकता है। लोगों में बल केवल बन्दूक और तलवार आदि से ही उत्पन्न नहीं होता है। वास्तविक बल लोगों के चरित्र को ऊंचा उठाने से पैदा हो सकता है। इस कार्य के लिये हमें हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा ध्यान शिक्षा की ओर देना है। यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट को काफ़ी अर्सा हो चुका है। उसमें बहुत सी सिफारिशें हैं और उन सिफारिशों में एक सिफारिश जिस पर बहुत अधिक ज़ोर दिया गया है वह है रिलीजियस एजूकेशन का दिया जाना। यद्यपि उसमें "धार्मिक" शब्द है, लेकिन रिलीजियस को उस के व्यापक रूप में समझा जाय तो मारैलिटी, मारल एजूकेशन से ही उसका मतलब हो सकता है। इंग्लैण्ड में भी इसको अनिवार्य रखा गया है। यह निश्चित बात है कि जब तक हम बच्चों के चरित्र को ऊंचा नहीं उठायेंगे, लोगों का और देश का चरित्र ऊंचा नहीं उठ सकता है। आज हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि कहीं स्ट्राइक होते हैं, कहीं असहयोग होता है, कहीं ग़ैर ज़िम्मेदारी के प्रदर्शन होते हैं। इन सब को रोकने के लिये और एक अच्छा वातावरण

[श्री राधेलाल व्यास]

बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिन्दुस्तान में ठीक ढंग से एजूकेशन दी जाय। प्राचीन समय में हिन्दुस्तान ने जो कुछ भी प्राप्त किया था और जो कुछ उसने उन्नति की थी उसका कारण था तो वह एक ही था कि हिन्दुस्तान की शिक्षण पद्धति बहुत अच्छी थी, बहुत साउंड थी। इसलिये हिन्दुस्तान में आजकल जो शिक्षा दी जा रही है, उसके बारे में मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया जा रहा है। इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। शिक्षण पद्धति को हमें बदलने की बहुत शीघ्र ज़रूरत है। यदि हमारे यहां शिक्षा ठीक तरह से दी जायगी तो मुझे निश्चय है कि हमारा देश ऊंचा उठेगा, बलवान होगा और अधिक कार्यशील होगा। उस दशा में हमारा देश सारी दुनिया मेंट शान्ति फैला सकेगा और शान्ति को क़ायम रख सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं यह अनुभव करता हूं कि जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, उनकी अधिकतर बातें विषय से असंगत थीं। आज की चर्चा में जितने भी वक्ताओं ने भाग लिया है, सभी ने कुम्भ मेले की दुर्घटना से अपना भाषण आरम्भ किया। निस्सन्देह कुंभ मेले की दुर्घटना अभूतपूर्व और अत्यन्त दुखद रही है। सभी को इसके लिये बहुत दुःख है। मुझे एक प्रत्यक्षदर्शी सज्जन से ज्ञात हुआ है कि वहां पर प्रबन्ध बहुत अच्छा था। यह दुर्घटना एक ऐसी चीज़ थी जिसको रोक सकना मनुष्य की शक्ति के परे था। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य सोचता कुछ है, और हो कुछ और ही जाता है। यह भी एक ऐसा ही मामला था। इसके लिए सरकार, राज्यपाल अथवा अन्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना या उसके प्रति अभद्रतापूर्ण बातें कहना कदापि उचित नहीं है। जो कुछ हुआ है, उसके लिये हम सब को बहुत दुःख है और मैं समझता हूं कि इस दुर्घटना की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमको उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये और तब यदि हम यह देखें कि सरकार किसी कार्य को करने या न करने के लिये दोषी थी, तो मैं भी शासन की निन्दा करने में नहीं हिचकूंगा। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि दुर्घटना को आधार बना कर व्यर्थ की बातों का प्रचार नहीं किया जाना चाहिये।

पाकिस्तान-अमरीकी सैनिक समझौते के विषय में चर्चा करते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा था "अपनी पंचवर्षीय योजना बन्द कर दीजिये; वह एक निरर्थ चीज़ है।" ऐसा कहना बहुत भद्दी बात है। यदि पंचवर्षीय योजना को आप एक निरर्थक वस्तु कहते हैं, तो आप अपनी सरकार में और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों में अपने देश के लोगों का विश्वास नष्ट करते हैं। मैं अपने निजी अनुभव से यह कह सकता हूं कि इस योजना के अधीन सर्वत्र अत्यन्त निर्माणकारी कार्य स्वेच्छापूर्वक और प्रजातांत्रिक ढंग से हो रहा है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ श्री एन्यूरिन बेविन के कथनानुसार विश्व इतिहास में यह एक सबसे बड़ा प्रयोग है। इसके द्वारा प्रजातांत्रिक तरीकों के अनुसार एक नये भारत का निर्माण किया जा रहा है। यह एक अनुपम एवं नई चीज़ है। यह योजना हमारे राष्ट्र की जीवन श्वास है। मैं समझता हूं कि इस योजना के प्रति राष्ट्रपति का निर्देश करना अत्यन्त शोभनीय था। जो इसका विरोध करते हैं, या इसके महत्व को कम

समझते हैं, वे नये भारत के साथ अन्याय करते हैं।

पाकिस्तान-अमरीकी सैनिक समझौते का भी प्रश्न उठाया गया। इस विषय में कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्र का सैन्यीकरण होना चाहिये। सैन्यीकरण मिठाई बांटने के समान चीज नहीं है। मैं यह पूछता हूं कि क्या हम अपने देश की रक्षा के हेतु अपनी शक्ति भर सब कुछ नहीं कर रहे हैं ? यदि आप आंख खोल कर देखें तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि इस दिशा में बहुत कुछ किया गया है और किया जा रहा है। यद्यपि अभी तक उक्त समझौता क्रियान्वित नहीं हुआ है, फिर भी यदि उसे पूरा हो गया मान लिया जाय, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री बराबर कहते आ रहे हैं, इसका पूर्ण उपाय हमारी सेना की शक्ति नहीं होगी—यद्यपि वह भी आवश्यक है—बल्कि देश के लोगों का संकल्प और उनकी आत्म शक्ति होगी। मैं यह भी कह सकता हूं कि इस पाक-अमरीकी समझौते से हमारे देश को कोई हानि नहीं पहुंच सकती है। कोई भी शक्ति हमसे हमारी स्वाधीनता नहीं छीन सकती है।

मेरा यह अनुभव है कि देश भर में अब एकता की एक भावना पैदा हो गई है और मैं तो यह समझता हूं कि इस पाक-अमरीकी समझौते से भारत में जो राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो गई है, वह एक बहुत लाभप्रद चीज है। मुझे विश्वास है कि हमारे रक्षा मंत्री इस बात का समुचित प्रबन्ध तैयार रखेंगे कि यदि कोई लड़ाई हो तो उसमें हमारा देश विजयी हो।

अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त प्रशंसनीय है। उन्होंने हमारा सही मार्ग प्रदर्शन किया है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ने और उन्नति करने जा रहे हैं। उनके इस विद्वत्तापूर्ण मार्ग प्रदर्शन की हमें बहुत आवश्यकता थी।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं अपने संशोधन (संख्या ९) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे कई मित्रों ने पाक-अमरीकी समझौते के महत्वपूर्ण विषय की भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की है। कुछ तो इसको एक बहुत अच्छी चीज मानते हैं और कुछ का विचार है कि इससे भारत की परेशानी बहुत बढ़ जायेगी। इसमें सन्देह नहीं कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी प्रशासकीय व्यवस्था की नीति पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। यह भी सच है कि इस समझौते का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि पाकिस्तान अवश्य ही भारत के साथ युद्ध करेगा। सम्भव है वह ऐसा न करे। और हम ऐसी आशा भी करते हैं। परन्तु साथ ही हमें बुरी परिस्थितियों के लिये भी तैयार रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है क्योंकि अपनी स्वाधीनता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

हमें यह विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान सम्पूर्ण भारत पर हमला करने या उस पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि यदि वह हमला करना चाहता है, तो वह हमारे लिये बहुत परेशानी और मुसीबत पैदा कर सकता है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अभी काफी अधिक समय तक बोलेंगे।

श्री यू० सी० पटनायक : जी हां, श्रीमान्।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार १८ फ़रवरी, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई।